राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का सप्तम दिवस [संख्या 7

मंगलवार,
दिनांक 9 मई, 1967

विधान सभा की बैठक प्रातः 8.03 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(आबकारी व वित्त विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री गंगासहाय।

जालोर जिले की तहसीलों में तहसीलदारों के रिक्त स्थान

31. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जालोर जिले की कौन कौन सी तहसील में तहसीलदारों की जगह खाली है व कब से?

(2) इस दरमियान राजस्व मण्डल ने जिले को कितने तहसीलदार दिये व उनको कहां कहां लगाया गया?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) किसी भी तहसील में तहसीलदारों की जगह खाली नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

लूणकरणसर एवं बीकानेर तहसीलों में गोचर भूमि

32. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :--

लूणकरणसर एवं बीकानेर तहसीलों के किन-किन गावों में अभी तक गोचर भूमि नहीं कायम की गई? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : लूणकरणसर एवं बीकानेर तहसीलों में जिन-जिन ग्रामों में अभी तक गोचर भूमि कायम नहीं की गई उनका विवरण तथा की जाने वाली कार्यवाही की सूचना निम्न प्रकार है :--

(1) **तहसील बीकानेर** :

इस तहसील में कुल 181 ग्राम हैं जिनमें से 27 ग्राम गैर आबाद होने के कारण गोचर भूमि छोड़ने का प्रश्न उठता नहीं है। बाकी के 154 ग्रामों में चरागाह छोड़ने की कार्यवाही करनी थी उनमें से 14 ग्रामों में चरागाह कायम करके पंचायत को सौंप दी गई है। 41 ग्रामों में चरागाह छोड़ने की कार्यवाही के कागजात चल रहे हैं जो शीघ्र निपटा दिये जायेंगे। बाकी 62 ग्रामों में गोचर भूमि छोड़ने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं छोड़ी जा सकी है। इन गांवों

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
के किसी पास वाले गांव में यदि भूमि मिल सकेगी तो चरागाह कायम करने की चेष्टा की जायेगी। 37 ग्राम उपनिवेशन विभाग के ग्रोप्रेशनल कण्ट्रोल में आते हैं जिनका सर्वे हो रहा है।

(2) **तहसील लूणकरणसर :**

इस तहसील में 171 ग्राम हैं जिन में से 30 ग्राम गैर आबाद हैं। बाकी 141 ग्रामों में से 2 ग्राम शाजरासर व बींझवाली में गोचर भूमि कायम की जाकर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को सुपुर्द की जा चुकी है। बाकी 139 ग्रामों में सर्वेक्षण रेकार्ड एवं बन्दोबस्त की कार्यवाही चल रही है। इन ग्रामों में सैटलमेन्ट विभाग द्वारा नियमानुसार गोचर-भूमियां कायम होने के पश्चात् सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को सौंप दी जायेंगी।

श्री भीमसेन : यह सरकार प्रति वर्ष राजस्व अधिकारियों को सूचना देती है कि गोचर भूमि छोड़ी जानी चाहिये और कई गांवों में गोचर भूमि उपलब्ध नहीं है और जहां पर भूमि उपलब्ध है वहां पर भी गोचर भूमि ईयर मार्क नहीं की जाती है और भूमि अलॉट करते जाते हैं और बाद में कह देंगे कि जमीन उपलब्ध नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिस गांव में बंजर भूमि अवेलेबल होगी, उसको ईयर मार्क कर देंगे। अभी सैटलमेन्ट आपरेशन्स चल रहे हैं, सर्वे सैटलमेन्ट हो जाने के बाद उसके बारे में कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री भीमसेन : अभी जैसा आपने कहा कि 62 गांवों में जमीन अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से अभी दूसरे गांवों में जमीन अवेलेबल है और वहां पर आप प्रति वर्ष अलॉट करते जाते हैं और फिर इन गांवों में भी यही समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां पर जमीन उपलब्ध है वहां पर पहले से ही गोचर भूमि ईयर मार्क कर देनी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन गांवों में गोचर भूमि उपलब्ध नहीं है तो नियमों के अनुसार क्या दूसरे गांवों में गोचर भूमि की जमीन उपलब्ध की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। जो आपके नियम बने हुए हैं वे तो मना करते हैं कि दूसरे गांवों में गोचर भूमि नहीं मुकर्रर कर सकते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि मुझे इस बात का पूरा इल्म तो नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि दो गांवों को मिलाकर किसी जगह जमीन अवेलेबल नहीं है तो वहां पाश्चर लैन्ड कायम हो सकती है। इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कोई जानकारी आपको है जहां पर कि इस तरह की व्यवस्था की गई हो ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे फिलहाल जानकारी नहीं है।

श्री भीमसेन : मेरा निवेदन है कि तहसील लूणकरणसर के कई गांवों में जमीन अवेलेबल है तो वहां पर अभी से गोचर भूमि कायम करने की कार्यवाही क्यों नहीं कर देते हैं ? जब इन गांवों में भी जमीन अलॉट हो जाएगी तो फिर इनमें भी समस्या खड़ी हो जायगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री खेतसिंहजी ने मुझ से कहा था कि मैं उनके बिहाफ पर प्रश्न करूं । यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रश्न पूछ लूं ।

श्री अध्यक्ष : पूछ लीजिये ।

शेरगढ़ तहसील में पेन्शन वितरण का कार्य

33. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ़)
(**श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : द्वारा पूछा गया) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील शेरगढ़ में वहां की सब-ट्रेजरी से कुल कितने व्यक्ति पेन्शन उठाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पेन्शन पाने वालों की तादाद को देखते हुए वहां एक पेन्शन क्लर्क काफी नहीं है ?

(3) क्या झुंझुनूं जिले में जिस तरह पेन्शन वितरण का कार्य किया जाता है उसी प्रकार का प्रबन्ध शेरगढ़ में भी लागू करने का सरकार का कोई इरादा है ? यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं, तो क्यों ?

वित मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) :
(1) 1600 व्यक्ति।

(2) एक कर्मचारी पर्याप्त नहीं हैं ।

(3) झुंझुनू जिले में सरकारी कोष व उप कोषों के अलावा केन्द्रीय सरकार के पेन्शन पे-मास्टर भी सैनिक पेन्शनरों को पेन्शन वितरण करता हैं । शेरगढ़ तहसील में पेन्शन पे-मास्टर पेन्शन का वितरण करने नहीं जाता है । यदि केन्द्रीय सरकार पेन्शन पे-मास्टर का क्षेत्र वहां तक बढ़ा दे तो ऐसे पेन्शनर स्वेच्छा से अपनी पेन्शन पे मास्टर से या उप-कोषालय से प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : यह तो सुनने में नहीं आया, क्या जवाब दिया है ।

श्री **मथुरादास माथुर** : क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष : सुनने में नहीं आया ।

श्री भैरोंसिंह : समझ में भी नहीं आया ।

श्री **मथुरादास माथुर** : वापिस पढ़ देता हूं ।

(उत्तर दुबारा पढ़ा गया)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि जब तक केन्द्रीय सरकार पे-मास्टर का क्षेत्र शेरगढ़ तक नहीं बढ़ायगी उस समय तक राज्य सरकार पेन्शन्स के लिए सिवाय एक क्लर्क लगाने के बाकी कोई व्यवस्था करने को तैयार नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार का जहां तक सम्बन्ध है मिलिट्री सिविल पेन्शनर्स जो शेरगढ़ तहसील में हैं उनको पेन्शन भारत सरकार देती है, पे-मास्टर के मार्फत देती है । उनको यह भी अधिकार है कि हमारी ट्रेजरी और सब-ट्रेजरी से भी ले सकते हैं । उनको यह भी चोइस है कि वे मनीआर्डर से भी मंगा सकते हैं । शेरगढ़ में इस समय 1600 पेन्शनर्स हैं और 800 पेन्शनर्स के पीछे एक क्लर्क वहां मुकर्रर है । तो इस तरह से दो क्लर्क वहां पर हैं जो हर महीने पेन्शन बांटते हैं । जो पेन्शन 50) रु. से कम की

Page No. 4

(श्री मथुरादास माथुर)
होती है उसे तो रोकड़ी ले जाते हैं और बाकी पेन्शनर्स को जहां बैंकिंग फैसेलिटी है वहां के चैक दिए जाते हैं या कैश दिया जाता है। यह सुविधा राज्य सरकार से है। यह प्रश्न कि पे-मास्टर से पेन्शन दी जाय, तो यह छः महीने में एक दफा दी जाती है। यदि भारत सरकार यह कर दे कि जो पे मास्टर झुन्झुनूं आता है उसको जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर डिवीजन में भी एक्सटेंड कर दिया जाय तो उससे पेन्शन ले सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ से तो ट्रेजरी सब-ट्रेजरी या मनिआर्डर से पेन्शन लेने की सुविधा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की यह मान्यता है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पेन्शनर्स को किसी प्रकार की पेन्शन प्राप्त करने के मामले में कोई असुविधा नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : जनरल सवाल का तो जवाब इसमें नहीं चाहा गया है। जहां तक शेरगढ़ के सम्बन्ध में प्रश्न है, दो क्लर्कस और लगा दिये हैं ताकि उनको समय पर पेन्शन मिल सके। मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि पेन्शनर्स को शेरगढ़ तहसील में समय पर पेन्शन नहीं मिली है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बड़े बड़े फौजियों और अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की थी और उस समिति ने पेन्शन के मामले में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की आलोचना की है और सुझाव दिये हैं तथा इस बात को व्यक्त किया है कि जो वर्तमान व्यवस्था पेन्शन होल्डर्स के लिए है वह बहुत ज्यादा दुविधाजनक है और उसमें निश्चित रूप से सुधार किया जाना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक स्टेट फोर्सेज के पेन्शनर्स का सवाल है और जहां तक सिविल और पोलिटिकल पेन्शनर्स का सवाल है उसके लिए हमने ट्रेजरीज और सब-ट्रेजरीज में प्रबन्ध किया है। उससे बेटर सुविधा नहीं हो सकती है। अगर वे पे-मास्टर से लेना चाहते हों तो राजस्थान सोल्जर्स बोर्ड के मार्फत वह भारत सरकार को इस बात के लिए सूचित कर दें ताकि उसको पेन्शन पे-मास्टर के थ्रू मिल सके। मेरा यह ख्याल है कि पेमास्टर से पेन्शन मिलने में देर होती है क्योंकि वह 6 महीने में एक दफा मिलती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार ने स्टडी ग्रुप फार दी वैलफेयर आफ सर्विस परसोनल, 1966 की रिपोर्ट का अवलोकन किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : इसमें जिन सुझावों का पेन्शन के मामले में स्टडी ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है, क्या राज्य सरकार उनको मान नहीं रही है ?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान सरकार उनमें जो मानने के लायक है उनको मानती है और मानने के लायक नहीं है उनको नहीं माना जायगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया है कि अमुक प्रकार के सुझाव मानने के लायक है और अमुक प्रकार के सुझाव मानने के लायक नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : उसमें जहां तक पेन्शन के पेमेन्ट का सवाल है उसके लिए

Page No. 5

(श्री मथुरादास माथुर)
तीन तरह के सुझाव हैं—पे-मास्टर, ट्रेजरी या सब-ट्रेजरी के मारफत। जो शिकायत लोगों की यह आई थी कि वहां पर स्टाफ कम होने की वजह से तकलीफ होती है इसलिए स्टाफ बढा दिया। उसके बाद शेरगढ तहसील से कोई शिकायत राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है और माननीय सदस्य अगर कोई बात बतायें तो विचार किया जा सकता है।

श्री **भैरोंसिह** : इस कमेटी की जो रिकमन्डेशन्स हैं उनमें से कौन-कौन सी राजस्थान सरकार ने स्वीकार की हैं ?

श्री **मथुरादास माथुर** : जहां तक इस प्रश्न का उत्तर है उसमें और बातों को छोड़ता हूं और सिर्फ पेमेन्ट आफ पेन्शन का जो सवाल है······

श्री **भैरोंसिह** : पेमेन्ट आफ पेन्शन्स का पूरा चेप्टर है और आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट की आधी बात को स्वीकार कर लिया है और आधी को स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री **मथुरादास माथुर** : जहां तक पेमेन्ट का सवाल है मैंने निवेदन किया है कि पेमेन्ट के तीन जरिये हैं और पेमेन्ट में कोई लोगों को तकलीफ नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री केसरीसिंह

श्री **भैरोंसिह** : अध्यक्ष महोदय, बड़ा जरूरी सवाल है। यह फौजियों का मामला है, नौकरी करने के बाद पेन्शन प्राप्त करने का मामला है। राज्य सरकार ने स्वयं ने स्टडी ग्रुप नियुक्त किया था उसके सुझाव थे। स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ने के बावजूद वे कह रहे हैं कि कुछ बातों को स्वीकृत कर लिया और कुछ को नहीं किया है। यह तो एक सैनिकों की चीज है और उसके प्रति हम एक उपेक्षा-पूर्ण रुख रखते हैं। लेकिन इन सैनिकों के बारे में राजस्थान सरकार द्वारा उपेक्षापूर्ण रुख लेना फौजी बरदाश्त नहीं कर सकते हैं।

श्री **मथुरादास माथुर** : सिपाहियों और सोल्जर्स के नाम पर भावनाओं को भड़काने की बात तो मैं निवेदन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पेमेन्ट का सवाल है, पेन्शन क्या मिलती है या एलाउन्स का सवाल है या और बातें हैं उन्हें छोड़ दें, लेकिन जहां तक पेमेन्ट का सवाल है तो पेमेन्ट के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं जो उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज ने बताई हैं वे तीनों सुविधाएं राज्य के अन्दर उपलब्ध हैं। उसकी कोई शिकायत हो तो·······

श्री **भैरोंसिह** : शिकायत की बात नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो सुझाव दिये हैं उनको क्यों नहीं स्वीकार किया गया है और कौन से सुझाव ऐसे हैं जिनको नहीं मानते हैं और वाजिब नहीं हैं।

श्री **मदनसिंह** (दांतारामगढ) : जो इसमें बड़े बड़े जनरल्स और ब्रिगेडियर्स थे उन्होंने यह कहा है। माननीय मंत्री जी भड़काने की बात कहते है, इसको आप पढ़ लें तो आपको मालूम होगा कि गवर्नमेन्ट ने खुद ने स्वीकार किया है कि पेन्शन की व्यवस्था ठीक नहीं है। वह किताब मेरे पास है। मैं ला सकता हूं उससे आपको मालूम होगा,

श्री मथुरादास माथुर : उस रिपोर्ट के बारे में मैं कहता हूं कि रिपोर्ट की और बातों को रहने दीजिये वे यहां डिस्कस नहीं हो सकती हैं, लेकिन पेमेन्ट वगैरह के बारे में हमारे यहां पर ट्रेजरी और सब-ट्रेजरी हैं और सब-ट्रेजरी लास्ट पाइंट है जहां कि पेमेन्ट हो सकता है या मनी ग्रार्डर के द्वारा हो सकता है या पे-मास्टर पे करता है मगर वह 6 महीने में एक दफा आता है। कई लोगों ने इस तरह की इच्छा जाहिर की है कि पेमेन्ट ट्रेजरी और सब-ट्रेजरी से करवाया जाय। मनी ग्रार्डर भी उन इलाकों में देर से पहुंचता है। इनके अलावा कोई पेमेन्ट का जरिया है नहीं। पेंन्शन बढ़ाने का सवाल है, डियरनेस का सवाल है वह अलग प्रश्न है। सिर्फ पेमेन्ट कैसे किया जाय तो हमारे यहां तो सब-ट्रेजरी फाइनेन्स के एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट पाइन्ट है जहां से कि हम पेमेन्ट कर सकते हैं और वहां पर हम पेमेन्ट करते हैं। जहां पर स्टाफ कम था तो वहां पर एक की जगह दो क्लर्क्स कर दिये। अब भी अगर कोई शिकायत हो तो उसको दूर किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें पेन्शन के वेरीफिकेशन की बात को लेकर कहा गया है कि फौजी अधिकारी जब पेन्शन के लिए जाते हैं तो तीन-तीन जगह से उनको पेन्शन का वेरीफिकेशन करवाना पड़ता है और तीन-तीन बार वेरीफिकेशन करवाने के लिए उनको तीन-तीन दिन तक पडा रहना पड़ता है और उनका खर्चा लगता है। इस रिपोर्ट में इस प्रकार के उदाहरण भी दिये गये हैं कि जिस आदमी को जितनी पेन्शन मिली वह 3 दिन में जो उसका खर्चा हुआ उसमें पूरी हो गई। इसलिए इसमें सिफारिश की गई है कि सब जगह मनी-आर्डर से पेन्शन भेजी जाय।

श्री मथुरादास माथुर : हम मनी-आर्डर से पेन्शन भेजने को तैयार हैं, हमने कहा है कि जो पेन्शन मनी-आर्डर से लेना चाहें वह ले लें।

श्री भैरोंसिंह : कब आपने आदेश दिये हैं ? कब आपने सर्क्यूलर लिखा है ?

श्री मथुरादास माथुर : इसकी हरेक पेन्शनर को जानकारी है कि वे पेमेन्ट ट्रेजरी, सब-ट्रेजरी से ले सकते हैं या मनी-आर्डर से जो लेना चाहें वे उस तरह से लें, लेकिन शेरगढ़ तहसील में चूंकि मनी-आर्डर बहुत देर से पहुंचता है, क्योंकि वहां पर पोस्ट आफिस की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां के लोग सब-ट्रेजरी से लेना पसन्द करते हैं और आकर खुद ले जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई आपके पास शिकायत हो, और वे चाहते हों कि मनी-आर्डर से भेजा जाय तो गवर्नमेन्ट उसके लिए तैयार है। हमको बताएं तो हम इसकी जांच करेंगे। The matter is very simple, only of payment of pension, not of anything else.

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह।

राज्य में अकाल सहायता के लिए निर्धारित धनराशि का वितरण

34. श्री **केसरीसिंह** (हिन्डोली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(1) राज्य में अकाल सहायता के लिए कितनी धनराशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी और कब ?

(श्री केसरीसिंह)

(2) जिलेवार राशि कैसे वितरित की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : माननीय अध्यक्ष, वैसे तो यह प्रश्न बड़ा वेग है; क्योंकि आप पूछना चाहते हैं कि राज्य में अकाल सहायता के लिए कितनी धनराशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी तो कब से ये आंकड़े मांगे हैं ? अगर यह गत वर्ष से सम्बन्धित है तब तो उसके सम्बन्ध में एक बुकलेट कल बंटवा दी गई है और यदि इस वर्ष से उसका सम्बन्ध है तो मैं वह आपको निवेदन कर दूं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अकाल के सम्बन्ध में गत वर्ष और वर्तमान वर्ष कौनसा है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मार्च तक और फिर मार्च के बाद जो बजट स्वीकृत हुआ है उसका अलग है:—

(1) वर्ष 66-67 के आय-व्ययक अनुमान के द्वारा दिनांक 1-4-67 को 3.80 करोड़ रु. की धनराशि विभिन्न मदों में स्वीकृत की गई है । इसके उपरान्त इस वित्तीय वर्ष में समय समय पर वित्त विभाग द्वारा विभिन्न मदों में अकाल सहायता कार्यों हेतु धनराशि का प्राधिकरण किया जाता है । इसके पूर्ण विवरण संलग्न तालिका "क" में दिया गया है । इस प्रकार वित्तीय वर्ष 66-67 में 64 अकाल मद में कुल 11.24 करोड़ एवं ऋण के मद में 85 लाख रु. की धनराशि स्वीकृत की गई ।

(2) जिलेवार राशि इस प्रकार स्वीकृत की गई है । वित्तीय वर्ष 66-67 में स्वीकृत धनराशि का सं. 2022 एवं सं. 2023 के अकाल सहायता कार्यों हेतु जिलेवार आवण्टन का पूर्ण विवरण क्रमशः संलग्न तालिका "ख" व "ग" पर उपलब्ध है ।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 1 देखिये)

(क्रम संख्या 2 से सम्बन्धित सूची 'ख' व 'ग' विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री **विजयसिंह** (नसीराबाद) : क्या इस धनराशि का वितरण, सूखा और ओला-वृष्टि के कारण खेती में हानि हुई है, उसको मद्देनजर रख कर सरकार कर रही है ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : ओलावृष्टि से जो रबी में नुकसान हुआ है उसके लिये अलग से धनराशि स्वीकृत हुई है। मैं उसको बता दूंगा, वैसे यह अलग से सवाल पूछा गया है।

श्री **जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि कोटा डिस्ट्रिक्ट में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : क्या फरमाया आपने, मैंने सुना नहीं।

श्री **जुझारसिंह** : कोटा डिस्ट्रिक्ट में कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई है अकाल सहायता कार्य के लिए ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : 1966-67 में 1-11-66 से 31-3-67 तक 1 लाख और....

श्री **रामकिशन** (वैर) : सुनाई नहीं पड़ता है।

श्री **हीरा** (कुशलगढ़) : माइक अलग है और आप अलग बोल रहे हैं। कैसे सुनें?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : 1 लाख 11 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

श्री **जुझारसिंह** : क्या आप यह महसूस करते हैं कि कोटा डिस्ट्रिक्ट के लिए जो आपने 1 लाख रुपये मन्जूर किये हैं वह बहुत कम है?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : कोटा के सम्बन्ध में जो सूचना मिली है उसके अनुसार केवल इन्द्रगढ़ सब-तहसील में अकाल की परिस्थिति है और बाकी जगह नहीं है।

श्री **जुझार सिंह** : अध्यक्ष महोदय, आप सिर्फ इन्द्रगढ के लिये कह रहे हैं जब कि रानीगंज और सपोटरा में अकाल की स्थिति है और इसकी रिपोर्ट 29-1-67 को राज्य सरकार के पास आ चुकी है। इसके अलावा मैंने भी इस सम्बन्ध में छः-सात लेटर लिखे हैं और मैं कई बार राज्य सरकार से निवेदन कर चुका हूं। लेकिन मन्त्री महोदय की निगाह में केवल इन्द्रगढ़ अकालग्रस्त इलाका है और आप दूसरे इलाकों को अकाल-ग्रस्त नहीं मानते हैं। आपको केवल बूंदी में अकाल दिखता है, आपको कोटा की परिस्थिति नजर नहीं आती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस प्रकार की रिपोर्ट पहुंची है कि कोटा की विभिन्न तहसीलों में अकाल की परिस्थिति है?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : कोटा कलैक्टर · ·

श्री **रामचन्द्र** (नोहर) : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि बीकानेर, गंगानगर और · · · ·

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! पहले प्रश्न का जवाब आने दीजिये। मन्त्री महोदय !

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता है।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : जहां-जहां से अकाल के बारे में रिपोर्ट आती है, वहां-वहां के लिए अकाल सहायता के लिए स्वीकृति दी जाती है। लेकिन इसके पहले रिपोर्ट की छानबीन होती है और छानबीन करने के बाद में जब स्केअरसिटी एरिया डिक्लेअर हो जाता है, जब फेमिन डिक्लेअर हो जाता है तब अकाल सहायता की स्वीकृति दी जाती है।

एक माननीय सदस्य : जिन जगहों पर फेमिन डिक्लेअर नहीं हुआ है · · ·

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कोटा में इस सम्बन्ध में दरयाफ्त किया था। मुझे बताया गया कि 29-1-67 को कलैक्टर कोटा से रिपोर्ट आ चुकी है। उस बात को तीन-चार महीनें हो गये हैं लेकिन मन्त्री महोदय कहते हे कि रिपोर्ट नही आई है। आपने कहा कि कलैक्टर के पास जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार आप फेमिन डिक्लेअर करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोटा के कलैक्टर से अकाल की परिस्थिति के बारे में रिपोर्ट आई है या नहीं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं निवेदन कर रहा हूं कि पीपल्दा तहसील के इन्द्रगढ़

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट आई, बाकी के बारे में नहीं आई।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा तहसील में····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या यह सही है कि राज्य के 26 जिलों में से 23 जिलों में अकाल घोषित किया गया है। (विराम) अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रश्न फिर दोहराता हूं, क्या यह सही है कि राज्य के 26 जिलों में से 23 जिलों में अकाल घोषित किया गया है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिलों में अकाल घोषित नहीं किया गया है, जिलेवार अकाल घोषित नहीं होता है बल्कि जिले की कुछ तहसील आयें तब भी जिले का नाम आता है। 23 जिलों की कुछ तहसीलों में अकाल घोषित है।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या यह सच नहीं है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस सम्बन्ध में स्पष्ट संकेत है, राजस्थान के 26 जिलों में से 23 जिलों में अकाल घोषित किया गया है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अकाल घोषित क्षेत्र में 23 जिले आते हैं लेकिन कुछ में सारी तहसीलें हैं तो कुछ में कुछ कम तहसीलें हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं जानना चाहता हूं कि कोटा जिला उन 23 जिलों में से है जहां अकाल घोषित किया गया है या नहीं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक यह प्रश्न है कोटा जिले की पीपल्दा तहसील की इन्द्रगढ़ सब-तहसील में अकाल घोषित किया गया है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : एक सवाल यह है, मैं जानना चाहता हूं कि अकाल के सम्बन्ध में, जो एडवाइजर्स यहां पधारे हुए थे, उनकी रिपोर्ट है, क्या वह रिपोर्ट आपके पास है? अकाल के सम्बन्ध में एडवाइजर्स के पास में एक डेपूटेशन गया था। उसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई थी, उसमें अकाल की स्थिति स्पष्ट है। आप क्या उस रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं या आपने कोई नई रिपोर्ट मंगवाई है? जब यहां राष्ट्रपति शासन था, उस वक्त एडवाइजर्स ने जो रिपोर्ट मंगवाई थी, वह आपके पास है अथवा आपने कोई नई रिपोर्ट और आंकड़े मंगवाये हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ही कह रहा हूं।

श्री मदनसिंह : क्या उस रिपोर्ट में 23 जिले हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसके आधार पर ही गवर्नर महोदय के भाषण में संख्या अंकित की गई थी।

श्री मदनसिंह : फिर कहने में शर्म क्या है कि 23 जिलों में अकाल है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पूरे जिले में नहीं है।

श्री केसरीसिंह : बूंदी तहसील की सब-तहसील नैनवा के जितने गांवों के अकाल ग्रस्त होने को कलेक्टर, तहसीलदार आदि ने रिपोर्ट दी थी उसमें से केवल 105 को सरकार ने मन्जूर किया है यह किस कारण किया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो कलेक्टर की रिपोर्ट आती है उसमें कोई खामी होती है तो सरकार पूछताछ करने के बाद, मुकम्मिल रिपोर्ट आने के बाद जो स्थान स्वीकार करने लायक होते हैं उनको अकालग्रस्त स्वीकार करती है। अगर इसके डिटेल्स आप चाहते हैं तो अलग से प्रश्न पूछिये कि कौनसी तहसील में, कौन से गांव में क्यों नहीं किया गया है ?

श्री केसरीसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि अकाल सहायता में जो रकम मंजूर की गई है उसमें सरासर पक्षपात बरता है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह तो आप भाषण में कह चुके हैं।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, स प्रश्न क उत्तर में बताया गया है कि पीपल्दा तहसील के इन्द्रगढ़ क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया है, यह केवल धारीवालजी के कारण से किया है। नहीं तो बाकी कोटा में सब जगह अकाल की परिस्थिति है लेकिन वहां अकाल घोषित नहीं किया गया है। सिर्फ धारीवालजी की वजह से पीपल्दा के इन्द्रगढ़ क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया गया है और दूसरी जगहों पर आज तक नहीं किया गया है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि छीपा बड़ोद के सात गांव के लिए अकाल-ग्रस्त घोषित करने की रिपोर्ट आई है ?

श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : क्या यह सही है कि डूंगरपुर-बांसवाड़ा को अकाल-ग्रस्त घोषित किया है? और, क्या यह भी सही है कि 1950 के अन्दर डूंगरपुर-बांसवाडा को शिड्यूल्ड कास्ट एरिया घोषित किया गया था।

श्री देवीदत्त (बारां) : मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : पहले वाले प्रश्न का अभी जवाब नहीं मिला है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो प्रश्न पूछा है उसकी तरफ में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रश्न में यह है–राज्य में अकाल सहायता के लिये कितनी धनराशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी और कब? और जिलेवार राशि कैसे वितरित की गई। अब आप जो सारे सप्लीमेन्ट्री पूछ रहे हैं उनका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूं कि यह अलग से प्रश्न है। लेकिन यथाशक्ति जितने प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं वह दे दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में परसों एक बुक-लेट माननीय सदस्यों को दे दी गई है उसमें अकाल ग्रस्त क्षेत्र आदि की सारी सूचना दर्ज है, किन जिलों में अकाल है, किन तहसीलों में अकाल है उसको माननीय सदस्य पढ सकते हैं। मैं सारे प्रश्नों को जानकारी कैसे दे सकता हूं, I am not an encyc'o-pedia,

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : बनास नदी में बाढ़ आ जाने से कुछ जगहों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है और रकम दी गई है—क्या यह सही है?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त : क्या यह सही है कि वारां तहसील के कई गांवों के बारे में पंचायत समिति, तहसीलदार और कोटा कलैक्टर की तरफ से रिपोर्ट आई है कि फसल का नुकसान होने के कारण अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करना जरूरी है?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, अकाल के लिए एक फेमिन कोड बना हुआ है, माननीय सदस्य उसकी स्टडी तो करते नहीं है और दना दन जो प्रश्न उनके दिमाग में आता है वह प्रश्न पूछते हैं।

श्री श्रवण लाल : आप मन्त्री नहीं हैं। आप बैठ जाओ।

श्री मूलचन्द डागा : उस फेमिन कोड को पढ़ कर फिर आप प्रश्न कीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्री यह बतायें कि क्या फेमिन कोड में निर्धारित समय के अनुसार कलैक्टर की रिपोर्ट के आने के बाद यह धनराशि स्वीकृत हुई है या उसके पूर्व ही स्वीकृत की गई है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कलैक्टर की रिपोर्ट आने के बाद धनराशि स्वीकृत की गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर तहसील में अकाल सहायता कार्य

35. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सांचोर तहसील में अब तक क्या क्या अकाल सहायता कार्य शुरू कराये गये हैं और कहां कहां? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि भू-संरक्षण योजना के तहत तहसील सांचोर में भू-संरक्षण कार्य पंचायतों की मांग होने पर भी स्टाफ की कमी की वजह से कई गांवों में शुरू नहीं कराए गए हैं? अगर हां, तो ऐसा क्यों हो रहा है? पंचायतों की मांग के अनुसार भू-संरक्षण कार्य गांवों में कब तक शुरू करा दिये जावेंगे?

(3) क्या यह सत्य है कि राहत कार्यों में गांवों की मांग होने पर भी तालाबों की खुदाई का काय अभी तक शुरू नहीं कराया गया है? अगर हां, तो क्यों? तहसील सांचोर में तहसील राहत सलाहकार कमेटी की विशेष सिफारिश पर नाडियां एवं तालाबों की खुदाई का कार्य कब तक शुरू करा दिया जावेगा?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(4) तहसील सांचोर की मवेशी को बचाने के लिये विशेष चारे की तकावी कब तक मन्जूर कर वितरित करदी जावेगी ?

(5) तहसील सांचोर में चारे एवं पानी की अब तक क्या व्यवस्था की गई है ? भविष्य में क्या क्या व्यवस्थायें की जावेंगी ?

(6) अप्राहिजों को सरकार से मुफ्त सहायता अब तक क्यों नहीं दी गई है ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) सांचोर तहसील में निम्नलिखित कार्य सहायता कार्यों के रूप में कराये जा रहे हैं:--

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा--

(क) सांचोर मतावड़ा सड़क

(ख) बावलीया से सांचोर तक सड़क ।

2. भूमि संरक्षण विभाग द्वारा--

ग्राम सरनाऊ में समोच बन्दी कार्य निम्नलिखित और कार्य स्वीकृत किये गये हैं। ग्राम रतोड़ा एवं हाचेड़ा ।

3. सिंचाई विभाग द्वारा--

(क) सूजा की खाल बांध

(ख) सराचन्द बांध

(ग) सूथेड़ी बांध

(2) जी नहीं, कार्य स्वीकृत हो रहे हैं और शीघ्र ही शुरू करा दिये जावेंगे।

(3) जी हां, गावांई तालावों व नाडियों की खुदाई के कार्य अभी तक स्वीकृत नहीं किये गये हैं। भारत सरकार के सुझाव के अनुसार केवल उत्पादक कार्य ही सहायता कार्यों के अन्तर्गत लिये जाने के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं था।

(4) तकावी जिले भर के लिए मन्जूर की जा चुकी है और सांचोर तहसील में चारे की तकावी के रूप में 70,000) रु. वितरित किये जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री भीमसेन।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी और है ।

श्री मथुरादास माथुर : नैक्स्ट कह दिया! बैठ जाओ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आधे सवाल का ही जवाब आया है।

श्री अध्यक्ष : आधा है तो पूरा कर दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (5) चारे की व्यवस्था के लिये चितलवाना, सरनाऊ, कारोल, केसूरी व सांचोर में घास के डिपो खोले गये हैं। जहां से 3211 क्वि. घास वितरण हो चुका है। आवश्यकतानुसार घास मंगवाया जा रहा है जो जरूरतमन्द व्यक्तियों को पूर्व व्यवस्था के अनुसार दिया जाता रहेगा। मार्च के अन्तिम सप्ताह में वर्षा के कारण पेय जल व्यवस्था में भी सुधार पड़ा है।

(6) जी नहीं, 478 व्यक्तियों को दिनांक 1-1-67 से निःशुल्क सहायता की स्वीकृति दी जाकर सहायता दिलाई जारही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इन्फोर्मेशन देना चाहता हूं

(श्री रघुनाथ विशनोई)
कि तकावी जितनी आप कहते हैं वितरित नहीं की गई। यह गलत है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर आपको जवाब दे रहा हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : 70 हजार का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तकावी के लिये बहुत मांग होने के बावजूद भी लोगों को तकावी नहीं दी गई?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह आप फरमाते हैं कि यह गलत है तो मैं इसको फिर वेरीफाई करा लूंगा और आपको बता दूंगा। मेरे खयाल से यह गलती नहीं होनी चाहिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या यह सही है कि आपके पास स्टॉफ नहीं होने से सोइल कन्जर्वेटिव वर्क में दिक्कत पैदा होती है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह इसको वजह से है कि काम नहीं हो सका लेकिन हम पटवारियों को ट्रेनिंग दे कर इस वर्क को जैसा अजमेर में किया, यहां पर भी सोइल कन्जर्वेशन की ट्रेनिंग दी है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : माननीय अध्यक्ष, आज पूरी तहसील में 1।। लाख लोग बसते हैं। लेकिन वहां पर बहुत कम काम चालू है और कोई विशेष काम वहां पर नहीं कर पाये। वहां पर नाडियों का काम नहीं कर पाये। वहां पर लोग बहुत भूखों मर रहे हैं। सोइल कन्जर्वेशन वर्क काफी तादाद में लोगों को जो भूखे मरते हैं राहत दे सकता है। लोगों में आम तौर पर असन्तोष है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप उनके लिये कब तक व्यवस्था कर देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस सम्बन्ध में मैं जानकारी प्राप्त करूंगा कि सांचोर में ट्रेनिंग के लिये क्या कोशिश की गई है। इसके अलावा 12 तारीख को जोधपुर में मिल रहे हैं। वहां पर मिल कर विचार करेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या यह सही है कि वहां पर लोग बाग भूख से मर रहे हैं। वे लोग मजदूरी चाहते हैं लेकिन उनको मजदूरी मिलती नहीं है। इसके लिये आप कब तक व्यवस्था कर देंगे?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि जितने काम हो रहे हैं उनमें उनके लिये कोई व्यवस्था की गई है और लोगों को भी काम देने की व्यवस्था करेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं यह निवेदन करूंगा कि सांचोर तहसील बहुत बड़ी है। 40 मील से लगी हुई है और लोग वहां से आ नहीं सकते।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर वे लोग प्रोजेक्ट वर्क पर आने को तैयार हों तो हम उनको लेने के लिये तैयार हैं और सारा ट्रान्सपोर्टेशन का खर्चा भी हम देंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : भवातडा रोड••

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : जब तक पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक नहीं सुनेंगे। There can not be two questions at a time.

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह भवातडा की रोड तीन महीनों से बन्द है। यह कार्य कब तक शुरू करेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने अभी आपको बताया कि तारीख 12 को जोधपुर में मिल रहे हैं और वहां पर बैठ कर सब बातों का निर्णय ले लिया जावेगा। अगर उसमें तय हो जाएगा तो 12 तारीख के बाद में 13 तारीख से ही शुरू कर दिया जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ग्रान्टेड रिलीफ बहुत कम लोगों को दिया गया है। सब को आप कब तक दे देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसे जैसे सिफारिश आती रही है हम देते रहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं यह ...

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ग्रान्टेड रिलीफ को...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि अकाल में काम करने वालों को रखा जाता है उसमें एक परिवार के दो व्यक्तियों को ही काम पर रखा जाता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा नहीं है

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जिले के कलैक्टर के आदेश हैं कि एक परिवार से दो व्यक्तियों को ही काम पर लगाया जाए और एक परिवार में 5 व्यक्तियों को आपने माना है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक परिवार का प्रश्न है, एक पति और पत्नि और दो-तीन बच्चे और कितने होते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपके परिवार में कितने बच्चे हैं यह तो आप कृपया बता दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं माननीय मन्त्रीजी को सूचना देना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट में एक फेमिली के 10-10 सदस्य काम करना चाहते हैं लेकिन तीन सदस्यों से ज्यादा को काम नहीं दिया जाता यह बड़ी एम्ब्रेसिंग स्थिति पैदा करता है। 12 साल से ऊपर वालों को काम करने के लिये लगाने का फेमिन कोड में भी प्रावधान है। उसको पूरा काम में क्यों नहीं लिया जाता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक मेरी सूचना है, काम फेमिन कोड के मुताबिक ही लिया जाता है। मगर फिर भी आपने जो सूचना दी है उस के लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने नाडियों के लिये बताया कि यह काम हम नहीं कर सकते मगर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जगह नाडियों के अलावा दूसरा कोई काम कतई नहीं हो तो स्पेशल केस में काम चलाया जा सकेगा ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री भीमसेन।

राज्य की सम्पति (एसेट्स) तथा कर्जा

36. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य के निर्माण के वक्त राज्य के विभिन्न प्रकार के एसेट्स कितने थे तथा कुल कर्जा विभिन्न स्रोतों का कितना था?

(2) इस समय राज्य के क्या-क्या एसेट्स हैं तथा कुल कर्जा (केन्द्रीय सरकार एवं अन्य स्रोतों से) कितना है?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (1) राजस्थान राज्य के निर्माण के प्रथम वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अर्थात् 1-4-50 को महालेखापाल द्वारा वित्त लेखे 1950-51 में दिये गये आंकड़ों के अनुसार आस्तियां (एसेट्स) 21.63 करोड़ रुपये की थी। जिसमें पूंजी व्यय (कपीटल एक्सपेन्डीचर) के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण सम्मिलित नहीं हैं। कुल कर्जों की राशि 7.88 करोड़ रुपये थी।

(2) 1966-67 वर्ष के संशोधित अनुमानों के आधार पर 31 मार्च, 1967 को आस्तियां तथा कुल कर्जे की स्थिति इस प्रकार बनती है:—

आस्तिया (एसेट्स)	(करोड़ रु.)
1. पूंजी	273.02
2. राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम	133.86
3. क. विनियोजन प्रतिभूतियां पोस्टल सर्टिफिकेटों आदि	4.31
4. बैंकों, औद्योगिक संस्थाओं आदि के शेयरों में	7.48
(ख) नकद	0.46
योग ..	419.13

उत्पादक पूंजीगत आस्तियों के अलावा, जिनसे नियमित रूप से आय होती है, सरकार इमारतों, संचार साधनों, स्थिर सम्बन्धों, मशीनरी आदि के रूप में विस्तृत तथा मूल्यवान आस्तियों की भी स्वामिनी है जिसका कि 1950-51 से पहले निर्माण हुआ था।

कर्जे की स्थिति इस प्रकार है:—

(कर्जा)	(करोड़ रु.)
1. स्थाई ऋण	53.84
2. अल्पकालीन ऋण	2.00
3. केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण	337.04
4. अन्य ऋण	10.96
योग	403.84

श्री भीमसेन : इसको चुकाने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें एसेट्स और लाईबिलिटीज कुछ लिये हैं। एग्रीमेन्ट के अनुसार चुकारा करते हैं। कुछ प्रिन्सिपल और कुछ इन्ट्रेस्ट के रूप में देते हैं।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार ने यह तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा कितना ऋण वह ले सकती है? क्या

(श्री भरोंसिह)
सरकार ने इस बात की सीमा निर्धारित की है कि इस सीमा तक ऋण ले सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : वैसे इसकी कोई सीमा मुकर्रर नहीं की गई है। लेकिन इसके लिये हमारे एसेट्स और रिसोर्सेज को ध्यान में रखा जाता है और ऋण जिस प्रोडक्टिव प्रोग्राम को सामने रखते हुए लिया जाता है उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है।

श्री रामकिशन (वैर) : असेट्स तय करते समय क्या उसमें इम्मूवेबल प्रोपर्टी है उसके डेप्रिशियेशन्स वगैरह को काट दिया जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : टोटल असेट्स मुकर्रर करते समय जैसा कि मैंने बताया बिल्डिंग्स हैं, डेम्स हैं, इनको असेट्स में गिना जाता है।

श्री रामकिशन : यह तो मैं समझ गया पर 10 साल पहले कोई बिल्डिंग बनाई, कोई डेम बनाया, उस समय जो डेम की और बिल्डिंग की कीमत थी उसी हिसाब से असेट्स तय किये जाते हैं या डेप्रिशियेशन्स वगैरह को काट दिया जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह सेपरेट क्वश्चन है, इसके लिये मैं नोटिस चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कितने असेट्स को राइट ऑफ किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह सेपरेट क्वश्चन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या संविधान के अन्तर्गत पब्लिक बोरोइंग्स रेगुलेट किया जा सकता है और क्या सरकार विधान सभा में इस प्रकार का लेजिस्लेशन ला कर पब्लिक बोरोइंग्स को रेगुलेट करने का विचार रखती है ?

श्री मथुरादास माथुर : पब्लिक बोरोइंग्स रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक से रेगुलेट होते हैं, सरकार चाहे जितना पब्लिक बोरोइंग्स नहीं कर सकती। इस प्रकार का कानून बनाने का सरकार का विचार नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार उचित नहीं समझती कि स्टेट के ऊपर पब्लिक बोरोइंग्स लेने से पहले विधान सभा में निश्चित नीति निर्धारित करके एक लेजिस्लेशन ला कर पब्लिक बोरोइंग्स का कानून से नियमन किया जाय कि राजस्थान विधान सभा, किस हद तक किन-किन चीजों के लिये पब्लिक बोरोइंग्स करने की सरकार को इजाजत दे। पब्लिक बोरोइंग्स को रेगुलेट करने के लिये इस प्रकार का कानून लाने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री मथुरादास माथुर : इस प्रकार का लेजिस्लेशन लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जितना पब्लिक बोरोइंग्स सॉट किया जाता है, वह बजट में होता है, बजट पर डिस्कशन के समय उस पर डिस्कशन किया जा सकता है, सब आपकी स्वीकृति से लेते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी दशा में संविधान में जो पब्लिक बोरोइंग्स को रेगुलेट करने का प्रावधान रखा गया है वह सुपरफ्लुअस है, वह प्रावधान संविधान में किस लिये किया गया है।

श्री **मथुरादास माथुर** : जितने बारोइंग्स होते हैं वह रिजर्व बैंक और सेण्ट्रल बैंक की एप्रुवल से करते हैं। गत साल 5 करोड का लोन साट किया था तो इनकी एप्रुवल से किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक कहते हैं उतना ही पब्लिक बारोइंग्स करते हैं। बाकी बारोइन्ग्स को बजट के समय डिस्कस करते हैं, माननीय सदस्यों को उस समय पूरा अधिकार है कि डिस्कस करें और अगर चाहें तो यह कहें कि यह नहीं ले सकते। इसलिये इसके लिये सेपरेट लेजिस्लेशन की आवश्यकता नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): 15 साल पहले जो रेशियो था असेट्स-विसा-विस-लायबिलिटीज का क्या वह रेशियो मेन्टेन किया जाता है? इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय जरा प्रकाश डालें। हालांकि मैं समझता हूं यह विषयान्तर है।

श्री **मथुरादास माथुर** : वैसे यह जुदागाना प्रश्न है पर मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि जो टोटल असेट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो बारोइन्ग्स किया है उसको मिला कर हमारे असेट्स में कमी नहीं आई है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रोडक्टिव और नोन-प्रोडक्टिव बोरोइंग, दो तरह के बोरोइंग्स हैं, दोनों का रेशियो क्या है?

श्री **मथुरादास माथुर** : यह सवाल अपने आप में जुदा है मगर बजट के डिस्कशन के समय माननीय विरोधी दल के नेता ने बात रखी है, उसका विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा।

श्री **रामकिशन** : कर्जा लिया है तो क्या कर्जा लेते वक्त इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में उसे खर्च करें। आधुनिक खपत शानोशौकत के कामों के लिये खर्च की जाती है। दो तरह के खर्चे हैं तो क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आधुनिक के लिये खर्च न करके प्रोडक्टिव प्रोजेक्टस के लिये जो पैसा कर्ज लिया है वह खर्च किया जाय। इन दोनों का रेशियो बतायें।

श्री **मथुरादास माथुर** : अमूमन कर्जा प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के लिये ही साट किया जाता है, क्योंकि इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है इसलिये उसका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव होना चाहिये। रेशियो चाहते हैं तो बजट के समय कट मोशन रखिये मैं डिटेल्स में बताऊंगा।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या उसमें ओवर ड्राफ्ट भी शामिल हैं, 31-3-67 को ओवर ड्राफ्ट कितना था, इसको कर्ज में शामिल बताया है या नहीं?

श्री **मथुरादास माथुर** : ओवर ड्राफ्ट का भी एक मसला है। ओवर ड्राफ्ट फ्लक्चुएट होता रहता है। पर्टिक्यूलर डेट पर क्या स्थिति थी, वह मैंने बता दिया।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : 31-3-67 को ओवर ड्राफ्ट कितना था, इसको कर्ज में शामिल किया गया है या नहीं, यह आपने नहीं बताया।

श्री **मथुरादास माथुर** : आपने पूछा नहीं। उस तारीख को असेट्स, लायबिलिटीज थी, वह बता दीं। ओवर ड्राफ्ट फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी गवर्नमेंट आफ इन्डिया में हम मांगते हैं, वह पेमेंट रिजर्व बैंक में डिपोजिट हो जाता है।

श्री **भैरोंसिंह** : 31-3-67 को ओवर ड्राफ्ट कितना था, यह आपको मालूम है या नहीं?

श्री मथुरादास माथुर : मुझे मालूम है।

श्री भैरोंसिंह : मालूम है तो बता दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : मतलब क्या होगा ?

श्री भैरोंसिंह : मतलब है।

श्री मथुरादास माथुर : आम तौर से यह इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता। मेरी नोलेज का इम्तिहान लेना है तो स्पीकर के कमरे में आ जायें मैं बता दूंगा।

श्री देवीदत्त (बारां) हाउस को नहीं बतायेंगे क्या ?

(शोरोगुल)

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं, माननीय वित्त मंत्रीजी को जानकारी नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रोडक्टिव बोरोइन्ग के अन्दर उसका रिटर्न एक परसेंट भी नहीं है तो.....

श्री भैरोंसिंह : व आफिसर्स से पूछ रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे मालूम है। पर इससे मतलब क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : मुझे मतलब है, हम यह जानना चाहते हैं कि सुखाडियाजी ने फाइनेन्स मिनिस्टर कहीं ऐसे व्यक्ति को तो नहीं बना दिया है जिसको राजस्थान का ओवर ड्राफ्ट कितना है, यह भी मालूम नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य अपने आपको बहुत काबिल समझते हैं। कल तक जो ओवर ड्राफ्ट था वह मैं स्पीकर को लिख कर दे देता हूं फिर आप उनसे पूछ लें, आपको पता चल जायगा कि मुझे मालूम है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : सेक्रेटरी को पूछिये मत और बता दिजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति का प्रश्न है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओवर ड्राफ्टिंग को कन्डेम किया है, सबने राजस्थान सरकार के ओवरड्राफ्टिंग को कन्डेम किया है, हमेशा हमारी स्टेट की तरफ ओवर ड्राफ्ट रहा है और बार-बार इस बात को चेतावनी दी है कि ओवर ड्राफ्ट की इजाजत नहीं दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नो स्पीचेज ओवर क्वश्चन, भाषण नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वित्त मंत्रीजी शीघ्र बतायें कि ओवर ड्राफ्ट कितना है।

श्री भैरोंसिंह : On a Point of Privilego Sir !

एक माननीय सदस्य : क्वेश्चन में यह नहीं पूछा गया है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, पोइन्ट आफ प्रिविलेज है।

श्री भैरोंसिंह : अभी एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्रीजी ने बताया कि उनको ओवर-ड्राफ्ट का मालूम है, अध्यक्ष को बता सकते हैं, सदन को नहीं बता सकते। मेरी समझ में मंत्रीजी ने जान बूझ कर सूचना नहीं दी है तो इसका एक ही मतलब है कि यह सदन के प्रिविलेज का प्रश्न है, इसके लिये मैं प्रिविलेज क्लेम करता हूं। अगर यह सूचना देना पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं होता तो इसके लिये वे साफ

(श्री भैरोंसिह)
कहते। सदन से इस बात को छुपा कर सदन का बहुत बडा अपमान किया है।

आप स्वयं भी महसूस करेंगे कि जो चीज पब्लिक इन्ट्रेस्ट में जाहिर करना उचित नहीं है उसके सिवाय मंत्री महोदय को और कोई अधिकार नियमों के अनुसार नहीं मिला हुआ है, जिसके कारण वह कोई भी जानकारी, जो इस सदन को दी जा सकती है, देने में हिचकिचायें। यह जानकारी उनको थी, उन्होंने अध्यक्ष महोदय को दी है। अध्यक्ष महोदय को जानकारी देने के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि वह जानकारी मैं अध्यक्ष के चेम्बर में जाकर ले सकता हूँ मेरी समझ में नहीं आता कि वह जानकारी जो मुझे दी जा सकती है, अध्यक्ष महोदय को दी जा सकती है, उस जानकारी से सदन को महरूम क्यों रखा जाता है और मैं इस संबंध में आपका निर्णय चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय को खुले रूप से इस सदन का इस प्रकार से अपमान करने का अधिकार है ?

एक माननीय सदस्य : Point of order.

श्री अध्यक्ष : No Point of order. माननीय सदस्य ने जो प्रिविलेज का प्रश्न उठाया, वह वास्तव में यदि जैसे माननीय सदस्य ने कहा, उसी स्थिति में, उसी संदर्भ में होता तो मैं उस पर ध्यान दे सकता था, किन्तु संदर्भ इससे विभिन्न है। जब मंत्री महोदय ने ओवर ड्राफ्ट के सम्बन्ध में यह कहा कि मुझे जानकारी है, मैं बता सकता हूं; लेकिन अध्यक्ष को बता सकता हूं, उस वक्त अगर यह प्रिविलेज का प्रश्न उठाया जाता तो संभवतः उसमें कुछ सार होता परन्तु माननीय सदस्य ने उसी समय अध्यक्ष को बताने की बात को स्वीकार किया जिससे यह अनुमान लगाया कि यह सदन की मर्जी है। इसलिये इस प्रश्न पर बोना-फाइडी या मेलाफाइडी या प्रिविलेज या नान-प्रिविलेज का प्रश्न पैदा नहीं होता। उस वक्त यह सवाल उठता तो मैं सदन की अनुमति मांगता। इसलिये प्रिविलेज का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इसको प्रिविलेज का प्रश्न नहीं मानें तो क्या औचित्य के बारे में आप निर्णय देंगे कि क्या एक मंत्री महोदय ऐसा स्टेण्ड ले सकते हैं कि एक ऐसा तथ्य जो रिलेवेंट हो प्रश्न से, जिसकी मंत्री महोदय को जानकारी हो और वह जानकारी देने से इन्कार कर दें, इस प्रकार का एटीट्यूड गवर्नमेंट की तरफ से उचित है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे तो इतना ही निवेदन करना है यदि इसमें छिपाने की मेरी इच्छा होती तो कोई बात भी होती। मैंने कई बार सदन के अन्दर अध्यक्ष को बता दिया है, सम्बन्धित सदस्य को दे दिया है और आज तक कभी कभी भी सदन में ओवर ड्राफ्ट के बारे में, बजट के समय के अलावा कभी भी डेली ओवर ड्राफ्ट या मन्थली ओवर ड्राफ्ट की क्या पोजीशन होती है, कभी नहीं रखी जाती है। मेरी सदन की तौहीन करने की कोई भावना नहीं है। जितना जरूरी होता है सदन के माननीय सदस्यों को कान्फीडेन्स में लेकर बताते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो कुछ वास्तविक स्थिति है क्यों नहीं कह दी जाती है, छिपाने जैसी क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय सदन को जानकारी देना उचित नहीं समझते ? किस कारण से जानकारी सदन से छिपाई जाती है ?

श्री विशंबरनाथ जोशी (बांदीकुई): पूरक प्रश्न प्रक्रिया के नियमों के अनुसार केवल मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर के स्पष्टीकरण के लिये ही पूछा जाता है। मंत्री महोदय जो उत्तर देते हैं उसके स्पष्टीकरण के लिये यह व्यवस्था है। क्या यह चीज प्रश्न से रिलेवेंट है, माननीय सदस्य बताने की कृपा करें। अलग प्रश्न के लिये अलग नोटिस आना चाहिये इसलिये मंत्री महोदय अपने अधिकार के अन्दर हैं यदि वह ऐसी जानकारी सदन को देने से इनकार कर दें।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के प्रश्न पर मैं सहमति प्रकट करता हूं किन्तु मैंने इस प्रश्न को थोडा सा रिलेक्स किया था, जो अंतर्गत नहीं था वह भी अंतर्गत कर दिया। श्री खेतसिंह।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : समय नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : व्यवस्था का सवाल है। जो जानकारी माननीय सदस्य चाह रहे हैं और सदन चाहता है, वह आपके माध्यम से अब इस सदन को उपलब्ध हो सकती है या नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था नहीं है। आसन ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह।

श्री भैरोंसिंह : आपको जो जानकारी मिली है, वह हमको मिल सकेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मैं दे दूंगा। अब यह प्रश्न खत्म होना चाहिये।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नत्थीसिंह : माननीय सदस्य ने जब मंत्री महोदय से जानकारी चाही तो मंत्री महोदय ने कहा कि चेम्बर में दे सकता हूं और वह जानकारी आपको दे दी गई है। तो वह जानकारी सदन को नहीं मिल रही है, तो क्या जाना जाय कि वह जानकारी जो दी गई है, वह केवल सदस्य विशेष, अध्यक्ष और मंत्री महोदय के बीच में है और पूरे सदन को महरूम रखा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(शोरगुल)

आर्डर, आर्डर।

व्यवस्था का तो प्रश्न नहीं है, प्रश्न सिर्फ यह है कि जो जानकारी मुझको दी गई है वह Fountain shutup and booksealed है या क्या है ? मैं जानकारी देने के सम्बन्ध में इस प्रश्न पर मौन नहीं रहना चाहता। प्रश्न खत्म होने के बाद मैं सदन को जानकारी दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो पहले ही कह दिया होता।

श्री मुकुटबिहारीलाल : सदन की भावनाओं की कद्र करते हुए आपने कहा है कि मैं जानकारी दे दूंगा

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल: (अश्रव्य) मैं समझता हूं कि यह सदन की भावनाओं का निरादर है, सदन का अपमान करना है। यदि कोई मंत्री हठधर्मी करे....

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। (शोरोगुल)

श्री मुकुटबिहारीलाल: सदन की मर्यादा आपके द्वारा सुरक्षित होनी चाहिये। सबको कान्फीडेन्स में लेकर चलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: श्री खेतसिंह।

शराब की दुकानें देने की पद्धति

37. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सन् 1966-67 में देशी शराब की दुकानें टेन्डर सिस्टम से दी गई थी अथवा आफर सिस्टम से ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष टेन्डर सिस्टम न रख कर आफर सिस्टम ही रखा है ?

(3) सन् 1966-67 में जयपुर, अजमेर जालोर व जोधपुर की दुकानें किस सिस्टम से दी गई थीं तथा उनसे क्या आमदनी हुई थी ? इस वर्ष 67-'68 के लिये किस सिस्टम से इन जिलों में दुकानें दी गई हैं ? उनसे क्या आमदनी हुई है ? गत वर्ष के मुकाबले कितना अन्तर रहा है व क्यों रहा है ?

आबकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): (1) सन् 1966-67 में देशी शराब की दुकानें नियमानुसार टेन्डर, नीलाम और निगोशियेशन तीनों पद्धतियों से दी गई थीं।

(2) इस वर्ष 1967-68 में देशी मदिरा की दुकानें गारंटी पर, नीलाम व निगोशियेशन पद्धति से दी गई हैं।

(3) सन् 1966-67 में जयपुर, अजमेर जालोर और जोधपुर जिलों की देशी मदिरा की दूकानें तीन पद्धति टेन्डर, नीलाम और निगोशियेशन पद्धति से दी गई थीं। सन् 1967-68 में इन जिलों की दुकानों को नीलाम व नेगोशियेशन पद्धति से दी गई हैं। 1966-67 तथा 1967-68 में प्राप्त जिलेवार गारंटी की सूची संलग्न है। यह साधारण वृद्धि न्यूनतम गारंटी निर्धारण में ट्रेन्ड इन्क्रीज वास्तविक खपत व मुख्यतया मार्च, 1965 में ड्यूटी में बढोतरी के कारण हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री शंकरलाल (जैतारण): निगोशियेशन पद्धति से किस प्रकार से दिया जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर: मिनिमम पद्धति जो होती है उसके अन्दर लास्ट थ्री ईयर्स की जो गारंटी थी उसका ऐवरेज निकलता है और उसके बाद में निगोशियेट करते हैं कि गत वर्ष की गारंटी से कम नहीं होना चाहिये और 5 प्रतिशत ट्रेन्ड इन्क्रीज ज्यादा होना चाहिये उस पर निगोशिएट करके देते हैं ताकि ट्रेन्ड इन्क्रीज भी हो जाय और लास्ट ईयर की गारंटी में नुकसान न हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह जो फारमूला आपने बताया है तीन साल का ऐवरेज निकाल कर 5 प्रतिशत ज्यादा लेकर उस आधार पर दे देते हैं क्या सरकार उचित नहीं समझती कि इस फारमूले को नियमों में इन्कारपोरेट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
कर दिया जाय, जिससे निगोनेशियेशन्स में किसी प्रकार की करप्शन की गुंजाइश नहीं रहे?

श्री मथुरादास माथुर : I will consider.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार के गारंटी सिस्टम के आधार पर शराब के ठेके देने के कारण ठेकेदारों में काम्पीटीशन की फीलिंग नहीं रहती है?

श्री मथुरादास माथुर : ठेकेदारों में काम्पीटीशन की स्प्रिट नहीं रहती है। यह जो प्रश्न आपने पूछा है, हर एक ठेकेदार को अपनी गारंटी फुलफिल करनी पड़ती है। उसके लिये वह ज्यादा बेचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी गारंटी फुलफिल हो जाती है तो उस हद तक काम्पिटीशन....

श्री भैरोंसिंह : नहीं नहीं। मेरा मतलब है कि एक ठेकेदार की गारंटी 500 लिटर बेचने की है। उसका साल का ठेका खतम हो गया। तीन वर्ष और लास्ट ईयर का औसत निकाल कर एड करके बतायेंगे। दूसरा ठेकेदार है वह 600 लिटर बेचने को तैयार है तो आप उसको कन्सीडर करेंगे या नहीं?

(9 म.पू.)

श्री मथुरादास माथुर: वह बढ़ सकता है। ठेकेदार ज्यादा बेचना चाहे तो बेच सकता है।

श्री भैरोंसिंह: बेच नहीं सकता है। इस प्रकार का ओफर देने वालों को कान्ट्रेक्ट दिया जा सकता है या नहीं?

श्री मथुरादास माथुर: ओफर दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि इसलिये नहीं माना कि पिछले ठेकेदारों ने गारंटी का अनुपात नहीं रखा इसलिये अगले वर्ष लिया है?

श्री मथुरादास माथुर: इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 5 परसेन्ट का फारमूला है उसको रूल्स में इन्कोर्पोरेट कर दिया जावेगा इसके माने रूल्स में यह नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर: रूल्स में निगोशियेशन, एवरेज और टेन्डर तीनों की व्यवस्था है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ): नेगोशियेशन्स में 5 परसेंट इन्क्रीज कर रहे हैं ऐसी हालत में अधिक से अधिक ठेका ले उसी को गारन्टी देते हैं। यह तो मेक्सिमम हुआ, मिनिमम कहां हुआ? गांधी के रास्ते पर आप चल रहे हैं? क्या सारे राजस्थान को मदिरालय बना रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आप प्रश्न पूछिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपकी नीति या इसको शराब को आप बन्द करना चाहते हैं क्या है? बढाना चाहते हैं?

(विराम)

एक माननीय सदस्य: आप जवाब दीजिये ना?

श्री रामानन्द अग्रवाल: सरकार एक नीति अपनाती है उसका दृष्टिकोण मिनिमम शराब बिके यह है या मेक्सिमम बिके? क्या नीति है?

Page No. 23

श्री मथुरादास माथुर: शराब की नीति यह है कि आवश्यकतानुसार बिके और जहां तक हो सके कम बिके।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जो स्थिति है उससे यही लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बिके यही आपकी नीति है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि गत वर्ष राज्य सरकार ने मद्य निषेध के सम्बन्ध में इस नीति की घोषणा की थी कि टेकचन्द समिति की सिफारिशों के अनुसार शराब बन्दी का फेज्ड प्रोग्राम राज्य सरकार स्वीकार करेगी। अब राज्य सरकार की नीति यह है कि पिछला ऐवरेज निकाल कर 5 परसेन्ट ज्यादा दी जाय यह राज्य सरकार की घोषित नीति और गत वर्ष जो आश्वासन दिया था उसके क्या यह विपरीत नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : इसको घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सब प्रश्नों का एक साथ ही जवाब दे दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान एक्साइज पोलिसी और प्रोहिबिशन पोलिसी पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है और वापिस पुरजोर शब्दों में उसको दोहराना चाहता हूं। यहां पर क्वेश्चन पूछने और जवाब देने का ही सवाल है। पोलिसी स्टेटमेंट में मैं नहीं जाना चाहता। इसको वक्त पर रखा जावेगा। इसमें कोई तरमीम होगी वह भी रख दी जावेगी। प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दे रहा हूं। राज्य सरकार प्रोग्रेसिवली प्रोहिबिशन की ओर बढ़ना चाहती है यही हमारी नीति है।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गत वर्ष निश्चित रूप से राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा की थी जिसकी पास में बैठे हुए वर्तमान गृह मंत्री से तस्दीक कर सकते हैं, पीछे बैठे हुए परसरामजी से जो इस के तत्कालीन मंत्री थे, उनसे भी इसकी तस्दीक करा सकते हैं, हरिदेवजी और बरकतुल्लाजी से भी इसकी तस्दीक करा सकते हैं कि राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि टेकचन्द समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है इस प्रकार से।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी नहीं किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फेज्ड प्रोग्राम के सिलसिले में नीति यह है कि हम प्रोग्रेसिवली प्रोहिबिशन की नीति अपनायेंगे। पांच परसेंट बढ़ा बढ़ा कर चल रहे हैं क्या आपका कदम उस प्रोहिबिशन की पोलिसी के खिलाफ नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : टेकचन्द समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अपनी टिप्पणी भारत सरकार को भेज दी है और भूतपूर्व आबकारी मंत्री ने सदन में जो कहा वह उसी आधार पर कहा। अब भारत सरकार जो इस पर निर्णय लेगी सब रियासतों से मिल जुल कर उसके बाद में टेकचन्द समिति की सिफारिशों पर अमल किया जायगा। जहां तक उनकी घोषणा का सम्बन्ध है हम यह चाहते हैं कि राजस्थान में मदिरा का वितरण कम हो। हम उसके खिलाफ नहीं हैं। पांच परसेंट ट्रेन्ड इन्क्रीज के लिये कहा वह आबादी के बढ़ने और साथ साथ में कई सोशियल कारण हैं वहां 5 परसेन्ट ट्रेन्ड इन्क्रीज लगता है तो क्या गुनाह है।

श्री **मस्तीसिंह** : आपके हिसाब से आबादी बढ़ने के साथ बच्चा जन्मते ही शराब पीने लगता है।

श्री **मथुरादास माथुर** : हर साल पीना शुरू कर देते हैं।

श्री **मनोहरसिंह** : आपके हिसाब से ही अब शराब बढ रही है तो बन्द कब करोगे आप ? आप तो और इसको बढाओगे।

श्री **खेतसिंह** : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जयपुर के ठेकेदार का सारा लोस कानोता हाउस में अभी कैम्प हुआ था उसमें पूरा किया गया ?

(हीयर हीयर की आवाजें)

एक माननीय सदस्य : जो लोग आप में से नहीं पीते थे उन्होंने भी शुरू कर दिया है शराब पीना दूसरों की बात छोडिये।

एक माननीय सदस्य : वह खेतसिंहजी के बंगले में पूरा हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम।

श्री **भैरोंसिंह** : डिप्टी मिनिस्टर खेतसिंहजी बनने वाले हैं।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

भेड प्रजजन केन्द्र के लिये भूमि

38. श्री **हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जसवन्तगढ, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में भेड व ऊन विभाग को भेड प्रजनन केन्द्र के लिये भूमि दी गई थी ?

(2) यदि हां, तो इस ग्राम में पडत चरागाह आंगोर मिला कर कितना बीघा भूमि है जिसमें से कितने बीघे दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त भेड प्रजनन केन्द्र के लिये ग्राम जसवन्तगढ में दी गई भूमि वापिस लेकर ग्राम बाकलिया में भूमि दी गई है ?

(4) यदि हां, तो ग्राम बाकलिया की चरागाह आंगोर व पडत मिला कर कितने बीघा भूमि है जिसमें से कितने बीघा भूमि दी गई है ?

(5) क्या यह सही है कि जिलाधीश नागौर ने जो प्रस्ताव जसवन्तगढ के बजाय बाकलिया में भूमि देने का भेजा है उसमें कारण यह बताया है कि जसवन्तगढ में कालेज का शिलान्यास हो गया है इसलिये बाकलिया में भूमि दी जावे ?

(6) यदि हां, तो जसवन्तगढ के कालेज के लिये कितनी भूमि दी गई है ?

(7) क्या यह सही है कि ग्राम जसवन्तगढ में चरागाह और पडत भूमि व आंगोर मिलाकर बाकलिया से ज्यादा है ?

(8) यदि हां, तो कितने बीघा और ग्राम बाकलिया में भूमि किस कारण से दी गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :
(1) जी हां।

(2) जसवन्तगढ में कुल 7,063 बीघा भूमि पशुओं के लिये चरने हेतु उपलब्ध है जिसमें से 469 बीघा 13 बिस्वा भूमि शीप ब्रीडिंग फार्म को अलाट की गई थी।

(बृज सुन्दर शर्मा)

(3) जी हां।

(4) ग्राम बाकलिया में 1915 बीघा 9 बिस्वा भूमि पशुओं के चरने के लिये उपलब्ध है जिसमें से 653 बीघा 17 बिस्वा भूमि शीप ब्रीडिंग फार्म को अलाट की गई है।

(5) जसवन्तगढ के बजाय बाकलिया में भूमि लेने की मांग भेड ऊन विभाग ने ही की थी क्योंकि जसवन्तगढ में जिस खसरे की भूमि आवटंन की थी उसके काफी हिस्से पर एरिडजोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर का, गोचर भूमि सुधार प्रदर्शन के सिलसिले में कब्जा था व कुछ हिस्से में कालेज व छात्रावास आदि बनाने की योजना होने से उस भूमि को भेड व ऊन विभाग ने लेना उचित न समझकर बाकलिया में भूमि आवटंन करने की मांग की।

(6) जसवन्तगढ में कालेज के लिये भूमि आंवटन की आज्ञा अभी जारी नहीं हुई है।

(7) जी हां।

(8) 5,147 बीघा 11 बिस्वा अधिक है। कारण वही है जो ऊपर खंड 5 के उत्तर में बताया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भीमसेन।

राजस्थान नहर क्षेत्र में कृषि भूमि आवंटन सम्बन्धी नियम

39. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या उपनिवेशन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान नहर क्षेत्र में कृषि भूमि के स्थायी तौर पर आवंटन हेतु नियम कब लागू किये जायेंगे ?

उपमंत्री उपनिवेशन (श्री मनफूलसिंह) : राजस्थान क्षेत्र में भूमि बिक्री एवं आवंटन नियम केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं।

कई माननीय सदस्य : जोर से बोलिये, आवाज नहीं आ रही है।

श्री मनफूलसिंह : राजस्थान क्षेत्र में भूमि बिक्री एवं आवंटन नियम केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। नियमों को लागू किये जाने के समय के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु राज्य सरकार नियमों को शीघ्र लागू किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

श्री भीमसेन : पिछले 8 वर्ष से सरकार की ओर से यही जवाब मिल रहा है। कोई ठीक जवाब देंगे आप ?

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या राजस्थान रेवेन्यू लाज कमीशन ने इस प्रकार की जमीनों के आवंटन के लिये सिफारिश की है ? क्या राज्य सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार किया है और निर्णय लिया है ?

उपनिवेश मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : अभी नियम बना कर भारत सरकार के पास भेजे हैं उसमें सम्मिलित है।

श्री **भीमसेन** : क्या यह सही है कि दो महीने पहले भारत सरकार से स्वीकार होकर राजस्थान सरकार को मिल चुके हैं ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : जी नहीं।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मथुरादास माथुर : ओवर ड्राफ्ट 1·6 करोड़ रुपया।

Page No. 26

श्री अध्यक्ष : ये पूरे सोलह करोड़ हैं या इधर उधर हैं। श्री दामोदर लाल व्यास।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (अध्यादेश सं. 7 सन् 1966) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : On a point of information Sir. यह अध्यादेश कब जारी हुआ था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दो दिसम्बर, 1966 को गजट नोटिफिकेशन हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान (गायों के निर्यात पर प्रतिबन्ध) अध्यादेश, 1966 (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1966) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कब जारी हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : 3 दिसम्बर, 1966 को।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री महोदय।

श्री मथुरादास माथुर (मंत्री, वित्त व कर विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त (राजस्व एवं आर्थिक कार्य) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं जिनके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं :—

अधिसूचना संख्या एफ. 5 (61) एफ. डी. सी. टी. 66 दिनांक 11 जनवरी, 1967 तथा अधिसूचना संख्या एफ. 5 (61) एफ. डी. सी. टी. 66 दिनांक 6 अप्रेल, 1967।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अन्तर्गत नियुक्ति (क-4) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं जिनके द्वारा राजस्थान पी. एस. सी. लिमिटेशन आफ फंक्शन 510 संशोधित किया गया है।

(1) अधिसूचना सं. एफ. 3 (104) नियुक्ति (क-4) 65 दिनांक 21 नवम्बर, 1966।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 3 (104) नियुक्ति (क-4) 65 दिनांक 30, जनवरी, 1967

(3) अधिसूचना संख्या 3 (17) नियुक्ति (क-4) 64 दिनांक 29 अप्रेल, 1967

श्री अध्यक्ष : श्री फतेसिंह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल। Just a minute Sir.

I draw your attention to Article 230 sub clause 5 which reads as :

"All regulations made under the proviso to clause (3) by the President or the Governor of a State shall be laid for not less then fourteen days before each House of Parliament or the House or each House of the Legislature of the

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

State, as the case may be, as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications, whether by way of repeal or amendment, as both Houses of Parliament or the House or both Houses of Parliament or the Houses of both Houses of the Legislature of the State may make during the session in which they are so laid.'

मेरा निवेदन यह है कि इस सैशन में इसके प्रारम्भ के दिन ही ये अध्यादेश और अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रख दिये जाते तो उनमें मोडिफिकेशन, संशोधन आदि पेश किये जा सकते थे। पर अब आखिरी दिन आने से इनको ले ही नहीं सकते इसलिये चूंकि इनको ले करने में काफी विलम्ब होगया है इसलिए मेरा निवेदन है कि इनको अगले सत्र में रखवाया जावे ताकि मोडिफिकेशन, संशोधन आदि कराये जा सकें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा ही होगा। यह सेशन कन्टीन्यू रहेगा इसलिये प्रश्न यह यहां नहीं उठता।

मैं सदन को सूचित करता हूं कि श्री फतेहसिंह को गृह समिति का सदस्य मनोनीत किया गया था पर उनकी अनुमति प्राप्त नहीं होने से उनके स्थान पर श्री बागसिंह को गृहसमिति का सदस्य मनोनीत करते हैं।

जल प्रवाय सम्बन्धी प्रस्ताव पर श्री जनस्वास्थ्य मंत्री

(9.14 म. प.)

जयपुर नगर में जल वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य।

श्री नारायण सिंह मसूदा (जनस्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर की जनसंख्या अनुमानतया 5!! लाख है जिसके लिये जल प्रदाय की व्यवस्था नगर से बीस मील की दूरी पर स्थित रामगढ़ बन्ध से तथा विभिन्न स्थानों के लगभग 1100 कुएं व जल कूपों द्वारा होती है। सन् 1963 में पुनर्निर्माण योजना के पूर्ण होने के साथ ही तथा कुओं का आवश्यक सुधार करने के उपरान्त जयपुर नगर की वर्तमान जल वितरण व्यवस्था का उच्चतम परिमाण इस प्रकार है:

1. राम गढ़ बन्ध 100 लाख गैलन प्रति दिन।

2. अमानी शाह के कुए 30 लाख गैलन प्रति दिन।

3. नगर के कुए 30 लाख गैलन प्रति दिन।

योग 160 लाख गैलन प्रति दिन।

गत दो वर्षों में वर्षा के निरन्तर अभाव के कारण रामगढ़ बन्ध में कच्चे पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न होने तथा विद्युत् शक्ति की सीमित मात्रा में सप्लाई होने से नगर को इस विभाग द्वारा 110 लाख गैलन प्रति दिन निम्न रूप में वितरित किया जा रहा है:

1. रामगढ़ बन्ध से 60 लाख गैलन प्रति दिन।

2. अमानीशाह के कुओं से, 25 लाख गैलन प्रति दिन।

3. नगर के कुओं से 25 लाख गैलन प्रति दिन।

योग 110 लाख गैलन प्रति दिन।

इस विभाग को अर्थात् वाटर वर्क्स को वर्तमान विद्युत शक्ति की सप्लाई भाखरा से

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

होती है किन्तु भाखरा की सप्लाई से 133 के. वी. के स्थान पर 90 के. वी. तक वोल्टेज कम रहता है और विद्युत् अधिकारी पूरा वाल्टेज सप्लाई करने में असमर्थ रहते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि रामगढ़, बन्ध गेट तथा अन्य पम्पिंग स्टेशनों पर सारे पम्प कार्य नहीं कर पाते । यही कारण है कि रामगढ बन्ध पर तीन पम्पों के स्थान पर 300 हार्स पावर के केवल दो पम्प ही कार्य कर रहे हैं और बन्ध गेट पम्पिंग स्टेशन पर भी पांच के स्थान पर केवल 3 पम्प ही कार्य कर रहे हैं । जब विद्युत् शक्ति की अस्थिरता रहती है तो ये पम्प भी सुचारु रूप से कार्य नहीं करते और इससे नगर की जल व्यवस्था में बाधा उपस्थित हो जाती है । विद्युत् विभाग ने रामगढ़ तक वर्तमान 11 के. वी. ट्रान्समिशन लाइन को 33 के. वी. ट्रान्समिशन लाइन में बदल दिया है । किन्तु इससे भी कोई सुधार नहीं हो सका है । अमानी शाह बन्ध गट व रामगढ़ पर बड़ी क्षमता के ट्रान्सफारमर लगा दिये गये हैं किन्तु इतना प्रयत्न करने पर भी भाखरा से कम वाल्टेज प्राप्त होने के कारण पम्प निरन्तर कार्य नही कर पाते । पहले इस विभाग को चम्बल से विद्युत् शक्ति प्राप्त होती थी किन्तु वहां पर भी वर्षा भाव के कारण नगर के लिए विद्युत् शक्ति वितरण बहुत कम करदी गई है ।

वर्तमान स्थिति पर काबू पाने के लिए इस विभाग द्वारा किये गये उपाय :—

1. जयपुर के चहूं ओर विकासोन्मुख विविध क्षत्रों में पानी की बढ़ती हुई मांग को देखकर और रामगढ़ बन्ध में पानी की कमी को देखते हुए इस विभाग ने निम्न स्थानों पर पम्पिंग स्टेशन, जल कूप, ओवर हैड टैन्कस व भूगर्भ जलाशय बनाने की क्षेत्रीय योजनाएं बनाई हैं :—

1. आदर्शनगर
2. सिविल लाइन्स
3. तिलकनगर
4. नाहरी का नाका
5. बापू नगर

इसके अतिरिक्त गांधीनगर व बजाजनगर की क्षेत्रीय योजनाएं भी लगभग पूर्णता पर हैं । इन क्षेत्रीय योजनाओं के कार्यान्वित होने पर यह विभाग रामगढ़ बन्ध का पानी बचाने में समर्थ हो सकेगा जिससे जयपुर नगर के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है ।

2. वर्षाभाव के कारण हुई स्थिति पर अधिकार पाने हेतु वर्तमान वितरण व्यवस्था को उन्नत करने के लिए गत अक्टूबर 1966 में सहायतार्थ राज्य सरकार ने चार लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी । इस योजना के अन्तर्गत इस विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में 16 जलकूप निर्माण करने का कार्य किया है जो पूर्ण हो चुका है । आठ पम्पिंग स्टेशनों के लिये पम्प प्राप्त हो चुके हैं और लगाये जारहे हैं । शेष पम्पों के भी एक मास की अवधि में प्राप्त होने की आशा है । जैसे ही विद्युत् शक्ति उपलब्ध होगी और पम्प प्राप्त हो जायेंगे ये जलकूप कार्य करने लगेंगे । इसके अतिरिक्त नगर के कुछ उपयुक्त कुओं में भी पम्प लगाये गये हैं जिससे पानी सीधा ही मुख्य पाइप लाइनों में पहुंचाया जा सके और जल वितरण में उन्नति हो सके । ऐसे दस कुओं में जो नगर में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं पम्पिंग सेट लगा दिये गये हैं । इन दस

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
कुओं में से तीन कुओं ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। और शेष भी विद्युत् शक्ति उपलब्ध होते ही कार्य करने लगेंगे।

नगर के विभिन्न भीतरी व बाहरी क्षेत्रों में वर्तमान जल वितरण का समय प्रातः 4.30 से 8.30 तक और सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक है। इस अवधि में जल वितरण सुचारु रूप से करने के लिए यह विभाग पूर्ण रूप से चेष्टा करता है किन्तु कभी कभी बिजली का कम वाल्टेज होने अथवा बिजली बन्द हो जाने के कारण वितरण नियमित नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त 70-80 कुएं तो चौबीस घंटे ही चालू रखे जाते हैं जिससे जल वितरण की लाइनें खाली न हो सकें और नीचे व ढालू क्षेत्रों में जल वितरण निरन्तर हर समय होते रहें। इस प्रकार कुओं के पास वाले सार्वजनिक नलों में जल वितरण का अभाव नहीं रहता और जन साधारण को पूरे दिन भर पानी मिलता रहता है।

स्थायी हल

इस विभाग द्वारा किये गये सुधार कार्यों के उपरान्त भी जयपुर नगर को अधिक जल वितरण की आवश्यकता है क्योंकि जन संख्या बढ़ती जा रही है और नये नये क्षेत्रों का विकास हो रहा है जिनके निर्माण कार्य में अधिक जल की आवश्यकता होती है। समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए इस विभाग ने एक नवीन योजना को तैयार करने का कार्य आरम्भ किया है जिसके द्वारा बनास नदी से जल प्रदाय की व्यवस्था करना है। इसको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, जब कि आवश्यक धनराशि उपलब्ध होगी, लेने का विचार किया गया है क्योंकि जयपुर के आसपास बनास नदी के अतिरिक्त जो जयपुर नगर से 100 मील की दूरी पर है, अन्य कोई ऐसा स्थायी व विश्वस्त साधन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : On a point of clarification Sir.

एक माननीय सदस्य : जो स्टेटमेन्ट दिया गया...

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भैरोंसिंह जी, उनको प्राथमिकता दी जावे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में दो जानकारी करना चाहता हूं आपने जो जयपुर की जनसंख्या बताई है उसके अनुसार कितने पानी की आवश्यकता है, इस महीने में कितनी आवश्यकता है अगले महीने में कितने पानी की आवश्यकता होगी। पानी जो आप दे रहे हैं वह कितनी आवश्यकता की पूर्ती करता है और कितनी कमी है व कमी को पूर्ण करने के लिए आपके द्वारा क्या इन्तजाम किया जारहा है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा (जन स्वास्थ्य मंत्री) : साढ़े पांच लाख की आबादी है। प्रति व्यक्ति बीस गैलन का हिसाब लगाने से 1.10 लाख का अनुमान आता है मैं मानता हूं इसके अन्दर पर्याप्त रूप में जल मिलने में कुछ कमी होती है तो उसके लिए हमने जल वितरण का समय निर्धारित कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस खर्चे में बाग बगीचे आदि में जो पानी दिया जाता है वह भी सम्मिलित है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : रोजाना के बाग बगीचे और सब आ गये क्या ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : हां इसमें सब आगये।

श्री भैरोंसिंह : बाग बगीचे मंत्री आदि सब आगये ना ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : हां वे सब आगये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : शोर्टेज आफ इलेक्ट्रिसिटी, पानी की कमी और बिजली की कमी ये दो प्रकार की कमियों के कारण यह दिक्कत है यह आपने बताया। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो कुओं के निर्माण करने की योजना रखी है उसके लिए आपने जगह सूटेबल नहीं देखी। सिविल लाइन्स में आप कुए बना रहे हैं लेकिन आपको यह पता होना चाहिये कि इसके अलावा भी ऐसी कई बस्तियां हैं जिनमें आपकी सारी स्कीमों के बावजूद, जैसे चान्दपोल की तरफ आदि ऐसी जगह हैं जहां आपको कुओं का निर्माण करना चाहिए। सिविल लाइन्स में न बिजली की कमी है और न पानी की कमी है। लेकिन दूसरी बस्तियों में दोनों प्रकार की कमियां हैं उस ओर पहले ध्यान दिया जाना चाहिये।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई कारखाने ऐसे हैं जो दिन रात चलते हैं जो सारी बिजली कन्ज्यूम कर लेते हैं। इसलिए कारखानों के लिए बिजली सप्लाई करने का टाइम निश्चित किया जाय। उसके बाद बिजली बचती है वह पानी की सप्लाई के लिए दी जाय।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जानकारी चाही थी वह साफ तौर से सामने नहीं आयी। मैं इस सम्बन्ध में यह जानकारी करना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार की व्यवस्था बताई है, पिछले साल भी इसी प्रकार की व्यवस्था बताई गई थी और उससे पहले भी इसी प्रकार की व्यवस्था का जिक्र किया गया था। आपने उत्तर देने में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जयपुर की जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है इसके लिए दोषी आपके दोनों विभागों का एक दूसरे से तालमेल नहीं होना है। पानी की कमी आपको अपने बंगलों में दिखाई नहीं दे सकती। आपको पानी की कमी को देखना है तो आप मेरे साथ चलिए, जो यह कहते हैं कि जयपुर शहर में कोई मिनिस्टर घूम नहीं सकता, मैं मंत्री महोदय को साथ लेकर चलता हूं उन पर किसी प्रकार की आंच नहीं आयगी और यह जनता का भ्रम भी दूर होजायगा कि कोई मंत्री नहीं निकलता। आप चलिए आपको बताऊंगा पब्लिक नलों पर किस प्रकार सरकार को गालियां दी जाती हैं, वहीं आपको पानी की वास्तविक कमी का आभास हो सकता है। आपको पता चल जायगा कि जो समय आपने निर्धारित कर रखा है उसमें पानी आता है या नहीं।

मैं आज का ही जिक्र करूं मैं जब बाथ रूम में स्नान करने के लिए गया तो पानी आ रहा था लेकिन जब मैंने शरीर पर साबुन मल लिया तो पानी बन्द। तो मेरे लिए आफत होगई।

श्री अध्यक्ष : आप किस स्वरूप में थे

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर विशेष सुविधा है। बोरिंग वहां लगा हुआ है फिर भी एम. एल. एज. क्वार्टर की यह हालत है तो दूसरी जगह

(श्री भैरोंसिंह)
की क्या स्थिति हो सकती है। सार्वजनिक नलों पर खड़ा होकर यह पता लगाया जा सकता है।

राजस्थान में कांग्रेसी शासन में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिससे जनता को पानी समय पर उपलब्ध हो सके, अन्न की आप व्यवस्था नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार आप नहीं मिटा सकते, तो नहीं मिटाये लेकिन राजस्थान की राजधानी में जो पानी की कमी है वह भी आप नहीं मिटा सकते तो इसे आपके निकम्मेपन के अलावा मैं कुछ कह सकता।

जहां तक पानी की व्यवस्था करने का सवाल है यह आपने पिछले साल भी कहा था। लेकिन आप केवल यह बतला दीजिये कि जिस अनुपात से राजधानी की जनसंख्या बढ़ रही है, आप पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। आप यदि यह महसूस करते हैं कि पानी की आवश्यकता उतनी नहीं है तो आप पब्लिक नलों पर चलकर देखिये वहां आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो जायगा मैं आपकी रक्षा की गारन्टी लेता हूं आप मंत्री के नाते न जाकर एक साधारण नागरिक के समान वहां पर जाकर देखिये और उनकी बातों को सुनिये, वहां प्रत्यक्ष रूप में आपको गालियां सुनने को मिलेंगी। आपको उसका हकदार तो होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको गाली सुनाने वालों के गिरोह से सुरक्षित ढंग से निकाल कर ले आऊंगा। मेरा निवेदन यह है कि सरकार की ओर से जयपुर के पानी के मसले को हल करने के लिये क्या योजना है?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह आप भाषण कर रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह समझता हूं कि जयपुर का नमक खाकर भी यहां के पानी की समस्या के प्रति आपका यह दृष्टिकोण है।

एक माननीय सदस्य : जयपुर का नमक नहीं हम अपने इलाके का नमक खाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी हालत में मैं मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि....

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : मैं श्री खेतसिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सुखाड़िया जी के स्वभाव को जाना नहीं। इस तरह से उनकी चिलम भरने से वे आपको डिप्टी मिनिस्टर बनायेंगे नहीं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (अकाल सहायता मंत्री) : ये तो मिनिस्टर बनेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आप इस प्रश्न को गंभीरता से लें। राजस्थान की राजधानी में पानी का जब सवाल उठता हो तो यह व्यवहार आपका उचित नहीं है। पानी की समस्या राजधानी में हमेशा से चलती रही है, सत्तर करोड़ का आपने मास्टर प्लान तैयार किया है केवल कागजों पर। आप उस योजना को कब तक समाप्त कर पायेंगे। हर बात की स्कीमें बनाई जाती हैं लेकिन वे पूरी नहीं होती। पानी के बारे में आपकी जो यह योजना है वह भी उसी प्रकार की है, आप योजना बनाकर कागजों में जनता की प्यास नहीं बुझा सकते। कहा जाता है बिजली की कमी है बिजली बराबर उपलब्ध नहीं होती इस कारण यह कमी है। मैं समझता हूं यह दोनों विभागों का आपसी मसला है। आप यह कहकर बच नहीं सकते कि बिजली नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

मिलती। बिजली लेना और देना यह दो विभागों का मसला है इस लड़ाई में जनता को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय जो कि बिजली विभाग के इन्चार्ज भी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह कहीं और से कटौती करें जहां से सम्भव हो सके जिससे राज्य सरकार को नुकसान नहीं हो और जनता को विशेष असुविधा नहीं हो। जनता को सुविधा से पानी उपलब्ध हो उनकी मांग पर इस समस्या का समाधान करने की चेष्टा करें तो अच्छा रहेगा और इस संबंध में मुझे यही निवेदन करना है।

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : मेरा निवेदन यह है····

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल, जयपुर) : मेरा थोड़ा सा निवेदन है उसको सुन लें फिर एक साथ ही जवाब दे दें।

श्री **हरिदेव जोशी** (सिंचाई एवं बिजली मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पानी की जो कठिनाई जयपुर शहर में है काफी हद तक राजस्थान के कई हिस्सों में भी उसी प्रकार की कठिनाई है। माननीय सदस्यों को यह नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान के कई हिस्से ऐसे हैं कि जहां बिजली भी मिल जाती है, दूसरी सुविधायें भी हो सकती हैं लेकिन फिर भी पानी वहां पर नहीं है और राजस्थान में कई स्थानों पर पानी रेलों के द्वारा पहुंचाना पड़ता है। इसलिए यह कहना कि गवर्नमेन्ट उस ओर ध्यान नहीं देती है यह सही नहीं है। जो हालात राजस्थान के अन्दर पिछले 3 सालों से पैदा हुए हैं उनका एक परिणाम है कि वाटर लेवल नीचे चला गया है, इस कारण से कई गांवों के अन्दर आज बिजली मिल जाये तब भी वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट उतना पानी पम्प नहीं कर सकता जितना वह आज करता है। इसलिए आज एक क्राइसेस हमारे सामने है और अब रहा सवाल बिजली का। बिजली की स्थिति माननीय सदस्यों से छिपी हुई नहीं है। आज गांधीसागर में पानी का लेवल किस हद तक नीचे चला गया है यह भी हमसे छिपा नहीं है, भाखरा का हाइडल प्लान्ट कितनी बिजली दे पाता है यह भी हमसे छिपा हुआ नहीं है और पिछले दिनों पंजाब में स्ट्राइक के कारण से कुछ अव्यवस्था पैदा हुई उससे कुल मिलाकर के आजकल जो कठिनाइयां हैं वह स्ट्राइक के पीछे के परिणाम हैं जिनको कि हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैंने आज ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों को यह कहा है, वहां पहले भी आदेश था किन्तु पानी को टॉप प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, इन्डस्ट्री को बाद में दो और उसके बाद में जयपुर शहर के अन्दर जो थर्मल प्लान्ट है उसको एक्सक्लुजिवली जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होता है दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं किया जाना चाहिए। (हियर, हियर) आज ही मैं उसकी मीटिंग बुला रहा हूं, मगर उसमें देर लगेगी···

श्री **भैरोंसिंह** : आज भी नहीं हो रही है।

श्री **हरिदेव जोशी** : मगर उसमें देर लगेगी क्योंकि हमारा सिस्टम यह है कि यहां हाइडल प्लान्ट से जो पॉवर आती है उसी से वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट को बिजली दी जा रही है। थर्मल प्लान्ट स्टेण्ड-बाई था जो कि केवल शहर के अन्दर फेल्योर के ऊपर बिजली

(श्री हरिदेव जोशी)
देने के लिए, रोशनी देने के लिए या इन्डस्ट्री के लिए उनका लिंक था। अब उस सिस्टम को उससे जोड़ा जायेगा उसमें कुछ समय लग सकता है किन्तु पिछले 3 महीनों के अन्दर हमने 5 सब-स्टेशन कायम किये हैं और 5 सब-स्टेशन कायम करके आज इसके ऊपर ध्यान दिया है मगर इन दो चीजों को किसी कदर भी आज पूरा करने की स्थिति में नहीं है एक तो वाटर लेवल को ऊंचा लाना और जो फ्लकचुएशन भाखरा से होता है उसको किसी कदर कम करना। जब तक यह कठिनाइयां पूरी नहीं होती हैं तब तक कठिनाइयां बनी रहेंगी, एक हद तक बनी रहेंगी। लेकिन मैं यह निवेदन करदूं कि राजस्थान के गांवों के अन्दर बसने वाले किसानों को जो पानी दिया जाता है, राजस्थान के और दूसरे हिस्सों में पानी दिया जाता है उसकी अपेक्षा आज भी जयपुर शहर को काफी पानी दिया जा रहा है....

श्री मूलचन्द डागा : 4 गुना।

श्री हरिदेव जोशी : और राजस्थान के कई कस्बे ऐसे हैं कि जो कि बीस-बीस मील से पानी लाते हैं जब कि जयपुर शहर के लोगों को अपने घरों के आंगन के अन्दर पानी मिलता है और ज्यादा से ज्यादा पड़ौस में मिल जाता है।

श्री भैरोंसिंह : यह इन्तजाम आपने नहीं किया है भूतपूर्व रियासतों ने किया है।

श्री हरिदेव जोशी : ठीक है। अब रहा सवाल बीच के शहर का और उसका वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट जो भूतपूर्व रियासत के जमाने का सिस्टम था उसको और शहर के बाहर के डिस्ट्रिब्यूशन का सिस्टम है उसको इन्टरलिंक कर रहे हैं। आज अन्दर के हिस्से को तो रामगढ़ का पानी मिलता है और शहर के बाहर के हिस्सों को ट्यूब वेल्स का पानी मिलता है, अमानीशाह का पानी मिलता है और जब तक सारे सिस्टम को लिंक नहीं करते हैं तब तक कठिनाइयां बनी रहेंगी इसमें 1-2-लाख रुपया नहीं, 4-5-लाख रुपया नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों की जरूरत है इसलिए सारी वित्तीय स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने जो प्लान बनाया है वह भारत सरकार के सामने है और पिछले वर्ष एल० आई० सी० के लोन को लेने की कोशिश की गयी थी और मैं आशा करता हूं कि एल० आई० सी० के द्वारा जयपुर शहर के लिए लोन मिल जाने के बाद जो राजमहल की योजना है वह कार्यान्वित की जा सकेगी और जयपुर को भी जिस प्रकार से दूसरे हिस्सों से ज्यादा पानी मिल पाता है उस तरह से पानी मिल सकेगा। मैं माननीय सदस्यों को एक विश्वास दिला सकता हूं कि जहां तक इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, कुछ और साधनों की आवश्यकता है वह भोपाल से मंगवा लेते हैं और साधनों के आते ही इसके अन्दर इम्प्रूवमेन्ट कर दिया जायेगा और जो फ्लकचुएशन के कारण से और ड्रॉप्स के कारण से कठिनाई है उसको हम इस महीने के अन्दर अन्दर ही मीट आउट कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) : आर्डर, आर्डर, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। हमारे प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के आधार पर वक्तव्यों पर स्पष्टीकरण ही मांगा जा सकता है, लेकिन इन

(श्री अध्यक्ष)

वक्तव्यों पर वाद-विवाद होने लगता है और उसमें भी समय इतना अधिक लिया जाता रहा है कि इसका प्रभाव दूसरे बिजनेस पर पड़ा करता है। मैं इस प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के प्रभाव के संबंध में सतर्क हूं किन्तु साथ ही मैं कुछ उदार भी होना चाहता हूं, ताकि किसी सीमा के अन्तर्गत कहीं विवाद थोड़ा बहुत संक्षेप में अगर हो सके तो उसके प्रति विवशता के आधार पर कभी मैं उदासीन रह जाऊं लेकिन मेरी इस उदासीनता का अर्थ यह नहीं कि वक्तव्य पर वाद-विवाद हो सकता है। आज जब कि बिजनेस बहुत ज्यादा है मैं माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करूंगा। एक और स्टेटमेन्ट है उसके बाद में उपाध्यक्ष का निर्वाचन है और रिप्लाई है अभिभाषण पर इन सारी सीमाओं को देखते हुए कम से कम समय लिया जा सके नियमों के अन्तर्गत, तो हम अपनी परम्परा निभा सकेंगे।

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार**।

श्री **भगवानदास** (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है अजमेर के पूरे जिले में पानी नहीं मिलता है और इनके लिए किसी प्रकार का विश्वास नहीं आया...

श्री **मदन सिंह**: अध्यक्ष महोदय, मैंने बिजली देने के समय के लिए निवेदन...

श्री **अध्यक्ष**: मैंने श्री बाढ़दार को अवसर दिया है।

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 20 साल निरकुंश शासन करने के बाद चार-चार और पांच-पांच साल की बड़ी योजनाओं को बनाने के बाद और 16 करोड़ रुपये के ओवर ड्राफ्ट को लेने के बाद आज जयपुर में पानी की समस्या के लिए कहते हैं। मैं केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पानी को जीवन भी कहते हैं और इस जीवन जैसे प्रश्न को लेकर आज पहली बार ही राजस्थान सरकार के सामने यह समस्या नहीं आ रही है पहले भी कई बार आ चुकी है। सरकार पहले भी कई बार कमेटी का निर्माण कर चुकी है। लेकिन जहां पानी का सवाल आता है तो बडा आश्चर्यजनक उत्तर दिया गया है कि राजस्थान की पापुलेशन का ध्यान दें या इधर की ओर। उन्होंने बताया कि गांवों में ऐसे भी स्थान हैं जहां बीस-बीस मील से पानी लाना पड़ता है लेकिन मंत्री महोदय का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी जयपुर के अन्दर 5 साल पहले पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं थी। क्या आप चाहते हैं कि राजस्थान के और गांवों में 20-20 मील से पानी लाना पड़ता है लिहाजा जयपुर की जनता को 20-20 दिन में एक बूंद भी पानी नहीं मिले? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि क्योंकि राजस्थान में में बीस-बीस मील से पानी लाते हैं लिहाजा जयपुर में यह स्थिति कर दी जायेगी कि यहां की जनता भी बीस-बीस मील दूरी से पानी लाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप कहते हैं कि पानी का लेवल नीचे चला गया है मैं आपको कहता हूं कि पानी का लेवल नीचे नहीं गया है अपितु मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों की आंखों के पानी का लेवल भी नीचे चला गया है अगर

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

आपकी यही स्थिति रही तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़े से ही पैसों में काफी समस्या हल हो सकती है। इतने लाखों रुपयों के लगाने की आवश्यकता नहीं है। पानी की इमीडियेट व्यवस्था करने के लिए जो पुराने कुए बने हुए हैं उन पर हैंड पम्प लगाने की व्यवस्था यदि कर दी जायेगी तो हजारों रुपयों में ही 100-50 कुओं में हैंड पम्प लग सकते हैं लेकिन जब छोटे छोटे सवाल आपके सामने आते हैं तो आप नजर अन्दाज कर देते हैं और लाखों रुपयों की योजनाओं के लिए कहते हैं। आपके पास न तो इतने पैसे आयेंगे और न ये योजनायें पूरी होंगी। न तो 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। फौरन इन्तजाम करने के लिए थोड़े से पैसों से आप हैंड पम्प लगवाकर काम चला सकते हैं ताकि पानी की व्यवस्था हो सके।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक कोंक्रीट एग्जाम्पल दे देता हूं, उस पर थोड़ा आप विचार करेंगे और आपस में बैठ कर इस पर निर्णय करेंगे तो बडी सुविधा हो जायगी। अभी 2 दांता-रामगढ़ में ऐसे ही हुआ था तो वहां पर भी इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि टाईम को बांट दिया गया है। वहां पर भी कुओं पर पानी नहीं आता था तो समय बांटा गया और समय बांटने से सब जगह सभी कुओं पर पानी मिलने लग गया। अभी आपने कहा कि यहां पर बिजली की बड़ी कमी है तो जो बडी 2 फैक्ट्रीज हैं उनका समय बांट दिया जाय तो कम से कम जो इलेक्ट्रिसिटी की कमी है वह नहीं होगी और इससे जो पानी की कमी होती है वह कभी भी दूर हो जाएगी। इसी तरह से जो दूसरी जगहों पर पानी की बर्बादी होती है उसको भी रोका जाय। आपके यहां सचिवालय में खस के टाटे लगे हुए हैं जिन पर दिन भर पानी गिरता रहता है। एक ओर तो जयपुर के नागरिक प्यासे मरें और उधर आपके सचिवालय में दिन भर पानी गिरता रहे तो यह तो मोरली भी वाजिब नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस पर किसी दलबन्दी से विचार करना ठीक नहीं है। यदि समय बांट कर पानी की सप्लाई की जाय और बिजली भी समय बांट कर दी जाय तो काफी सुविधा हो जाएगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जैसा अभी मंत्री महोदय ने कहा कि वाटर वर्क्स को इलेक्ट्रिसिटी में प्रायोरिटी दी जाएगी, तो उसी तरह से मैं यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान के दूसरे शहरों में और अलवर शहर में भी जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने की वजह से वाटर की कमी है और जैसे जयपुर शहर में प्रायोरिटी इलेक्ट्रिसिटी को दी जा रही है तो क्या वैसे ही अलवर शहर में भी दी जाएगी।

श्री शिवचरण सिंह (महुआ) : यह प्रश्न तो जयपुर का चल रहा था और अलवर बीच में आ गया।

श्री अध्यक्ष : अलवर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर सभी जगह का देख लीजिए।

श्री शिवचरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं। जो जयपुर का राजघराना है

(श्री शिवचरणसिंह)
उसको पानी बड़ी भारी तादाद में सप्लाई होता है और क्योंकि पानी की कमी है इस वजह से उनका कनेक्शन काट कर आम जनता को कनेक्शन दिए जायं। राजघराना तो स्वयं इस स्थिति में है कि वह खुद अपना वाटर वर्क्स रख सकते हैं और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। जो माननीय सदस्यों ने पानी की समस्या को हल करने के लिए सुझाव दिए हैं तो मेरा भी यह सुझाव है कि सर्व-प्रथम राजघराने का कनेक्शन काट दिया जाय और वह पानी जनता को दिया जाय।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, सतीशचन्द्र।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य को भेज दिया जाय वाटर वर्क्स में और वे जाकर देख लें राजमहल और राज भवन को कि किसमें ज्यादा खर्चा होता है। जहां ज्यादा पानी खर्च होता हो वहां का कनेक्शन ही काट दिया जाए।

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार** : मंत्रियों के बंगलों के कनेक्शन भी काट दिए जायं।

श्री **सतीश चन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्षजी, जयपुर की जल समस्या के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है . . .

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : राजधानी का प्रश्न होते 2 दूसरी सब जगहों की चिन्ता भी यहां पर हो गई, उनके यहां भी कुछ होगा या नहीं इस पर भी विचार हो गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजधानी की पैरवी तो काफी हो गई है, दूसरी जगहों पर भी जल की समस्या है, अजमेर की भी समस्या है . . .

श्री **अध्यक्ष** : आप स्वतः ही देख लीजिए अजमेर की समस्या को तो।

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : वे तो राजधानी का अन्न खाते हैं तो उनको तो राजधानी की चिन्ता होगी लेकिन दूसरे गांव और भी हैं।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से अपने नगर की ज्वलन्त समस्या की ओर राज्य सरकार का ध्यान हमने आकर्षित किया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य के दूसरे भागों में पेय जल की कोई समस्या नहीं है। अन्य क्षेत्रों में भी अनेक प्रकार की समस्यायें होती हैं और जिस जिस क्षेत्र के माननीय सदस्य हैं वे उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हैं। उदयपुर जिले के सदस्यों ने भी अपने यहां की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है। शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री खेतसिंहजी ने सांडों की समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इसलिए यह कहना कि जयपुर की प्रोब्लम की ओर ही ध्यान आकर्षित किया गया और बाकी जगहों की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया गया या ध्यान आकर्षित न किया जाय, यह कभी भी हमारा आशय नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि पिछले तीन सालों से लगातार जयपुर में गर्मियों में पानी का गम्भीर संकट रहा है। जयपुर शहर की आबादी साढ़े पांच लाख की है और पचास गैलन प्रति व्यक्ति के औसत से यदि हिसाब लगाया जाय तो लगभग 250 लाख गैलन की आवश्यकता प्रति दिन रहती

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
है । अध्यक्ष महोदय, इस समय सरकार की ओर से 110 लाख गैलन...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप पचास गैलन प्रति व्यक्ति की मांग कर रहे हैं । जरा सोचिए तो कि पचास गैलन कितना होता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पचास गैलन में आपके बाग बगीचे भी शामिल होते हैं । बाग बगीचे और दूसरे कामों के अन्दर चालीस प्रतिशत पानी निकल जाता है । मैं आपको एवरेज के तौर पर बता रहा हूं । इस समय आप 110 लाख गैलन पानी देते हैं जिसमें आपके सब प्रकार के खर्चे भी शामिल हैं । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार पिछले तीन साल से यह टैम्प्रेरी व्यवस्था करती आ रही है । मंत्री महोदय ने बताया कि हमारे पास बिजली की कमी है और इसलिए हम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाते । भूतपूर्व मंत्री महोदय ने भी इस बात का संकेत दिया कि पानी के लेवल में कमी हो गई है और इसलिए इस समस्या को हल नहीं कर पाते हैं । मैं निवेदन करता हूं...

श्री हरिदेव जोशी : पानी के लेवल की ही बात नहीं है, दो तीन चीजें और भी कहीं हैं और सब फैक्टर्स को मिला कर इस पर असर पड़ता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपसे इतनी बात जानना चाहता हूं कि पिछले तीन चार साल से जयपुर शहर में विशेष रूप से पानी का जो संकट है, पीने के पानी का जो संकट है और जिसके लिए टैम्प्रेरी व्यवस्था आपने जयपुर शहर में पम्पिंग सेट लगाकर करने की कोशिश की है । जहां आपको 10 पम्पिंग सेट लगाने थे उसकी जगह आपने कुल 3 सेट लगाये हैं बाकी जगहों पर बोरिंग लगा रहे हैं । जो पानी का संकट रहता है वह बिजली की कमी से रहता है । आपको भाखरा से बिजली मिलती है वह रेगुलर नहीं मिलती है । इसका कारण यह हो सकता है कि भाखरा के कन्ट्रोल बोर्ड के अन्दर दुर्भाग्य से राजस्थान का कोई हैंड नहीं है, इसके कारण भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड से राजस्थान को जितनी बिजली मिलनी चाहिए, उतनी बिजली नहीं मिलती है । उस भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड के ऊपर राजस्थान सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है । मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भाखरा से राजस्थान को नियमित रूप से बिजली मिलती रहे इस बात की व्यवस्था कराने के लिए केन्द्र के ऊपर और पंजाब की सरकार पर दबाव डालना चाहिए । भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड के अन्दर हमारा सही प्रतिनिधित्व हो, हमारे अपने आदमी हों जो राजस्थान के इंटरेस्ट का ध्यान रख सकें और राजस्थान को रेगुलर बिजली मिलती रहे इस बात की व्यवस्था करने की आवश्यकता है । दुर्भाग्य इस बात का है कि भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड के अन्दर राजस्थान का कोई रिप्रजेन्टेशन नहीं है, राजस्थान के इंटरेस्ट को कोई देखने वाला नहीं है और इसीलिए पंजाब की जरूरतें पहले पूरी होती हैं और बाकी बची खुची बिजली राजस्थान को दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें पीने को पानी भी पूरा नहीं मिल रहा है । गांव गांव में लोग प्यासे मर रहे हैं और सरकार यहां गांव और शहर के बीच में फर्क कर रही है । इसलिए मैं निवेदन करता हूं इस माध्यम से कि भाखरा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कन्ट्रोल बोर्ड के अन्दर हमारा पूरा प्रतिनिधित्व हो, हमारा पार्टीसिपेशन हो, उस मैनेजमेन्ट के अन्दर अपना आदमी रखा जाय। जो 33 के. वी. की ट्रांसमिशन लाईन है उसके अन्दर 11 के. वी. इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां के थरमल प्लान्ट को जल्दी से जल्दी चालू किया जाय, जयपुर का जो मास्टर प्लान है, जिसमें एल. आई. सी. से लोन लेने की जो योजना है, जयपुर शहर की जल प्रदाय की जो योजना है उस पर प्रभावशाली ढंग से कदम उठाया जाय। इसमें जयपुर और अजमेर का कोई प्रश्न है, इसमें शहर और गांव का कोई प्रश्न है जहां जहां पर भी आपकी जल प्रदाय योजनाएं हैं उनको तुरन्त पूरा किया जाय और जयपुर शहर के लिए जो आपका मास्टर प्लान है उसको अमल में लाया जाय, थरमल पॉवर पैदा की जाय, पम्पिंग सेट लगाए जायं और तभी यही समस्या हल होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्षजी, मैं एक बात का स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड के अन्दर आज भी हमारा रिप्रेजेन्टेटिव है और आगे भी री-कांस्टीट्यूट करने की बात चल रही है, भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड को, उसके सम्बन्ध में भी राज्य सरकार ने इस बात को प्रेस किया है कि राजस्थान का रिप्रेजेन्टेटिव उस बोर्ड के अन्दर भी रहना चाहिए और यह मिला जुला बोर्ड होना चाहिए। इसलिए यह प्रश्न नहीं है कि आज भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड के अन्दर हमारा रिप्रेजेन्टेटिव नहीं है। हमारे रिप्रजन्टेटिव उस बोर्ड क अन्दर आज भी है। चीफ इंजीनियर, इरिगशन सेक्रेट्री उसके मेम्बर हैं और दूसरे लोग भी हैं जिनके नाम तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन यह सही है कि उस बोर्ड के अन्दर हमारे रिप्रजेन्टेटिव हैं।

श्री भैरोंसिंह: यह प्रश्न नहीं है। भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड में तो है, लेकिन भाखरा के पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कन्ट्रोल करने के लिए राजस्थान का आदमी नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: आपके प्रश्न और आपसे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न में भेद है।

श्री भैरोंसिंह: इसका जवाब दे दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: दूसरे पाइन्ट के बारे में और पॉवर के बारे में इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन के अन्दर क्या फर्क है। इरिगेशन के बारे में यह सवाल बराबर उठता रहा है और हम काफी प्रेस करते रहे हैं, और अब भी हमने कहा है कि ज्वाइन्ट कन्ट्रोल होना चाहिए और खास तोर से अब यह चीज जरूरी हो जाती है क्योंकि अब तीन तीन स्टेटों का सवाल है तो उसके कन्ट्रोल के लिए ज्वाइन्ट आथोरिटी हो जो कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन को वाच करे।

श्री अध्यक्ष: श्री मदेरणा।

(9.51 म. पू.)

खाद और बीज की वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने अप्रेल-मई,

(श्री परसराम मदेरणा)

1966 में सभी राज्य सरकारों को अल्पकालीन ऋण के सम्बन्ध में अपनी नई नीति से अवगत कराया था।

सन् 1966 के पहले हम बीज, फर्टिलाइजर तथा एन्टीसाइड की खरीद तथा वितरण के लिए अपनी अल्पकालीन ऋण की सारी जरूरतें भारत सरकार से पूरी कर लिया करते थे। इसके परिणामस्वरूप हम ये सभी इनपुट्स भारत सरकार द्वारा दी गई राशि से खरीदते थे और किसानों को ऋण, उधार पर देने के लिए इसी धन का उपयोग कर लिया करते थे। लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण भारत सरकार ने अल्पकालीन ऋण की उपलब्धी पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। पहले अल्पकालीन ऋण पेशगी यानि एडवान्स में दिया जाता था। अब राज्य सरकारों द्वारा बीज, उर्वरक तथा किटाणु-नाशक औषधियां अपनी राशि से खरीदने के बाद दिया जायगा। अब इन इनपुट्स की खरीद पर व्यय की गई वास्तविक राशि का केवल 50 प्रतिशत ही भारत सरकार से मिल सकेगा। पहले इस ऋण की वापसी का भुगतान 18 महीनों की अवधि निकल जाने के बाद भारत सरकार को करना होता था। अब यह अवधि केवल 6 महीनें की करदी गई है। भारत सरकार अब किसानों को बीज, उर्वरक तथा कीटाणु-नाशक औषधियां उधार पर देने के लिए किसी भी प्रकार की अल्पकालीन ऋण की सुविधाऐं नहीं देगी, केवल फर्टिलाइजर के वितरण के लिए भारत सरकार किसानों को उधार वितरण किये गये फर्टि-लाइजर की कीमत के छठे भाग के बराबर राशि उधार देगी। जब कि हम किसानों को उधार पर सभी बीज और फर्टिलाइजर बांटने के लिए भारत सरकार द्वारा दिये गये अल्पकालीन ऋण का उपयोग करते रहे हैं।

भारत सरकार का यह नीति सम्बन्धी निर्णय राज्य सरकार को पिछले साल से ही लागू करना था, लेकिन ऐसा नहीं करके हमने पहले की भांति खाद और बीज किसानों को उधार पर दिया जिसके फलस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति पर विपरीत असर पड़ा और दो करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट होगया। इस विषय पर पहले मन्त्री-मण्डल की कृषि-उत्पादन उप समिति में जुलाई, 1966 में विचार किया गया, और बाद में इस मामले की विस्तार पूर्वक जांच के लिए कृषि मन्त्री की अध्यक्षता में गठित एक नई समिति को सौंपा गया। वह समिति इस निष्कर्ष पर पहूंची कि चूंकि राज्य को कृषि-उत्पादन के लिए 9.50 करोड़ की आवश्यकता है अतः इनपुट्स की खरीद के हेतु भारत सरकार केवल 50 प्रतिशत राशि रिएम्बर्स करेगी और शेष लगभग 4.75 करोड़ रुपये राज्य सरकार एकत्रित करने में असमर्थ होगी।

राज्य सहकारी-संस्थाओं की स्थिति सुदृढ़ नहीं है अतः इस व्यवस्था को इन्हें सौंपना एकदम सम्भव नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे सोंपा जा सकता है। अतः 67-68 से फर्टिलाइजर्स की खरीद व वितरण राज्य क्रय-विक्रय संघ को दिया जा सकता है।

भारत सरकार को इस सारी स्थिति से अवगत कराया और यह निवेदन किया कि भारत सरकार के इस निर्णय की क्रियान्विति को कम से कम एक वर्ष के लिये स्थगित कर दिया जावे। इसी आधार पर मुख्य मन्त्रीजी ने केन्द्रीय सरकार के कृषि, वित्त एवं आयोजना

(श्री परसराम मदेरणा)
मन्त्रियों को पत्र लिखे तथा अधिकारियों की भी कई बैठकें हुईं लेकिन भारत सरकार केवल राजस्थान के बारे में नया अन्य विकल्प ढूंढने को सहमत नहीं है।

अतः राज्य सकार ने यह निर्णय लिया कि इस वर्ष से राज्य भर में फर्टिलाइजर के खरीद व वितरण का कार्य राजस्थान क्रय-विक्रय संघ को दे दिया जाय। फर्टिलाइजर के लिए वितरित मात्रा का छठा हिस्सा किसानों को तकावी पर देने की सुविधा देगी और ऐसी तकावी की अवधि केवल 6 मास की होगी। बीज व कीटाणुनाशक औषधियों की खरीद व वितरण राज्य के कृषि विभाग द्वारा की जावेगी और इस वितरण के लिये कोई तकावी नहीं मिल सकेगी, यद्यपि बीजों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत उधार सुविधा भारत सरकार से उपलब्ध होगी। परिणामस्वरूप किसान को बीज नकद भुगतान पर ही मिल सकेगा।

गत वर्ष हमने साधारणतया व्यापक तौर पर बीज एवं फर्टिलाइजर की तकावी भारत सरकार द्वारा उधार की व्यवस्था बन्द करने के बावजूद भी दी थी, और इस प्रकार इस कारण लगभग दो करोड़ का ओवरड्राफ्ट होगया था। चालू वर्ष में ओवर ड्राफ्ट को भी प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकेगा। इस प्रकार हमारे पास केवल एक ही विकल्प रह गया है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता की मात्रा तक ही फर्टिलाइजर की तकावी बांटी जाय और बीज की तकावी कतई बन्द कर दी जाय। भारत सरकार द्वारा फर्टिलाइजर की खरीद क लिये उधार की व्यवस्था कर दिये जाने के कारण ही हमने सारे राज्य में राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ की मारफत फर्टिलाइजर का वितरण करने का निर्णय लेना पड़ा जिससे संघ कम से कम राज्य सहकारी बैंक के मारफत रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से काफी सुविधाएं प्राप्त करने में समर्थ होगा।

आशा की जाती है कि रिजर्व बैंक फर्टिलाइजर की खरीद के लिये संघ को दो करोड का ऋण देगा। सहकारी समितियां के सदस्यों को यदि ये समितियां या ऐसे केन्द्रीय सहकारी बैंक पर भुगतान का बकाया नहीं हुआ तो उधार पर फर्टिलाइजर प्राप्त कर सकेंगी। हमने भारत सरकार को 5 वर्ष की अवधि के लिए 2 करोड़ का ऋण स्वीकृत करने का निवेदन किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कृषि मन्त्रीजी ने अपना वक्तव्य स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिया उससे तो यह स्पष्ट है ही कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के द्वारा नीति में परिवर्तन करने से और अल्पकालीन ऋण नहीं देने के कारण आज मजबूर होगई है और किसानों को जो अभी तक ये सुविधाएं प्राप्त थीं कि वे पंचायत समितियों के माध्यम से खेती के समय पर खाद व बीज उधार प्राप्त कर लेते थे वह उनको अब प्राप्त नहीं हो पायेगी और खास तौर से राजस्थान के अन्दर जब कि केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार की स्वयं की यह मन्शा है कि हमारा राज्य सरप्लस स्टेट है खाद्य के मामले में और अधिक खाद्य-उत्पादन यहां पर कर सकते हैं और केवल राजस्थान को ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों कोभी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

अन्न भेज सकते हैं। उस स्थिति के अन्दर राज्य सरकार केन्द्र पर यह दबाव नहीं डाल सकी कि राजस्थान के बारे में जो निर्णय केन्द्रीय सरकार ने लिया है उस पर पुर्नविचार करें। यह राजस्थान सरकार की कमजोरी हो सकती है और केन्द्रीय सरकार के सामने अपनी मांग को रखने की जो क्षमता होनी चाहिये वह इसके अन्दर मौजूद नहीं है।

लेकिन अब जो प्रश्न आता है और जो बड़ा अहम प्रश्न है कि जो पद्धति थी आज तक किसानों द्वारा खाद और बीज उधार पर प्राप्त करने की उसके लिए क्या व्यवस्था होगी। यह ठीक है कि राज्य सरकार ने क्रय-विक्रय संघ के माध्यम से सारे ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर यह खाद और बीज के वितरण की व्यवस्था बनाई है, लेकिन अब खाद और बीज का वितरण जो होगा वह मार्केटिंग सोसाइटीज के माध्यम से होगा, लेकिन वे किसान जो कि मार्केटिंग सोसाइटीज के सदस्य नहीं हैं वे किस प्रकार से आज इस हालत के अन्दर जब कि राजस्थान के प्रत्येक हिस्से के अन्दर वर्षा की कमी के कारण आज किसानों की क्रय-शक्ति कम हुई है वे खाद और बीज उधार पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो ऐसे किसान जब कि खेती का समय आगया है, खरीफ की फसल का समय आगया है खाद और बीज कहां से प्राप्त करेंगे ?

(10 म. पू.)

और अगर वह किसान समय पर खाद और बीज उधार प्राप्त नहीं कर सका तो इसका परिणाम क्या होगा, राजस्थान के सारे प्रोडक्शन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है ? मुझे ताज्जुब के साथ कहना पड़ता है कि जो यह परिणाम होने वाले हैं इस सारी पद्धति के कारण उन पर सरकार ने गम्भीरता से विचार नहीं किया है। एक ओर हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमको अपने प्रदेश के अन्दर खेती का प्रसार करना होगा, वहां दूसरी ओर खेती की उत्पादन शक्ति को भी बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए यदि आवश्यक हुआ तो अन्य मदों में कटौती करनी पड़ेगी साधन उपलब्ध करने को। लेकिन मुझे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ताज्जुब इस बात का है कि वह किसान जो केवल खेती के उत्पादन पर ही जिन्दा है, जो किसान सारे राजस्थान को अन्न देता है, उसको आपके इस निर्णय से ठीक फसल के टाइम पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पायेगा। आप इस बात से यह अन्दाज लगाइये कि सारे राजस्थान के **उत्पादन** पर क्या असर होने वाला है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं भी एक दो सुझाव देना चाहूंगा।

माननीय मन्त्री महोदय भी इस बात की गम्भीरता को स्वीकार करते हैं कि अगर खाद और बीज किसानों को समय में उधार नहीं दिया गया तो किसानों के सामने किस तरह का संकट आयेगा क्योंकि आपने अपनी नीति में परिवर्तन किया है। उनका कहना यह है कि भारत सरकर ने जितनी आवश्यक धनराशि पहले दी थी उस तरह उतनी धनराशि इस साल देने को तैयार नहीं है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन की भावनाओं के अनुसार, इस सदन की राय लेकर और आवश्यक

(श्री भैरोंसिंह)

हो तो इस सदन के द्वारा एक प्रस्ताव पास करा कर भारत सरकार से पुन: निवेदन किया जाय कि राजस्थान की जिस तरह से खराब आर्थिक स्थिति है, उसी तरह से राजस्थान के किसानों की भी आर्थिक स्थिति है। इसके अलावा राजस्थान में पानी के संकट के कारण जिस प्रकार की किसानों की आज स्थिति है उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से वह पुन: निवेदन करें कि वह अपने फैसले पर पुन: विचार करके राजस्थान के किसानों को समय के अन्दर खाद और बीज देने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है उतनी धनराशि वह स्वीकार करे।

श्री देवीदत्त (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक खाद और बीज के वितरण का प्रश्न है राजस्थान के ग्यारह जिलों में, बीकानेर और अजमेर डिवीजन..

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, मैं भी दो शब्द कह दूं, फिर साथ ही जवाब दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, इस दुष्काल के कारण जो पानी समस्या, की जो खाद्यान्न की समस्या, जो फर्टिलाइजर खाद की समस्या-यह ऐसी समस्यायें हैं कि जिनको लेकर हम गवर्नमेण्ट की कमजोरियों को एक्सप्लोइट नहीं करना चाहिये उनका लाभ उठाना नहीं चाहते। लेकिन आखिरकार यह समस्यायें हैं और इस समय की जो सरकार है, उसको इन समस्याओं का हल निकालना पड़ेगा और इन समस्याओं के ऊपर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना पड़ेगा। पानी के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि वाटर लेवल नीचे गया है। आपका कोई प्लान हो तो आपको प्लान भी बनाना है लेकिन उसको कार्यरूप में परिणित जल्दी करना चाहिये चाहे जयपुर की समस्या हो या और जगहों की समस्या हो, यदि आप अपने प्लान को कार्यरूप में जल्दी परिणित नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि दिन पर दिन हालत और बिगड़ती ही जायगी तो यह सरकार के लिए, मेरे ख्याल में, एक अच्छी और शोभनीय बात नहीं है। बल्कि मेरे ख्याल से एक बडी भद्दी और बुरी बात है और इसके ऊपर सरकार को बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

जहां तक फर्टिलाइजर का प्रश्न है। यह बिल्कुल निर्विवादित बात है। क्या मेरे दक्षिण क्षेत्र में, क्या पूर्वीय राज्य में करीब करीब समस्त राजस्थान में, मेरे खयाल में, मवेशी लाखों की तादाद में मर जायेंगे। अब आपकी फर्टिलाइजर की समस्या आई, नेचुरल मेन्योर की समस्या आई-जब आपके मवेशी तीस-चालीस प्रतिशत तक अगर मर जायेंगे, और फिर अगर अगली वर्षा भी अच्छी नहीं आई तो....

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मन्त्री) : फोडर की शोर्टेज की वजह से ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फोडर की शोर्टेज की वजह से बिल्कुल। घास नहीं है, पानी नहीं है।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : माननीय नेता का कहना यह है कि अकाल की स्थिति भयंकर है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अकाल की स्थिति भयंकर है। मैं नहीं कहता कि अकाल की स्थिति भयंकर नहीं है। अकाल की स्थिति चुनाव के समय भी भयंकर थी और उसके पश्चात् भी भयंकर थी। उसके बाद में भयंकर नहीं थी-मैं इस बात को नहीं मानता और न मैं पोजीशन को एक्सप्लाइट करना चाहता हूं। अकाल की स्थिति थी और है और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बुरी होती जा रही है यह निर्विवादित बात है। मैं बहुत लम्बा इस बारे में बयान नहीं देना चाहता। मैं केवल मात्र यह कहना चाहता हूं कि बिहार में भी स्थिति बहुत गम्भीर और भयंकर है। आखिरकार में बिहार की भी सरकार है वह एक अकांग्रेसी सरकार है लेकिन फिर भी बिहार की सरकार ने बार बार जाकर केन्द्र से मांग की है। फिर आप मांग करने से क्यों घबराते हैं। आखिरकार आप कांग्रेस सरकार हैं और केन्द्र में भी कांग्रेस सरकार है और वह आपके प्रति विशेष सहानुभूति रखेंगे। यदि फर्टिला-इजर की समस्या, फोडर की समस्या, पानी की समस्या को केन्द्र के द्वारा ओवर आल एग्जामिन कराके ऋण नहीं मांगेंगे तो यह समस्यायें आप हल नहीं कर पायेंगे। इसका अर्थ यह होगा कि आप केवल नाम मात्र की सरकार है। केवल कागजी कार्यवाही करना, कागजों पर प्लान रख देना और कहना कि यह कर देंगे, वह कर देंगे, सारी दुनिया भर की बातें कर देंगे-इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। आज स्पष्टतया यह दिख रहा है कि इन समस्याओं के कारण राजस्थान की हालत खराब हो रही है। यह जो तीनों समस्यायें है, पानी, उत्पादन और अन्न के सम्बन्ध में, इनके सम्बन्ध में आप गम्भीरता पूर्वक विचार करें। केवल मात्र हजारों आदमियों को आप जरूर फेमिन रिलीफ वर्क्स में लेंगे और उनको एक्सप्लोइट करेंगे तो एक हद तक आप वह कर सकते हैं। कांग्रेस और सरकार को एक संस्था के रूप में देख कर उसको अजर अमर बनाने की चेष्टा करेंगे तो वह भी आप एक हद तक कर सकते हैं। लेकिन जनता को जिन्दा रखने के लिए इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्राथमिकता देने के लिए आप कुछ नहीं करते हैं तो वह अच्छी बात नहीं है और आप सरकार कहलाने लायक नहीं हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम भारत सरकार के समक्ष इस बात की और पैरवी करें कि राज्य सरकार को अधिक ऋण मिल सके और राजस्थान की स्थिति को लक्ष्य में रखते हुए हम लोगों को राहत वक्त पर पहुंचा सकें। उसके लिए मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी भी धनराशि प्राप्त हो सकती है, हम उस धन राशि को प्राप्त करने की कोशिश करें।

अभी विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने जो कुछ कहा उससे मैं पूर्णतया पहले भी सहमत था, अब भी सहमत हूं। मैं उनसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कभी अलग भूमिका के अन्दर जब एक बात कही जाती है तो उस बात से जो रिलीफ हम देना चाहते हैं उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। जब पहले भाषण में आपने फेमिन के बारे में और मदद के बारे में यह फरमाया तो....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ निवेदन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
करूंगा कि हम हमारे पक्ष का बाना निभाते हैं, आप अपने पक्ष का बाना निभाइये।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है, मुख्य मन्त्री जी . . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर! आर्डर! माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल सुखाडिया : मुझे खुशी है, विरोधी पक्ष के नेता ने, जो वास्तविक बात है वह कहदी है। इससे ज्यादा कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है।

श्री देवीदत्त : अध्यक्ष महोदय, खाद के वितरण के सम्बन्ध में मैं कुछ रचनात्मक सुझाव दूंगा, और उनकी ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय मन्त्री ने खाद के वितरण के बारे में बताया कि खाद के वितरण की व्यवस्था क्रय विक्रय संघ के द्वारा कराने की है। इस ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बरसात निकट आरही है और उसके साथ ही फसल बोने का समय भी निकट आने वाला है। ऐसी स्थिति में जैसा आपने फरमाया कि सहकारी समिति के द्वारा हम खाद का वितरण करायेंगे। उसमें भी आपने यह बन्धन लगाया है कि जिन व्यक्तियों के अन्दर यदि सहकारी समिति का ऋण बकाया होगा तो उस व्यक्ति को खाद नहीं मिल सकेगा। इसी के साथ सहकारी संस्था पर यदि बैंक का ओवर ड्राफ्ट होगा तो उस संस्था को खाद वितरण के लिये नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, एक ओर राज्य सरकार . . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर! आर्डर! माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त : मेरा निवेदन है, वह दो मिनट में कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं भी सुझाव देना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि सदन का समय कम से कम लिया जाय। आप सुझाव सीधा ही रख दीजिये जिससे समय कम लगे। यदि आप भूमिका बनाने लगेंगे तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। मैं इस तरह के भाषण की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री देवीदत्त : अध्यक्ष महोदय, खाद के वितरण के लिए क्रय-विक्रय संघ को कमीशन के रूप में पांच पर्सेन्ट देने की व्यवस्था की गई है, उसके कारण पांच पर्सेन्ट कमीशन उस संघ को मिलेगा। इसके साथ ही जो दूसरी संस्थाएं हैं उनको भी खाद का वितरण क्रय-विक्रय संघ के द्वारा ही होगा, यानी उनकी जो ब्रांच गांवों में होंगी, उनके द्वारा यह खाद का वितरण होगा। मेरा निवेदन है कि क्रय-विक्रय संघ को जो पांच पर्सेन्ट कमीशन मिलने वाला है, उसको इतना न देकर एक पर्सेन्ट दें और बाकी का गांव की सेवा सहकारी संस्था को दें। यदि यह कमीशन सरकार ने उन सेवा सहकारी संस्थाओं को दिया तो खाद का वितरण अच्छा हो सकेगा। अगर उनको यह कमीशन नहीं मिला तो उनको इस कार्य में रुचि नहीं होगी। इसके अलावा आज भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो गांवों के अन्दर सहकारी संस्थाओं के सदस्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना

(श्री देवीदत्त)
चाहता हूं कि जिस व्यक्ति में सहकारी संस्था का ऋण बाकी है, या जिस जिस सहकारी संस्था पर बैंक का ओवर ड्राफ्ट है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री देवीदत्त : उनको खाद किस प्रकार से मिल सकेगा। अगर उनको नहीं मिला तो उनको खेती के लिए खाद नहीं मिल पायेगा और इस प्रकार उत्पादन में नुकसान होगा।..

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण, माननीय मन्त्री जी करें।

श्री देवीदत्त : जिन संस्थाओं पर कर्जा है या नहीं है–उन सभी को यह खाद आप दें।

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक खाद वितरण का प्रश्न है, उसमें क्रय-विक्रय संघ फर्टिलाइजर खरीदे और वितरण करे–यह व्यवस्था हमने उनको सौंपी है। बीज और पेस्टीसाइड के लिए नहीं। खाद के वितरण का प्रश्न है, उसके लिए डिवीजनल लेवल पर मीटिंग बुला कर डेवलपमेन्ट कमिश्नर बुला कर बी. डी. ओ.....

श्री देवीदत्त : मैं निवेदन करूंगा कि खाद के वितरण की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि किसान को अच्छी तरह से और आसानी से खाद मिल सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

मन्त्री महोदय, इसका स्पष्टीकरण करेंगे।

(माननीय सदस्य श्री देवीदत्त को संबोधित करते हुए) आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक क्रय-विक्रय संघ की मार्फत फर्टिलाइजर वितरण करने की नीति का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में हमारी नीति साफ है। बीज और कीटनाशक औषधियें नहीं। जहां तक खाद का प्रश्न है इसके लिये बी. डी. ओ. मार्केटिंग सोसाइटीज के चेयरमैन और एक्सटेन्शन ओफिसर और दूसरे ओफिसर की कमेटी बनादी गई है इसके लिये उनके द्वारा एलोबोरेट एरेन्जमेन्ट की व्यवस्था करदी है। यह भी नहीं है कि जहां पर मार्केटिंग सोसाइटीज नहीं है तो क्रय विक्रय संघ को छूट दी है कि वह अपने एजेन्ट किसी दूसरे को रख सकते हैं। लेकिन खाद की उसमें पाबन्दी लगाई है।

जहां तक उधार देने का प्रश्न था उसके लिये भी मैंने यह बात आपको कही थी कि पिछले साल से फसल उपजाऊ योजना के मुताबिक एक योजना बनाई जिसके तीन कोम्पोनेन्ट हैं ए., बी. और सी.। ए. में सीड है और बी. कोम्पोनेन्ट है जो फर्टिलाइजर का है। हम किसानों को कर्जा देते हैं उसमें बी. कोम्पोनेन्ट का प्रश्न नहीं उठता। मगर अभी हमने इस प्रकार की हिदायत सभी ओफिसरों को दी है कि कोओपरेटिव को कोई लोन देने का हो तो बी. कोम्पोनेन्ट से आना चाहिये।

मैं समझता हूं कि इससे किसानों को बैंक से काफी पैसा मिल सकेगा। अब रहा सवाल यह कि भारत सरकार जो तगावी

(श्री परसराम मदेरणा)

देगी वह राशि खाद वितरण करेंगे उसके मूल्य के छटे भाग के बराबर होगी।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि राजस्थान के लिये जितना फर्टिलाइजर मिलना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है और इसे हम जनता में क्रेडिट नहीं कर सकते। इसलिये इसको उन लोगों को कैश में देने की व्यवस्था की गई है। क्या यह सही है कि हमारे यहां फर्टिलाइजर की बहुत कमी है और फर्टिलाइजर बहुत कम मिल रहा है?

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही नहीं है कि किसानों को वितरण करने के लिये फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है इसलिये यह पाबन्दी लगाई गई है। भारत सरकार ने सब जगह के लिये पाबन्दी लगाई है। राजस्थान में इस साल अकाल है और एक साल ही नहीं बल्कि पिछले तीन सालों से लगातार यहां अकाल चला आरहा है। इसलिये किसानों की पर्चेजिंग पॉवर बहुत कम हो गई है। यदि इस साल हम उनको फर्टिलाइजर और बीज नहीं देते हैं तो कृषि उत्पादन में बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसके लिये भारत सरकार के मन्त्री लेवल तक बात चीत हुई मगर भारत सरकार कोई इसमें परिवर्तन करना नहीं चाहती है और इसकी एक्सेपशन राजस्थान के नाम करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा।

अभी चार पांच रोज पहले भारत सरकार के अधिकारी यहां आये थे उनके सामने हमने यह बात रखी थी और हमने उनसे कहा कि इसको कृषि मन्त्री या मुख्य मन्त्री के स्तर पर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि फर्टिलाइजर पूरा वितरित किया जावेगा उसका छठा हिस्सा या जो भी मुनासिब होगा फर्टिलाइजर क्रेडिट पर दे देंगे। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार इस मामले में सजग है। हाई ईल्ड प्रोग्राम जल्दी ही लागू किया जाता लेकिन जिस काश्तकार के नाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट से कोओपरेटिव को (Instructions) जल्दी भेजनी थी, नहीं भेजने से देरी हुई। हाई ईल्डिंग प्रोग्राम के लिये जो लोन मिलने वाला है उसके लिये ज्यादा फर्टिलाइजर रखा है और मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक इसके लिये लोन देने वाला है उसमें हाई ईल्ड प्रोग्राम के लिये फर्टिलाइजर मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बतादें कि इस साल कितने फर्टिलाइजर की कमी है?

श्री परसराम मदेरणा : फर्टिलाइजर की कमी के बारे में मैं नहीं कह सकता....

श्री भैरोंसिंह : कुछ कमी जरूर है।

श्री परसराम मदेरणा : जी हां। पिछले साल तो हमने 80 हजार टन के करीब ही फर्टिलाइजर बांटा है। इस साल एक लाख और कुछ हजार टन फिगर्स मुझे मालूम नहीं हम ऐसा समझते हैं कि जितनी फर्टिलाइजर की जरूरत है वह हमको मिलेगा और फर्टिलाइजर नहीं मिलने से जो ऋण की व्यवस्था में परिवर्तन किया है वह ठीक नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर की कमी तो है ही लेकिन अगर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
कर्मचारियों द्वारा फर्टिलाइजर में राख मिलाई जावे तो गद्दारी है और किसानों के प्रति विश्वासघात है। अगर ऐसी शिकायत हो तो आप ऐसे लोगों को पकड़ कर सजा तो दें और अगर नहीं दें तो आपकी मर्जी है। फर्टिलाइजर में बहुत मिलावट की जाती है।

श्री परसराम मदेरणा : कोई भी इस प्रकार की शिकायत आवेगी उस पर सरकार कदम उठाएगी। ऐसे एक दो मामले आये थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपने किसी को कुछ सजा वगैरा नहीं दी।

श्री देवीदत्त : मैंने जैसा आपसे निवेदन किया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

उपाध्यक्ष का निर्वाचन।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा और अमेन्डमेन्ट मोशन था। वह यह था कि जयपुर में गोली-कांड की जांच चल रही है। उसमें चार एडवोकेट्स को सरकार की तरफ से मुकर्रर किया गया है। एक को 500) रोज पर दूसरे को 450) प्रति दिन पर और दूसरों को 300) रुपये प्रति दिन पर। इस सम्बन्ध में मैंने एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया है इसमें सरकार कोई पार्टी नहीं है। फिर भी सरकार किस प्रकार से पैसा खर्च कर रही है वह कहां तक उचित है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की है, जानकारी प्राप्त होने पर ही मैं ले सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी आपके पास आगई होगी।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : यह कागज इसके साथ है इसमें होगी।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपका कागज है और उसके साथ हमारा और कागज लग गया है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी दे देता हूं। यह प्रश्न बहुत महत्व का और इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि आपके सारे प्रश्न महत्व के होते हैं। इस प्रश्न पर जानकारी आने पर मुझे स्टेटमेन्ट के लिये कहना, इसको स्वीकार करना या स्वीकार नहीं करना है, मगर फिर भी आप तो कम से कम कुछ इस पर कहेंगे ही।

श्री भैरोंसिंह : अगर मन्त्री कोई आश्वासन दे दें तो मुझे कोई बात नहीं कहनी है। राज का ही सदन है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न इतने तथ्यों पर आधारित है कि यह बात बाद में भी खत्म नहीं हो सकती और हम फिर मीट करने वाले हैं यह भी स्थिति साफ है।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार इतना खर्चा इन पर क्यों कर रही है। चार चार वकीलों का खर्च उठाया जा रहा है। इसके पीछे राज है। कई व्यक्तियों के पीछे इलेक्शन पीटिशन हो रही है। उसका खर्चा

(श्री भैरोंसिंह)
जनता के पैसों पर किया जा रहा है और गोली-कांड के नाम से किया जा रहा है।

श्री **अध्यक्ष** : अब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, 7 व्यक्तियों की गोली काड से मृत्यु हुई उन शहीद व्यक्तियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये सभी विरोधी दलों की ओर से प्रस्ताव रखा गया था और जिसके लिये आपने कहा था कि मिल कर कोई रास्ता निकालेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आज सदन की बैठक चल रही है उसका आखिरी दिन है। इसलिये उन 7 शहीदों को श्रद्धांजलि देने का प्रस्ताव ले लिया जावे।

श्री **अध्यक्ष** : उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद इस प्रश्न को लेंगे।

श्री **भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, अब तक 15 वर्षों की जो प्रक्रिया है और परम्परा रही है उसके अनुरूप यह नहीं होगा। हम आपसे ऐसी आशा करके चलते हैं कि आप पुरानी परम्पराओं को निभाएंगे।

श्री **अध्यक्ष** : हमने कुछ बिजनेस का पार्ट पहले ले लिया है। इसलिये इस आइटम को बाद में ले लिया जावे तो कोई अन्तर नहीं होगा।

श्री **भैरोंसिंह** : जब आप इसको बाद में लेने वाले हैं तो मेरे खयाल से पहले ही लेलिया जाए तो कोई ऐतराज नहीं होगा।

श्री **अध्यक्ष** : मेरा विश्वास है कि इसकी समाप्ति के बाद लिया जावे तो मेरी मान्यता में अच्छा होगा।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, शोक प्रस्ताव उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद करना अशुभ हो जावेगा।

श्री **अध्यक्ष** : उसको भी देख जाय।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : We do not want to condole his election.

श्री **अध्यक्ष** : इसको भी देखा जाय कि यह धारणा और अन्ध विश्वास कहां तक ठीक निकलते हैं।

श्री **श्रवण** कुमार (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय ....

(सरकारी पक्ष की ओर से बैठ जाओ बैठ जाओ की ध्वनि)

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : माननीय अध्यक्ष, कल मैंने एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी, उस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाय ....

श्री **अध्यक्ष** : इसके बाद में यह सार होगा (10.21 म. पू.)

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री **हरिदेव जोशी** : अध्यक्ष महोदय, "मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री पूनमचन्द विश्नोई सदस्य विधान सभा, विभाजन संख्या 73 को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।"

श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : दूसरा अपोजिशन से।

(श्री अध्यक्ष)

(विराम)

प्रस्ताव दूसरा मूव कर दीजिये विरोधी दल से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री जसराज, सदस्य विधान सभा, विभाजन संख्या 12 को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार** : (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

(सरकारी पक्ष के अनेक माननीय सदस्य : वोट हो जांय) :

मैं इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहूंगा कि देश में कई प्रान्तों में इस प्रकार की परम्परा चली है कि अध्यक्ष एक दल का हो तो उपाध्यक्ष दूसरे दल का हो।

एक माननीय सदस्य : बैठ जाओ

(शोरोगुल)

श्री भैरोंसिह : मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे अपने सदस्यों को इस बात के लिये कम से कम आगाह करदें कि कुछ समय के लिये, किसी क्षण गम्भीर तो रहे और मैं इतना और कहदूं कि बिजनैस हमारा समाप्त नहीं हुआ है, मुख्य मन्त्रीजी को जवाब देना है, आप जिस तरह विहेव करेंगे, मुख्य मन्त्रीजी के भाषण के समय हम भी उसी प्रकार विहेव करेंगे।

श्री खेतसिंह (शेरगढ) : मैंने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस समय उन्होंने बहुत इन्टरवीन किया था।

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय खड़े हैं, आर्डर, आर्डर . . .

श्री भैरोंसिह : सन् 1952 में राजस्थान विधान सभा की बैठक हुई तो अध्यक्ष पद के लिये कांग्रेस पार्टी के सदस्य को खड़ा किया गया और विरोधी दल के सदस्य श्री लालसिंह शक्तावत को उपाध्यक्ष पद के लिये स्वीकार किया गया। एक परम्परा 1952 में बनी, दुर्भाग्य से वह परम्परा 57 में और 62 में नहीं निभ सकी। राजस्थान में ही नहीं बल्कि अभी आपने समाचार पत्रों में पढा होगा कि मद्रास में और केरल में जहां विरोधी दलों की सरकारें बनीं, मद्रास और केरल के मुख्य मन्त्रियों ने अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद, उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रश्न आया तो उन्होंने विरोधी दलों के नेता को पत्र लिख कर इस बात के लिये आमन्त्रित किया कि पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में हम एक परम्परा का निर्माण करना चाहते हैं कि अध्यक्ष एक दल का हो तो उपाध्यक्ष दूसरे दल का लेकर एक परम्परा कायम करना चाहते हैं जिससे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं देखे जायें इस सदन के दोनों पद राजनीति से दूर रह कर प्रतिष्ठा के मान बिन्दु बन कर रह जायं। इस प्रकार की स्थिति में देश में परम्परा के निर्माण करने की आवश्यकता थी। मैं समझता हूं कि राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति नहीं है, लोकतन्त्र के विकास के लिये जिन परम्पराओं का निर्माण करना है, वे परम्पराएं आज भी बन सकती हैं।

(श्री भरोंसिंह)

सौभाग्य की बात थी कि 52 में यह परम्परा बनी उसके बाद में उस परम्परा को नहीं निभा सके, पर फिर उस परम्परा का निर्माण करें। इसलिये मैं मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस परम्परा का निर्माण करें। पिछले 5 वर्षों में आपने अनुभव किया होगा कि कई विधान सभाओं में विभिन्न दलों में ही नहीं चेअर और सदस्यों के बीच में संघर्ष हुए। कई बार इस प्रकार के अनपालियामेन्टरी इन्स्टान्सेज चुने गये हैं, इस पालियामेन्टरी डेमोक्रेसी में जिनको जितना कन्डेम किया जाय, किया जाना चाहिये पर जो कटुसत्य है उसे स्वीकार करना होगा। पूरी तरह इसका समाधान तो नहीं कर सकते पर कुछ सीमा तक इसे सीमित करने की यह परम्परा शक्ति रखती है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पद की प्रतिष्ठा के लिये, लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिये और स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण करन के लिये सदा सर्वदा एक परम्परा हो।

मेरी मान्यता तो यह थी कि श्री रामनिवास मिर्धा लाडनूं से चुनाव लड़ने लगे तो हमने और स्वतन्त्र पार्टी ने यह लिख कर दिया था कि अगर आने वाली विधान सभा में श्री रामनिवास मिर्धा जी को ही अध्यक्ष बनाया जायगा तो हम विरोध में किसी को खड़ा नहीं करेंगे। इंग्लेन्ड की तरह अध्यक्ष के विरोध में किसी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा न हो ताकि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये पद काम कर सकें। दुर्भाग्य से, किन्हीं कारणों से समयाभाव के कारण निर्णय नहीं हो सका और इसका परिणाम यह हुआ कि दो सेशन्स के एक अनुभवी अध्यक्ष को इस सदन को खोना पडा। आज मैं इस बात की आवश्यकता अनुभव करता हूं कि सदन के अन्दर अध्यक्ष की कुर्सी की प्रतिष्ठा बनी रहे, अध्यक्ष की प्रतिष्ठा कायम करें, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति किसी प्रकार का संदेह नहीं बने। अगर इस सम्बन्ध में म्युच्युअल अन्डरस्टेन्डिग बनती है, और ऐसी व्यवस्था कर सकें तो बडा सुन्दर होगा। यह कांग्रेस के सोचने की बात है, जब द्रविड मुन्नेत्र कडगम और कोम्युनिस्ट इस बात के लिये विरोधी दलों को निमन्त्रित कर सकते हैं कि उपाध्यक्ष विरोधी दल के हो तो कांग्रेस को तो यह परम्परा डालनी चाहिये कि इस तरह से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक मत से हो जायं।

श्री मदन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है···

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जन संघ के नेता जो किशनपोल से आए हैं, उनकी विचारधारा से मुझे एक हद तक सहानुभूति है। उनकी मैं बडी इज्जत करता हूं लेकिन आज हमारे देश में जो वातावरण है, वह उनके सुझाव के प्रतिकूल है। आज तो यह स्थिति है कि राष्ट्रपति तक के पद के ऊपर चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से यह संबंधित प्रश्न है। जिस स्थिति में यह समस्या सदन के समक्ष उपस्थित हुई है, व्यक्तिगत रूप से और मेरे दल की ओर से, मैं यह समझता हूं कि यह मेरे स्वाभिमान के विपरीत है कि हम इस तरह की भीख मांगें। जो कुछ भी चुनाव

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

का नतीजा होगा, देखा जायगा। चुनाव हो जाय क्या बात है और आज भी इस संबंध में आज की स्थिति में जहां एक तरफ से प्रस्ताव हुआ है, दूसरे तरफ से प्रस्ताव हुआ है और चुनाव के लिए बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। अब यह स्टेज कोई बातचीत और समझौते के लिए, मैं समझता हूं, अनुपयुक्त है। अब जो कुछ होना है होगा और बस किस्सा खतम किया जाय।

श्री खेतसिंह (शेरगढ) : शिशोदिया और शेखावत में यही फर्क है।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर अभी जो प्रश्न आपके सामने है मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि 1952 की परम्परा और आज की स्थति दोनों की तुलना के बावजूद ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह वाद-विवाद हो रहा है या पार्टी की तरफ से आप कुछ ...

श्री लादूराम सुलानिया : मैं सुझाव-देता हूं। अगर आप शांति से सुनेंगे तो अच्छा होगा। मेरा निवेदन है कि बार बार हमारा सत्तारूढ दल इस बात की दुहाई दे रहा है कि हम परिगणित जाति एवं जनजाति के लोगों को बहुत ही ज्यादा लिफ्ट देते हैं और योग्यता के बारे में और सारी चीजों में प्राथमिकता देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय अगर इतने उदार हृदय हैं तो वह अपने दल से निवेदन करें कि जो केकड़ी से चुनकर आए हैं वह बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, एडवोकेट हैं, उनको हमने बहुत सोच समझ कर उपाध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया है ....

(घंटी)

अगर आपका इतना उदार दिल है तो अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेकर हमारे उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन करें और मुझे आशा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे इसलिये कि हम 21 सीटें लेकर आए हैं और उधर भी हैं, हमारा बहुमत है, इसलिये उपाध्यक्ष हमारा होना चाहिए।

श्री रामकिशन (वैर) : अभी अभी जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है, उस संबंध में मैं समझता हूं कि कुछ परम्पराओं का प्रश्न है। यह प्रश्न कांग्रेस के सोचने का है। देश में वे किस तरह लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं चाहते हैं, यह विरोधी दल का फर्ज नहीं है किसी मंत्री या दूसरे मंत्री से भीख मांगते घूमें। मैं समझता हूं कि अगर इस देश में लोकतंत्र जीवित रखना है तो हमारी कुछ परम्पराएं हैं, जो बड़ा दल है और पैत्रिक संगठन है उसको परम्पराएं डालनी चाहिए। यह उनके विचारने का सवाल है। अगर वह ऐसी परम्परा नहीं डालना चाहते तो विरोधी दल उनको दूसरी तरह से डलवा सकता है लेकिन जो नाम आ चुका है उस पर चुनाव हो जाय। इस प्रस्ताव पर मेरी सहमति नहीं है। मुख्यमंत्री जी की लोकतंत्र में न आस्था है न ट्रेनिंग ही है। यह तो उनके इन्टरेस्ट में है कि वह पुर्नविचार करें नहीं तो जो कुछ हो रहा है, उचित हो रहा है उसके लिए हमारा समर्थन है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसे विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा, सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से भी कहा गया। दरअसल यह स्टेज काफी लेट हो चुका है और इस स्टेज पर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
इस संबंध में विचार करना संभव नहीं हो पाएगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष के संबंध में हां पक्ष की ओर से प्रस्ताव आया है और विपक्ष की ओर से भी आया है। जन संघ के नेता की ओर से परम्पराओं की बात की याद दिलाते हुए यह कहा है कि यदि अध्यक्ष हां पक्ष का हो यह अच्छी परम्परा होगी कि उपाध्यक्ष ना पक्ष की तरफ से बनाया जाय।

अध्यक्ष महोदय जिस संदर्भ में आज चुनाव हो रहा है, जिस संदर्भ में शक्ति परीक्षण की स्थिति राजस्थान में सरकार बनाने के बारे में हुई, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रस्ताव न तो हमारे विरोधी पक्ष के लिए आत्मसम्माननीय है न ही इस प्रकारकी परम्पराओं की आशा कांग्रेस सरकार से करना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण है। राजस्थान की कांग्रेस कोई अलग नहीं। कांग्रेस को क्या परम्पराएं लोकतंत्र के बारे में डालनी हैं, वह कांग्रेस की उच्च सत्ता जो दिल्ली में बैठी हुई है, वह निर्धारित करती है और उसके अनुसार प्रान्तों में भी कांग्रेस दल कार्य करता है। हमें अनुभव है, हमारे सारे देश को अनुभव है कि प्रजातंत्र के बारे में, लोकतंत्रीय प्रणाली को कायम करने के लिये संसद् में इसी प्रकार का कोई प्रस्ताव आए, हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कर चुके हैं, वहां पर भी विभिन्न दलों की ओर से इस प्रकार के प्रस्ताव रखे गए कि राष्ट्रपति कांग्रेस के उम्मीदवार को माना जाय और उपराष्ट्रपति विरोधी उम्मीदवार को मान लिया जाय। ह बात भी छिपी हुई नहीं कि भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी इस बात के लिए तैयार भी थीं लेकिन कांग्रेस के अंदर दूसरे लोग इस बात का विरोध करते रहे और उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। संसद् में भी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के प्रश्न पर यही बात पैदा हुई। प्रधानमंत्री द्वारा आश्वासन देने के बावजूद कि तमाम विरोधी पक्ष एक नाम अगर तय कर दें तो उनको स्वीकार कर लेंगी, वह रिट्रीट कर गई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस दल की जो परिभाषा भारत में लोकतांत्रिक परम्पराओं को डालने की है, वह भिन्न है। हम लोगों की परिभाषा से वह भिन्न है। इसलिये राजस्थान में जब उनके नेता दूसरी तरह का लोकतंत्र चाहते हैं, इस प्रकार की आशा करना यह मैं समझता हूं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक ऐसी बात है कि यदि हम ग्रीष्म ऋतु के अंदर सर्दी की आशा करें, ऐसी बात है। खास तौर से राजस्थान में हमारी मान्यता है कि जो सरकार बनकर बैठी है वह वास्तव में बहुमत के बुनियाद पर नहीं बैठी है, अल्पमत की बुनियाद पर बैठे हैं। अलोकतांत्रिक तरीकों से उन्होंने सत्ता पकड़ी है इसलिये ऐसे दल से, ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से लोकतंत्र की दुहाई देकर इस प्रकार की मांग करना यह अपना अपमान करना है। इसलिये यह ताकत का काम है। किसी ने दुनिया में अपना राज्य मांगने पर नहीं छोड़ा। जब जनता में ताकत थी तो राजाओं ने राज्य छोड़ा है और यह चलने वाला नहीं है। जब ताकत आएगी, इरेसस्टीबुल फोर्स आएगा तो इनके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
सुखाड़ियाजी नहीं बैठ सकेंगे, इंदिरा गांधी नहीं बैठ सकेगी, राष्ट्रपति नहीं बैठ सकेंगे और इसलिये मैं कहता हूं कि इस बारे में वोटिंग हो जाय। जिसका बहुमत है उसका उपाध्यक्ष बन जायगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 वर्ष से आपकी सत्ता को सहन करते आए हैं और चंद दिन भी सहन कर लेंगे तो हम मरने वाले नहीं हैं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दल के नेता माननीय भैरोंसिंहजी ने सुझाव रखा वह एक अच्छी परम्परा को निभाने की बात थी। इसलिये मैं इसकी स्वीकृति के लिये आप से निवेदन करता हूं। ××××××

श्री अध्यक्ष : ये शब्द एक्सपन्ज किये जांय।

एक माननीय सदस्य : आपकी ताकत होती तो आप खड़ा कर देते।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा विभाजन संख्या 73 को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय?

जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें (हां)

जो इसके विपक्ष में हों वे ना कहें (नां)

हां पक्ष जीता।

कई माननीय सदस्य (विरोधी पक्ष) : ना पक्ष जीता।

×××××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

कई माननीय सदस्य (हां पक्ष) : हां पक्ष जीता। Ayes have it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Noes have it Sir.

श्री हरिदेव जोशी : Ayes have it sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Nose have it Sir. We claim division

श्री अध्यक्ष : You Claim Division.

(मत विभाजन सूचक घंटी)

श्री मदनसिंह : अब इसमें देरी क्यों हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा विभाजन संख्या 73 को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ?

जो पक्ष में हों वे हां कहें (हां)

जो विपक्ष में हों वे ना कहें (ना)

हां पक्ष जीता।

कई माननीय सदस्य (विरोधी पक्ष) : Nose have it, Sir.

कई माननीय सदस्य (हां पक्ष) : Ayes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष : लॉबीज को दोनों ओर से क्लीयर की जाय।

श्री मदनसिंह : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : No Points.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That main gate may also be closed.

कई माननीय सदस्य (विरोधी पक्ष) : (हां पक्ष के मेन गेट के किवाड़ खोले जाने पर) अब तो दरवाजे बन्द हो चुके हैं आप कैसे अन्दर आ सकते हैं। दरवाजे बन्द हो चुके हैं। मत खोलिये।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज़ !

लॉबीज क्लीयर हो चुकी है।

(शोरगुल होने पर) आॅर्डर प्लीज।

हां पक्ष हां की लोबी में और ना पक्ष ना की लोबी में जांय।

(11 म. पू.)

श्री अध्यक्ष : विभाजन का रिजल्ट इस प्रकार है :--

हां पक्ष 91

ना पक्ष 86

(विभाजन के अनुसार 'हां पक्ष' के माननीय सदस्य) :--

क्रम. सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अब्दुल हादी
2.	श्री अमीनुद्दीन
3.	श्री अमृतलाल
4.	श्री कन्हैयालाल (चिड़ावा)
5.	श्री कल्याण मल
6.	श्रीमती कान्ता खतूरिया
7.	श्री कालूराम आर्य
8.	श्री किशन लाल (नाथद्वारा)
9.	श्री किशन लाल (सिकराय)
10.	श्री खेत सिंह
11.	श्री गंगाराम चौधरी
12.	श्री गणेश लाल
13.	श्री गामा
14.	श्री गिरधारी लाल
15.	श्री गुरदीप सिंह
16.	श्री गुलाब सिंह
17.	श्री गोकुल चन्द
18.	श्री गोकुल प्रसाद
19.	श्रीमती गौरी पूनिया
20.	श्री छुट्टन लाल
21.	श्री जगन्नाथ
22.	श्री जयकृष्ण
23.	श्री जयनारायण (लसाड़िया)
24.	श्री जवाहर मल
25.	श्री दामोदर व्यास (मालपुरा)
26.	श्री देवीलाल (सराड़ा)
27.	श्री देवेन्द्र कुमार
28.	श्री धीरसिंह
29.	श्री नन्दलाल (पाटन)
30.	श्री नाथूराम
31.	श्री नारायण सिंह
32.	श्री परसराम मदेरणा
33.	श्री पी. के. चौधरी
34.	श्री पूनमचन्द विश्नोई
35.	श्री प्रद्युमन सिंह
36.	श्रीमती प्रभा मिश्रा
37.	श्री बनवारी लाल
38.	श्री बरकतुल्ला खां
39.	श्री बलवन्त
40.	श्री बिरधी चन्द
41.	श्री विशम्भरनाथ जोशी
42.	श्री बीरबल
43.	श्री बृजसुन्दर शर्मा
44.	श्री बृज प्रकाश
45.	श्री भीखा भाई
46.	श्री भीम सैन

Page No. 55

47. श्री भूरा
48. श्री मजलिस
49. श्री मथुरादास माथुर
50. श्रीमती मदन कौर
51. श्री मदन सिंह (सिरोही)
52. श्री मनफूल राम
53. श्री मनफूल सिंह
54. श्री महेन्द्र कुमार
55. श्री माधोसिंह
56. श्री मूलचन्द
57. श्री मोहन लाल
58. श्री मोहनलाल सुखाड़िया
59. श्री मोहम्मद उस्मान
60. श्री यशवन्त सिंह
61. श्री रघुनाथजी
62. श्री रणजीत सिंह
63. श्री रतन लाल
64. श्री रामकुमार (चित्तौड़गढ़)
65. श्री राम कुमार (सपोटरा)
66. श्री रामचरण
67. श्री रामदेव सिंह
68. श्री राम नारायण
69. श्री रामप्रसाद लड्ढा
70. श्री रिद्धीचन्द पालीवाल
71. श्री रोशन लाल
72. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत
73. श्री ललित सिंह
74. श्री विद्यासागर
75. श्री शंकरलाल (कपासन)
76. श्री शंकरलाल (जैतारण)
77. श्री शिवचरण
78. श्री शिवचरण सिंह
79. श्री शिवनाथ सिंह
80. श्री शीशराम
81. श्री शोभाराम
82. श्री श्रीनिवास
83. श्री समर्थलाल
84. श्रीमती सुमित्रा
85. श्री हंसराज
86. श्री हरलाल
87. श्री हरिदेव जोशी
88. श्री हरिप्रसाद
89. श्री हरिसिंह
90. श्री हीरालाल
91. श्री हुकम सिंह

विभाजन के अनुसार 'ना पक्ष' के माननीय सदस्य :—

क्रम. सं. सदस्य का नाम

1. श्री अम्बालाल
2. श्री अमीलाल
3. श्री आइदान सिंह
4. श्री आदित्येन्द्र
5. श्री आलम अली
6. श्री ओमदत्त
7. श्री कन्हैयालाल (बस्सी)
8. श्री कालू
9. श्री कृष्णकुमार
10. श्री किशन लाल (नांवा)
11. श्री केदार नाथ
12. श्री केसरी सिंह
13. श्री गंगा सहाय
14. श्री गोवर्धन
15. श्री चुन्नीलाल (खंडार)
16. श्री चुन्नीलाल (नीखा)
17. श्री जयनारायण (निवाई)
18. श्री जसराज
19. श्री जुझार सिंह
20. श्री जैपाराम
21. श्री डूंगाराम

Page No. 56

22. श्री दिग्विजयसिंह
23. श्री दुर्गालाल वाढ़दार
24. श्री दुर्जन सिंह
25. श्री देवीदत्त
26. श्री देवीलाल (केकड़ी)
27. श्री दौलतराम (डूंगरगढ़)
28. श्री दौलतराम (देसूरी)
29. श्री नत्थीलाल
30. श्री नत्थी सिंह
31. श्री नथमल
32. श्री नन्दलाल (किशनगंज)
33. श्री नाथूदास
34. श्री नाथूलाल
35. श्री परसराम
36. श्री पृथ्वीराज (बामनवास)
37. श्री पृथ्वी सिंह
38. श्री प्रेम सिंह
39. श्री फतह सिंह
40. श्री फूलचन्द बाफना
41. श्री बद्रीप्रसाद
42. श्री बालसिंह
43. श्री बृजवल्लभ
44. श्री भगवान दास
45. श्री भैरोंसिंह शेखावत
46. श्री मदन सिंह (दांतारामगढ़)
47. श्री मनोहर सिंह
48. श्री महेन्द्र सिंह
49. श्री महेन्द्र सिंह पंवार
50. श्री मानसिंह
51. श्री मुकुटबिहारी लाल
52. श्री मूलचन्द कटेवा
53. श्री मेघराज
54. श्री मोतीलाल
55. श्री रघुवीर सिंह
56. श्री राजेश्वर सिंह
57. श्री रामकिशन
58. श्री रामचन्द्र (खण्डेला)
59. श्री रामचन्द्र (नोहर)
60. श्री रामप्रसाद बौहरा
61. श्री रामसिंह
62. श्री रामानन्द
63. श्री रावतराम
64. श्री रूप सिंह
65. श्री लक्ष्मन
66. महारावल श्री लक्ष्मण सिंह
67. श्री लादूराम सुलानिया
68. श्री लाभ चन्द
69. श्री विजय सिंह (नसीराबाद)
70. श्री विजय सिंह (मकराना)
71. श्री विट्ठल
72. श्री विट्ठल प्रसाद
73. श्री शम्भूराम
74. श्री श्रवण लाल
75. श्री श्रीराम
76. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
77. श्री सहदेव
78. श्री सांवरमल वासोतिया
79. श्री सुमेर सिंह
80. श्री सुरेन्द्र सिंह
81. श्री सूवालाल
82. श्री सूरजमल
83. श्री हरजीराम बुरड़क
84. श्री हरलाल सिंह
85. श्री हरिवल्लभ शर्मा
86. श्री हीरा

'हां पक्ष' जीता।

श्री पूनमचन्द विश्नोई राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित किये जाते हैं।

(हर्ष ध्वनि हां पक्ष की ओर से)

(11.05 म. पू.)

जयपुर में हुए गोलीकाण्ड के मृतकों के प्रति शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि शोक प्रस्ताव को किस प्रकार लाया जाय । मैंने इस प्रकार के प्रस्ताव की विषमता के बारे में माननीय सदस्यों को जानकारी दी थी । गोलीकाण्ड का प्रश्न अभिभाषण के दौरान में, धन्यवाद प्रस्ताव के वाद-विवाद में यह प्रश्न बराबर लिया जाता रहा है। जयपुर का गोलीकाण्ड मुझे उम्मीद है कि बजट के वाद-विवाद में भी उठाया जायगा । ऐसी विशेष परिस्थिति में जब कि इस बारे में जांच आयोग की कार्यवाही चल रही है। इन विषमताओं के आधार पर इस प्रश्न को मैंने कुछ सीमाओं में बांधना आवश्यक समझा और उस समय मैंने इस प्रश्न पर विचार करने का सदन को आश्वासन दिया था। उसके बाद मैंने कुछ माननीय सदस्यों से बातें भी कीं। मैंने अपना मन्तव्य भी उनके सामने रखा। मैं चाहता था कि यह शोक प्रस्ताव सदन के सम्मुख ऐसी स्थिति में लाया जाय ताकि यह विवादग्रस्त न बने। इस दृष्टिकोण के संदर्भ में इस शोक प्रस्ताव को सदन के सामने इस मान्यता के साथ रख रहा हूं कि यह विवादग्रस्त न होकर के यह पारित हो इसलिये मैं इसको रख रहा हूं:—

"यह सदन दिनांक 7 मार्च को जयपुर में हुए गोलीकाण्ड के मृतकों के प्रति शोक प्रकट करता है तथा उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता है"

(दो मिनिट मौन रह कर यह प्रस्ताव पारित किया गया)

विशेषाधिकार प्रश्न

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज मोशन का प्रश्न।

कल यहां पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था और लिखितरूप में कल सायंकाल दिया गया। जैसा कि माननीय सदस्य समझते हैं विशेषाधिकार के प्रश्न रूल 157, रूल 162 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है। इसलिये मैंने इस विशेषाधिकार के तथ्यों को जानने के लिये माननीय मुख्य मन्त्रीजी को अवगत कराया है पत्र द्वारा । इसी तरह से इसके कारणों से संबन्धित दूसरे मन्त्रीजी से भी जानकारी प्राप्त करने के लिये पत्र दिया है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इसमें कुछ नाम आये हैं, इसलिये इस सम्बन्ध की जानकारी इतने संकुचित समय में प्राप्त नहीं हो सकती थी। कल सायंकाल ही यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया गया था और आज प्रातः आठ बजे से ही सदन वापिस आरम्भ होगया। अतः इस बारे में यह जानकारी प्राप्त होने पर इस पर अन्तिम निर्णय ले सकूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था दी है उसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना। आसन की व्यवस्था सदन के हर सदस्य को मान्य है और उसका सम्मान करना चाहिये। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आपको भी स्मरण होगा प्रीविलेज के क्वेश्चन्स कई बार इस सदन में तुरन्त उठाये गये हैं, उठाये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जाते हैं और लिखित सूचना की भी कई बार आवश्यकता नहीं होती। फौरन ही प्रिविलेज का प्रश्न उठाकर इस हाउस को कोग्नीजेन्स में लिया है और उस आधार पर निर्णय हुआ है। मैं तो यह समझता हूं कि जिस समय यह प्रश्न उठाया गया तुरन्त ही इस सीरियस क्वेश्चन को कोग्नीजेन्स लेकर सम्बन्धित अधिकारियों को गिरफ्तार करके सदन के सामने बुलाया जाता। कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको वैरिफाई करने की आवश्यकता है। प्रिविलेज का क्वेश्चन क्रिमीनल लॉ में भी crime is always against the man.

इसके अन्दर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का ऑफेन्स कुछ परसन्स के खिलाफ है, व्यक्ति विशेष के खिलाफ है, एस. डी. एम. के खिलाफ है, पर्सनल असिस्टेन्ट के खिलाफ हैं। उसमें मुख्य मन्त्री के स्टाफ के लोग इनवॉल्व्ड हैं ऐसी हालत में मुख्य मन्त्री जी द्वारा किस प्रकार से फैक्ट्स के वैरीफिकेशन का प्रश्न आता है। आप इसकी कन्सेन्ट दें या न दें, आपके अधिकारों की बात रूल्स के 157 और 159 और 160 के अन्तर्गत है। दस सदस्य खड़े होकर भी इसके प्रति सहमति प्रकट करें तो भी वह मोशन बन जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था है हमारे रूल्स में, यह इस बात का स्पष्ट संकेत करता है कि आसन को इस बारे में बहुत लिबरल होना चाहिये। प्राइमाफेसी केस बनता है तो प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर देना चाहिये।

प्रिविलेज कमेटी का काम है फैक्ट्स को इकट्ठा करे और जो भी निर्णय हो वह दे। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी स्वयं इस सम्बन्ध में विचार कर लें और यह उनके ही हित में होगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे दी है वह बहुत चिन्तन के बाद दी है। एक अन्य सदस्य ने कहा कि जो हाउस के सामने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है इमीजियेटली उसके ऊपर ऐक्शन लिया जा सकता है लेकिन मुझे इसको देखना पड़ेगा कि आया वह प्राइमाफेसी अथवा इन ऑर्डर है। मैं अपनी व्यवस्था को पुन: दोहराना नहीं चाहता हूं। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है, इसमें एस. डी. ओ., पी. ए. और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम आते हैं उनकी जानकारी मुख्य मन्त्रीजी को होना कही जाती है।

अत: ये तथ्य मेरे समक्ष उपस्थित होने आवश्यक हैं। उसके बाद में ही मैं प्राइमाफेसी आधार पर ही विचार कर सकता हूं। और इसी सदन की यह व्यवस्था है उसको भी मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा There is no rule which binds-it will be taken immediately.

दूसरी व्यवस्था इसी सदन की है :

It will be given priority but atleast there must be some consideration before it is presented before the House,

मैंने व्यवस्था इस सम्बन्ध में दे दी है। अब आगे का बिजनेस लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि आपने व्यवस्था दे दी और मुख्य मन्त्री जी से इसका स्पष्टीकरण भी चाहे लें लेकिन इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन्स हैं। प्रिविलेज इश्यू जिस स्थिति में उठता है और जिस प्रकार से

(श्री भैरोंसिह)
उठाया जाता है उसका अपने आप में महत्व है। विधान सभा के एक माननीय सदस्य . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं कहना चाहूंगा कि आप शुरु करें । उससे मैंने आपसे निवेदन किया कि व्यवस्था पर आप पुनः कोई आपत्ति उठाएं तब तो उसके प्रति आसन को मौन ही रहना होगा, और उदासीन होकर सुनता रहूं या नहीं सुनूं, दो ही चीजें हो सकती हैं। क्योंकि मैंने व्यवस्था दे दी है उसके बाद में आप कुछ भी इस आसन को कहेंगे तो उसका अर्थ कुछ भी नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि जो परम्परा व्यवस्था देने के बाद की कायम रही है उसको निभाया जाय। not to convess the ruling of the speaker.

इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि माननीय सदस्य सतीशचन्द्र जी ने फिर भी इस सम्बन्ध में मेरा ध्यान आकर्षित किया है जो कि नहीं किया जाना चाहिये था; व्यवस्था देने के बाद आप भी उसी बात को कहेंगे इसलिये . . . .

श्री भैरोंसिह : वही बात नहीं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : दूसरी भी होगी तो आज मैं इसको नहीं ले सकता इसलिये मैं माननीय सदस्य से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न को आगे के लिए रख दिया जाये तो मुझे भी सहूलियत होगी। तथ्यों को लेने में और किसी निर्णय पर पहुंचने में मुझको भी इसमें सहायता मिलेगी।

श्री भैरोंसिह : मैं इसी निर्णय के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आपने जो दे दिया उसको स्वीकार करता हूं लेकिन जहां तक मेम्बर्स के प्रिविलेज का सवाल है उस प्रिविलेज के फैक्ट्स असरटेन करने के लिए जिस व्यक्ति के खिलाफ लगाया जाये उसको स्पष्टीकरण के लिए नहीं कहा जाये।

श्री अध्यक्ष : अभिभाषण।

श्री रामकिशन।

श्री लादूराम सुलानिया: अध्यक्ष महोदय, आज चौथा दिन है और मुझे समय दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रामकिशन

(11.14 म. पू.)

रा. म. के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विविध प्रकार के विचार सुनने को मिले हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने राज्य की जो ज्वलन्त समस्यायें थीं या जो व्यवहारिक कठिनाइयां थीं उनके सम्बन्ध में विस्तार से प्रकाश डाला। अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि राज्यपाल का भाषण एक नीति सम्बन्धी भाषण होता है और वह नीति सम्बन्धी भाषण जिस प्रकार का होना चाहिये।

(11.15 म. पू.)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, पूरे भाषण को पढ़ने के बाद मुझे अहसास हुआ है कि इन 5 वर्षों

(श्री रामकिशन)

में और इनसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीतियों में कोई भी मौलिक परिवर्तन नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस भाषण के सम्बन्ध में एक विशेष बात कही थी और उन्होंने यह भी कहा था कि हमें दुःख है कि राज्य की जनता दक्षिणपंथी की तरफ जा रही है। जो उनके सोचने का तरीका है वही तरीका करीब करीब मेरा और मेरे दलका भी है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, असल प्रश्न यह है कि यह हालत पैदा क्यों हुई? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? किन वजह से आज सारे देश में, आज राजस्थान में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के अन्दर कत्तई यह सत्य है कि कांग्रेस जा रही है, कांग्रेस का पतन हो रहा है। चाहे लोक सभा हो, चाहे विधान मण्डल हो उनमें उनकी संख्या काफी घटती जा रही है। भारत में 8 राज्यों में कांग्रेस शासन का अंत हो चुका है और इस 9 वें राज्य में कांग्रेस के राज्य का अंत होगा कांग्रेस की भ्रष्टाचार और अव्यवहारिक नीति के परिणाम से। लेकिन मुझे अफसोस है कि कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी सरकारी पार्टी ने अपने दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं किया। आज कांग्रेस में इस तरह के विचार के लोग हैं जो कि जनता के कल्याण की बात सोचते रहते हैं। मैं उनसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं जो अपने आप कहते हैं कि यहां पर सामन्तों की विजय हुई है, पूंजी-पतियों की हुई है, पुराने राजा महाराजा जीते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक टाइम था जब कांग्रेस त्याग और तपस्या की प्रतीक थी। जब राजा और महाराजा शोषण के प्रतीक थे तो आखिर क्या कारण था कि आपकी तपस्या खत्म हो गयी और जो शोषण के प्रतीक हैं और पूंजीपतियों के प्रतीक हैं वह शासन में आते रहे हैं। लेकिन आपको एहसास होगा कि इसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर है और किसी पर नहीं। इन 15 वर्षों में जिस तरह से आपने लोकतन्त्र का दुरुपयोग किया है और इस शब्द का उपयोग करके आपने जिस तरह से शांति धारण की है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि लोक सभा और विधान सभाओं में पहले आपको प्रबल बहुमत प्राप्त था और इसके कारण किसी भी विधान सभा में ऐसी स्थिति नहीं थी कि जहां आपके बहुमत को चेलेन्ज किया जा सके। पहले भी लोक सभा में आपका प्रबल बहुमत था। कल अलवर से आने वाले माननीय सदस्य एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछ रहे थे कि राजाओं के बारे में आपकी क्या नीति है, प्राईवेट उद्योगों के बारे में आपकी क्या नीति है, राजाओं को दिये जाने वाले प्रिविपर्सों के बारे में क्या नीति है, तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे हंसी आती है कि वह हमसे इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि जैसे हम तो राज्य चला रहे हैं और हमसे स्पष्टीकरण चाहा जा रहा है। यह प्रश्न तो तब उपस्थित होता है जब कि राज्य हम चला रहे होते और तब हमसे पूछा जाता। फिर भी मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरा और मेरे दल का संबंध है उस समय वह मत्स्य के मुख्य मन्त्री थे और हम भी उस समय कांग्रेस में सम्मिलित थे। परन्तु मैंने कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस छोड़ते समय मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि जो राजाओं को और महाराजाओं को प्रिविपर्स दिया जा रहा है

(श्री रामकिशन)

इसको समाप्त किया जाये और आमदनी की सीमा को बांध दिया जाये और इसी भावना से प्रेरित होकर हमने एक प्रस्ताव के द्वारा जब-जब भी हम मिलते रहे हम कहते रहे और हमने उन प्रश्नों को एक बार नहीं बल्कि अनेक बार उठाया है, शायद यह आपको मालूम नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि यह आपके 17 सूत्री प्रोग्राम में है क्या ?

कुछ माननीय सदस्य : बैठ जाओ।

श्री रामकिशन : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज हारे हैं और आपकी पराजय हुई है। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पराजय इसलिए नहीं हुई कि राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं वैसे यह मानता हूं कि आपकी पराजय का एक कारण प्रशासन में भ्रष्टाचार भी है, पर यही एक कारण नहीं बल्कि आपकी पराजय इसलिए हुई कि आपने समाजवादी नीतियों का मजबूती से पालन नहीं किया। आप समाजवाद का नारा तो लगाते रहे लेकिन कर्म से आप पूंजीवादी रहे। कागजों पर आपका समाजवाद अवश्य आया परन्तु कामों से आप पूरी तरह पूंजीवादी रहे। आपने सहकारिता की बात की और उसके अन्दर सहकारी खेती की बात की। आज सारे देश में 32 करोड एकड़ जमीन में खेती हो रही है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस 32 करोड़ एकड़ जमीन में से कितनी एकड़ सहकारी खेती की है ? आपने अपने सम्मेलनों में और जगह-जगह सहकारी खेती का नारा दिया और उसके बावजूद भी इसका नतीजा यह हुआ कि इस 32 करोड़ एकड़ में से केवल 3 लाख एकड़ जमीन पर सहकारी खेती हो रही है। आखिर इन नीतियों का पालन किस ने नहीं किया ? जब आप अपने हार के कारणों को देखते हैं तो आप कहते हैं कि हमें तापड़िया ने हरा दिया, कभी आप कहते हैं कि हमें बिड़ला ने हरा दिया। मैं मानता हूं इस बात को यदि आप कहते हैं तो, लेकिन क्या कभी आपने यह भी सोचा है कि पहले अंग्रेजों के समय में इनके पास कितनी पूंजी थी और कितनी हो गयी है। अंग्रेजों के जाने के बाद जिस बिड़ला की अचल पूंजी 20 करोड़ भी नहीं थी वह आज 3 अरब और 46 करोड़ की हो गयी है। तो यह इतनी अधिक पूंजी किसने बनाई। जिस शांतिप्रसाद जैन की आप बात करते हैं और जिसके पैसे से आप चुनाव लड़कर आये हैं अंग्रेजों के जाने के बाद उनका उद्योग 3-4 करोड़ से ज्यादा का नहीं था उसको आज 211 अरब का किसने बनाया है ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी तसल्ली के लिए भले ही विरोधियों को गाली दे दें, चाहे अपने मन को तसल्ली देने के लिए गाली दे दें लेकिन जब आप बिड़ला को गाली देते हैं, जब आप तापड़िया को गाली देते हैं तो उस समय शांतिप्रसाद जैन और कमल नयन बजाज को गाली क्यों नहीं देते हैं ? वे भी तो दो नम्बर के पूंजीपति हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान की जनता इन दोनों चेहरों को समझने की चेष्टा कर रही है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है और हिन्दुस्तान और राजस्थान का दुर्भाग्य है कि यहां की जनता असलियत को समझने में देरी कर रही है।

(श्री रामकिशन)

मैं समझता हूं कि आपके कर्म और आपके आचरण कितने प्रतिक्रियावादी हैं और जितनी प्रतिक्रियावादी संस्था आज कांग्रेस है उतनी प्रतिक्रियावादी संस्था देश में और कोई नहीं है और न कोई ऐसी प्रतिक्रियावादी सरकार ही है।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री-मण्डल का कोई भी सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : एक उप मंत्रीजी मौजूद हैं।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : दो उप मंत्री मौजूद हैं।

श्री नत्थीसिंह : यही आपकी समाजवादी नीतियों का उदाहरण है। सदन में मंत्री नहीं उप मंत्री हैं। इसीलिए आपकी हार हो रही है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उधर के माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था। बड़े भारी क्रांतिकारी होने का दावा कर रहे थे कांग्रेस वाले। हमसे कह रहे थे कि हम राजाओं से मिल गए, जागीरदारों से मिल गए, रानियों से मिल गए, सेठों से मिल गए या सेठानियों से मिल गए। राजा-रानियों से मिल गए और सेठ-सेठानियों से मिल गए।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सेठानियों की तो आप कह रहे हैं।

श्री रामकिशन : आप जरा अपने चेहरे को तो देखें, जरा शांति से बैठिए। जब सुखाडियाजी मंत्री मण्डल बनाते हैं तो नवाब लुहारू और राव धीरसिंह को आप मंत्री बनाते हैं। आपके यहां पर कई जागीरदार और राजा महाराजा हैं। राजा हरिश्चन्द्रजी आपके यहां थे। आपकी दिल्ली की केबिनेट के अन्दर हिन्दुस्तान के दो बहुत खूबसूरत व्यक्ति राजा दिनेशसिंह और राजा करणसिंह मौजूद हैं। मैं खूबसूरत उनको किस लिए कह रहा हूं यह तो आपके दिलों के सोचने की बात है कि मैं उनको खूबसूरत क्यों कह रहा हूं, लेकिन इन दो राजाओं को हिन्दुस्तान की सरकार की केबिनेट में लिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मध्य-प्रदेश की केबिनेट के अन्दर कितने राजाओं को शामिल किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गुजरात के अन्दर बड़ौदा के महाराजा को क्यों लिया गया है। बड़ौदा के महाराजा के मुकाबले में तो यहां पर जितने महाराजा बैठे हैं वे उनकी जेब में रखे जा सकते हैं, उनको किस तरह से मंत्री-मण्डल में लिया गया है। यह बात दूसरी है कि राजस्थान के राजाओं का विवेक अब जागा है और उन्होंने कांग्रेस का मोह छोड़ दिया है। जहां तक आपकी नीतियों और आपके मन का, आपके संस्कारों का प्रश्न है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं निवेदन करता हूं कि इन नारों को छोड़ कर वास्तविकता पर चिंतन करने की कोशिश करें। जो कांग्रेस के भाई लोकतंत्र, अहिंसा और समाजवाद में विश्वास रखते हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी बीस साल में आज जो अवस्था हो रही है सत्ता के मोह और ज्ञान के अधूरे दर्शन के कारण आज इसकी यह हालत हो रही है। अब न तो कांग्रेस खुद ही सम्भल सकती है, न यह समाजवाद ही ला सकती है और न यह देश से भुखमरी ही मिटा सकती है।

(श्री रामकिशन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी सदन में पहले भी इस बारे में निवेदन कर चुका हूं और पिछली बार भी निवेदन किया था कि आप तो डूबेंगे ही और हमको भी लेकर डूबेंगे। वही स्थिति इस समय सामने आई है। आप भी मारे गए, यह बात दूसरी है कि आपने दो चार मेम्बर तोड़ लिए और सरकार बना ली, आप बड़े व्यापारी रहे हैं और आप यह व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आपने तीन योजनाओं को पूरा किया, तीन योजनाओं की उपलब्धि के बाद, जागीरदारी प्रथा समाप्त करने के बाद, सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के बाद भी आज कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ती क्यों नहीं है ? कांग्रेस पार्टी के वोटिंग का परसेन्टेज क्यों नही बढ़ता है ? सन् 52 में वही परसेन्टेज था, सन् 57 में भी वही रहा, सन् 62 और 67 में भी वही हालत रही। जब आपने तीन-तीन योजनाएं पूरी कीं, जागीरदारों को समाप्त कर दिया, भूमि सुधार के काम भी आपने किए तो जब सारे काम आपके पूरे हो गए हैं तो क्या कारण है कि देश के मतदाता आपसे रुष्ट से रुष्टतर होते जा रहे हैं। तो कांग्रेस के सदस्यों से और नौजवान मंत्रियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जो दूसरे कंजरवेटिव लोग हैं जो केवल सत्ता के साथ चिपके रहना चाहते हैं, इनके लिए तो केवल राजसत्ता ही मुख्य है, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि कांग्रेस का राज रहे या कांग्रेस पार्टी ही शासन में रहे, लोकतंत्र में सरकारों का परिवर्तन तो होता रहता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिन उद्देश्यों के लिए हमने अंग्रेजों से लड़ाई की, जिन उद्देश्यों के लिए राजा महाराजाओं को हटाया था तो क्या हमने लोकतंत्रीय परम्पराओं को स्थापित किया है, क्या हमने देश को गरीबी और असमानता को दूर किया है ? मैं मान सकता हूं कि योजनाओं के नियोजन के बाद कुछ पैसा बढ़ गया है। पूंजी देश में बढ़ गई है लेकिन असमानता की भावना दिनों दिन बढ़ती जाती है। इस सब का जवाब क्या है ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राज किस लिए करना चाहते हैं। हर धर्म में, हर जाति में, हर दर्शन में एक आधार दिया है राज करने का। बुद्ध ने कहा कि बहुत से जनों और बहुत लोगों के हितों के लिए राज करो, चारवाक ने कहा कि कुछ पक्षों के लिए राज करो, लेनिन और मार्क्स ने कहा कि मजदूरों के लिए राज करो। जवाहरलाल ने कहा कि फैशन, आनन्द और सुख शांति के लिए राज करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस लिए राज करना चाहते हैं ? आप अपने परिवार के आनन्द के लिए राज करना चाहते हैं या वातानुकूलित भवन बनाने के लिए राज करना चाहते हैं। बीस वर्ष पहले जब हमने कांग्रेस छोड़ी तो उस समय हमारे कांग्रेसी भाई फटा पाजामा पहनते थे। मैं दो के घरों में गया तो मैंने देखा कि उन्होंने वातानुकूलित भवन बना लिए हैं। तो आप इसके लिए राज करना चाहें, आपके राज करने का उद्देश्य यही हो कि अपने परिवार के लिए आनन्द के साधन इकट्ठे करें और वातानुकूलित भवन बनाएं तो आप बीस साल तो क्या पचास साल तक राज करिए। लेकिन अगर आप जनता के कल्याण के लिए, अपने देश की समृद्धि और तरक्की के लिए राज करना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तीन योजनाएं हिन्दुस्तान में पूरी हुईं, इन तीन योजनाओं में हिन्दुस्तान के आदिवासियों के लिए, राजस्थान के भीलों के लिए और हरिजनों

(श्री रामकिशन)

के लिए, राजस्थान की महिलाओं के लिए, राजस्थान के अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए आपने भलाई के कितने काम किए हैं ? आदिवासियों को क्या मिला है । बलाई, जुलाहे और धोबियों को क्या मिला है । इन्कम के डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में आप देखेंगे तो आप पायेंगे कि राजस्थान के बीस बाईस हजार परिवार ऐसे हैं कि जिनकी बीस से पच्चीस हजार रुपये माहवार तक की इन्कम पहुंच गई है । इसके मुकाबले में राजस्थान में साठ हजार के करीब हरिजन और आदिवासी परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी चार आना रोज, पांच आना रोज और सात आना रोज की है । मैं उपाध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं कि इन सब बातों के लिए सरकार के पास क्या जवाब है । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस की पराजय का कारण कोई दूसरा नहीं है बल्कि कांग्रेस की नीतियां हैं जिनके कारण कांग्रेस की पराजय हुई है । मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का मन्त्रि मण्डल राजस्थान में बना और मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य का मन्त्रि मण्डल छोटा बनाया गया है, लेकिन मुझे इसमें संदेह है कि इस मंत्रि-मण्डल की संख्या आगे नहीं बढाई जाएगी । मेरा कहने का तात्पर्य यह भी नहीं है कि मंत्रि-मण्डल की संख्या बढाई जाय । लेकिन मुझे तकलीफ है तो इस बात की है कि इस मंत्रि-मण्डल में हरिजनों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, इसमें महिलाओं का कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसमें आदिवासियों का कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसमें गूजर और मीणों का जो एक पिछड़ा वर्ग है उसको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । यह प्रतिनिधित्व नहीं देने का भी कांग्रेस का अपना उद्देश्य है । मुझे सुनने को मिला कि इस बात की चर्चा है कि अमृतलालजी यादव और भीखाभाई को इसलिए मन्त्रि मण्डल में नहीं लिया है कि उनकी बात को कोई अफसर मानते नहीं हैं और न इनका चाल चलन ही बढिया था । लेकिन अगर मन्त्रि मण्डल में लेने के लिए चाल चलन की बात ही मुख्य हो तो सुखाडियाजी, आपका चाल चलन तो सबसे अधिक देश में चर्चा का विषय रहा है । नाथद्वारा के मामले को ले लीजिए, सोना काण्ड को ले लीजिए, गुड के मामले को ले लीजिए, सब में आपकी चर्चा होती रही है देश में । अगर चरित्र की बात ही हो तो आपको तो इसमें कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका चरित्र सारे देश में मजाक और निरंकुशता का प्रतीक बना रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस होता है आज इस सदन में एक बात कही गई, मेरे एक माननीय मित्र भूतपूर्व मंत्री भीखाभाई और एक कांग्रेस के सदस्य आए हैं मूलचन्दजी डागा, वह कह रहे थे कि आप बहुत बडी 2 बातें करते हैं, बडी लम्बी चौडी बातें करते रहते हैं, लेकिन आप किसी महिला को क्यों नहीं चुना कर लाए । मुझे अफसोस है कि विरोधी दल और सोशलिस्ट पार्टी अपनी तरफ से किसी महिला को चुनवा कर नहीं ला सकी । यह सही है कि हमारी पार्टी का साथ हरिजनों, आदिवासियों और निम्न वर्ग के साथ है, लेकिन न मालूम क्या कारण है कि महिलाएं हमारी पार्टी में नहीं आतीं । जब मैंने इस बात को रात में सोचा कि क्या कारण है तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि या तो हमारी पार्टी में ज्यादा नीरस लोग हैं जिनकी वजह से महिलाएं उनकी ओर आकर्षित

(श्री रामकिशन)
नहीं होती, या इनमें ज्यादा उद्दण्ड लोग हैं जिनसे महिलाएं अपने आपको सुरक्षित नहीं समझती हैं, तो हमें इन दोनों ही व्याधियों को दुरुस्त करना चाहिए। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मंत्रि-मण्डल में इन वर्गों को भी पर्याप्त प्रति-निधित्व मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कांग्रेस के वक्ता बड़ी 2 बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं के जरिए ये ये विकास कार्य किए हैं, योजनाओं से इतनी तरक्की की है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको गिनाता हूँ आंकड़ों के हिसाब से, मैं तैयार होकर आया हूँ और हर तरह से आपको बताता हूँ कि खेती के मामले में हम पिछड़ गए हैं, उद्योगों के मामले में पिछड गए हैं, व्यापार के मामले में हम पिछड़ गए हैं, सार्वजनिक उद्योगों की हालत खराब है, जो जो भी काम हमने सार्वजनिक क्षेत्र में चालू किए हैं, चाहे वह भाखरी की खान का मामला है, चाहे रोडवेज की बात है या दूसरे सरकारी उद्योगों की बात हो सब में घाटा ही घाटा है, तो आप इस तरह से व्यवस्था करके किस प्रकार समाजवाद लाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे देश के अन्दर जब लगान माफ किया जा रहा है और हमारे यहां पर भी जो छः एकड़ जमीन पर लगान माफ किया गया तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद दिलाऊं कि इसी सदन में आज से चार साल पहले जब लगान माफ करने की मांग की गई थी तो मुख्य मंत्रीजी ने उसे अस्वीकार कर दिया था। अब जब सारे देश के अन्दर जमीनों से लगान हटाया जा रहा है तो उस समय छः एकड़ की लगान माफ करना कोई बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम नहीं है। हालांकि सारी बड़ी बड़ी जमीनों पर टैक्स ज्यादा लगाना चाहिये। सारी जमीनों पर से लगान हटाने की हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि उससे असमानता बढ़ेगी।

जो उन्होंने कहा है कि जमीनों का उन्होंने बंटवारा किया है, अध्यक्ष महोदय (उपाध्यक्ष महोदय) मैंने इस सदन में दो बार सुझाव दिया है और मैं आज उसको फिर दोहराना चाहता हूं कि राजस्थान में पहले 4 करोड़ 11 लाख एकड़ जमीन पर खेती की जाती थी और 3 करोड़ 31 लाख एकड़ तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर खेती के भीतर ली जाती है। तो उसके लिए डेढ़ करोड़ आदमियों की एक भूमिसेना तैयार की जाय····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने भाषण को जल्दी ही समाप्त करें।

श्री रामकिशन : अगर आप कहेंगे तो मैं निश्चित रूप से बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरी यह आदत है, लेकिन यह तय हो गया था अध्यक्ष के साथ। यह हमारे दल के लोगों की ही बात नहीं है। अगर आप इसको अनुचित समझते हैं तो मैं बैठने के लिये तैयार हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनिट और आप बोल लें।

श्री रामकिशन : 5 मिनिट दे रहे हैं इससे तो अच्छा है कि मैं बैठ ही जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष : 12 बजे सरकार की तरफ से उत्तर दिया जायगा और उससे पहले और माननीय सदस्यों को बोलना है। इसलिये कृपया आप अपना भाषण जल्दी समाप्त कर दें।

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्षजी से टाइम तय होगया था कि विरोधी दल को पूरा टाइम दिया जायगा। फिर जैसा आप उचित समझें वैसा करें।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : एक माननीय सदस्य दो दिन से बोलने के लिए उत्सुक हैं।

श्री रामकिशन : आपकी पार्टी को काफी समय दिया गया था।

मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे पर यह आरोप लगाया गया था कि समाजवादी पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ वालों के साथ कैसे मिल गई। मैं इस सदन के द्वारा सब को बतला देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी निश्चित रूप से स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ से मिली है। हमने एक कार्यक्रम तय किया है। यहां पर आम तौर पर यह हल्ला मचाया गया था कि यह पार्टी प्रगतिशील पार्टी नहीं है बल्कि प्रगति विरोधी पार्टी है। हमने एक 17 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया था राजस्थान के लिए और जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी चाहे वे प्रगतिशील हों कि नहीं, लेकिन वे आपके मुकाबले में प्रगतिशील निकलीं। उन्होंने इन दो चीजों को तस्लीम किया कि भूमि का उचित वितरण हो और इसके साथ साथ साफ स्वीकार किया कि भूमिहीन लोगों को जमीनें दी जायेंगी और दो वर्ष के भीतर भीतर जितनी भी पड़त भूमियां होंगी उन सारी जमीनों को वितरित कर दिया जायगा। हम मेल किस से करेंगे यह आपकी चिन्ता की बात नहीं है मगर जिनको हमने छोड़ दिया है जब आप से अलग हुए थे तब भी मिलने की इच्छा नहीं थी और 20 साल हमारी सरकार नहीं बने तो भी मिलने की इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा तो यह है कि जिस कार्यक्रम को भी आप अपने हाथ में लें चाहे आप पूंजीपति व्यवस्था से शासन चलायें या यदि आपका विश्वास समाजवाद में हो तो उसके अनुसार शासन चलायें, उसको पूरा करें। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि नाम तो लेते जायें समाजवाद का और कर्म आपके होते हैं पूंजीवाद के।

आज राजस्थान के अन्दर इतनी जमीन उपलब्ध है जो कि देश के किसी भी सूबे में उपलब्ध नहीं है। अगर सारी जमीन को एक 20 साल का कार्यक्रम बना कर भूमिहीन लोगों को दें और एक अन्न-सेना बना कर जैसा कि जर्मनी ने किया, इसराइल ने किया है, मिश्र ने किया है कि वहां पर अन्न-सेना का निर्माण किया और उनको औजार दिये, पैसा दिया, बीज दिया तो उन्होंने नई जमीनों को तोड़ कर आबाद कर दिया। अगर आप ऐसा कर देते तो राजस्थान के अन्दर ही अन्न की समस्या को नहीं, बल्कि देश की अन्न की समस्या को दूर करते और इसके जरिये से राजस्थान की गरीबी को दूर कर पाते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी भी कार्यक्रम के सम्बन्ध में देखता हूं यहां पर हरिजनों का जिक्र होता है, आदिवासियों का जिक्र होता है, आदिवासियों और हरिजनों के लिए मैं जब जब बात करता हूं तो जाति

(श्री रामकिशन)

विशेष का मतलब नहीं है बल्कि सब शोषित वर्ग से है। उसको उठाने का मतलब समाजवाद के आन्दोलन को तेज करना है। इनके लिए केवल 1 करोड़ 75 लाख रुपया रखा गया था लेकिन जब चौथी योजना में कमी करने का सवाल आया तो सबसे ज्यादा कटौती समाज-कल्याण के महकमे में की गई। उसमें 40 लाख रुपया था उसको घटा कर 12 लाख कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि आपके सोचने का तरीका क्या है? जहां गरीबों का सवाल आता है वहां पर आप मितव्ययता की बात करते हैं और जहां अमीरों का सवाल आता है वहां आप कुछ नहीं कहते। बहुत से नरेशों के यहां बिजली-पानी फ्री देने की सुविधाएं उनको दी गई हैं। उनको आप बन्द नहीं कर सकते हैं जब कि बहुत से नरेश इस बात के लिए तैयार हैं। आप 1500 रुपये से ज्यादा की आमदनी पर नये टैक्स नहीं लगा सकते हैं? इस तरह की दिशा में आप चलेंगे तो योजनाओं में कटौती नहीं करनी पड़ेगी। यहां पर कहा जाता है कि योजना का विकास करना है, मगर अफसोस की बात यह है कि योजनाएं बनाई ही नहीं जाती हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष समाप्त हो गया, लेकिन राजस्थान सरकार की कोई योजना नहीं है। 40 अरब 13 करोड़ की योजना बनाई गई है। उसको घटाकर मैं समझता हूं 2 अरब से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। यह योजना हमारे साधनों पर निर्भर नहीं है और आमतौर पर केन्द्रीय सरकार पर निर्भर है, और केन्द्रीय सरकार की दकियानूसी नीति है।

रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री शोभारामजी इस बारे में कह रहे थे कि सहकारिता के बारे में सोचें। तो आप क्या यह समझते हैं कि हम यहां गाली देने आते हैं, उन लोगों को पता है क्या कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा था कि हम 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन हम साढ़े चार लाख लोगों को ही रोजगार दे पाये, क्यों दे पाये? क्योंकि हमें चौथी पंचवर्षीय योजना में 15 अरब की पूंजी का नियोजन करना था लेकिन उसमें केवल कुछ ही का नियोजन हो पाया। हम पूंजी का नियोजन नहीं कर रहे हैं। हम सरकारी पार्टी से चाहते हैं कि इस हार के बाद तो उनको विवेक आना चाहिये। एक माननीय सदस्य यहां बोल रहे थे और बड़ी बड़ाई कर रहे थे कि हम तो राज्य करेंगे और तुम छाती कूटोगे। वे यह समझे हैं कि हमारा काम छाती कूटना है और इनका काम राज्य करना है। आपकी क्या हैसियत है। अगर हम कांग्रेस नहीं छोड़ते तो आप छाती ही नहीं कूटते पर जमीन पर घसीटते हुए नजर आते। हमने कांग्रेस किसी के कहने से नहीं छोड़ी है, लेकिन हमारी आत्मा ने कहा है कि अब यह कांग्रेस देश का कल्याण नहीं कर सकती है इसलिये उसको छोड़ा है। अभी यहां पर आलोचना की गई थी कि एक मंत्री हवाई जहाज लेकर आये थे। मैं व्यक्तिगत बातों में नहीं जाना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे किसी भी करप्ट प्रैक्टिस की बात नहीं की लेकिन उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस इनके कार्यक्रम को स्वीकार कर लेगी। तो मैंने उनसे यह कहा कि हमारा सबसे पहला कार्यक्रम कांग्रेस को हटाना है। यह वह कैसे स्वीकार करेगी। उसमें झगड़ा पड़ेगा। हमारा पहला कार्यक्रम है देश में से कांग्रेस को हटाना और दूसरा काम है हिन्दुस्तान के भूतपूर्व मंत्रियों की और सरकार

(श्री रामकिशन)

के बड़े-बड़े अफसरों की और पुलिस के अधिकारियों की 20 साल की चल और अचल सम्पत्तियों की जांच करना। इन दो बातों को कांग्रेस माने तो कुछ राय दे सकते हैं। आज इस 20 साल के अर्से में किन्हीं लोगों ने उनके रिश्तेदारों ने, उनके परिवार के लोगों ने और सरकार के बड़े–बड़ अधिकारियों ने इतनी पूंजी कमाई है कि जो कोई भी राज्य हो, चाहे बुरे से बुरा राज्य हो, उसमें इतनी पूंजी नहीं कमा सकते थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। श्री शंकरलाल !

एक माननीय सदस्य (विपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें समय चाहिये।

श्री **उपाध्यक्ष** : 12 बजे से सरकार द्वारा उत्तर दिया जायगा। (श्री शंकरलाल) आपको 7 मिनिट का समय दिया जाता है।

श्री लादूराम सुलाणिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं · ·

श्री **भगवानदास शास्त्री**: जब सरकार उत्तर देगी तो वह समय उनको दे देते। विरोधियों को समय दें।

श्री **उपाध्यक्ष**: आर्डर प्लीज ! 20 मिनिट बाकी हैं।

श्री **शंकरलाल** (जैतारण): उपाध्यक्ष महोदय · · · ·

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह परम्परा रही है कि कोई भी व्यक्ति जिसके लिये माननीय अध्यक्ष महोदय ने समय दे दिया है उस समय कोई आर्बीट्रिली इस तरह से खत्म कर दें तो मैं समझता हूं कि इस आसन के प्रति सहयोग के तरीके के मायने में उसकी रक्षा करने के लिये आपका फर्ज होता है, परन्तु जिस तरीके से अभी तक जो हमारे दल के नेता महोदय बोल रहे थे उनके लिये बैठ जाने का आपने आदेश दिया है, यह सदन की परम्परा के बिलकुल प्रतिकूल रहा है। यह होता है कि अगर भाषण खत्म कराना उचित होता है तो पहले घन्टी बजाकर कहा जाता है। इस तरह से जो यह किया गया है वह हमारे साथी के साथ घोर अन्याय है और इस तरह का जो यह तरीका बरता गया है, मैं समझता हूं कि सदन में हमारे इस तरह के अधिकारों की आप रक्षा करेंगे और आपसे खासतौर से प्रोटेक्शन की आशा करते हैं। हमको कम से कम हमारी बात कहने के लिये मौका मिलना चाहिये। आखिर वाणी के ऊपर इस तरह का प्रेशर होने लगा तो सदन की मर्यादाएं अक्षुण्ण नहीं रहेंगी, ऐसा मैं मानता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि एक दफा नहीं मैंने घन्टी चार दफा पहले बजाई है। माननीय सदस्य जो बोल रहे थे उनकी रिक्वेस्ट पर ही उस टाइम को मैंने 7 मिनट के लिये बढ़ाया था। समय का अभाव है। इस मजबूरी परिस्थिति के अन्दर समय में कमी करनी पड़ी, क्योंकि 12 बजे सरकार की ओर से उत्तर दिया जायगा।

श्री **नत्थीसिंह** (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज तक किसी भी दल के नेता को एकाएक बैठने को नहीं कहा गया

(श्री नत्थीसिंह)

है। यह एक दल के समय में कटौती करने का प्रश्न नहीं है। कल भी हमारे नेता ने कई बार बोलने का प्रयास किया था और इस पर अध्यक्ष महोदय ने हमारे दल के नेता महोदय को कह दिया था कि आपको कल समय मिल जायेगा। उसके उपरान्त भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता को एकाएक बैठने को कह देना सदन की परम्पराओं का हनन है और हम इसका विरोध करते हैं। अगर इस प्रकार सदन की परम्पराओं का हनन होता है और हमारे दल के नेता को बोलने के लिये पूरा समय नहीं दिया जाता है, तो उपाध्यक्ष महोदय, हम आपकी इस व्यवस्था के खिलाफ बहिर्गमन करना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य उस वक्त सदन में उपस्थित नहीं थे। चार दफा वार्निंग की घंटी बजाई गई और चार घंटी बजाने के बाद में उनको आसन ग्रहण करने के लिये कहा गया।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों ने बहिर्गमन किया।)

श्री मुकुटबिहारी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि एक तरफ तो अध्यक्ष महोदय यह व्यवस्था करें, या आज्ञा दें कि आपको बोलने के लिये पूरा समय मिलेगा और दूसरी तरफ उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष की आज्ञा और सदन की परम्परा को ठुकरा दें और इस तरह सदन के सदस्यों का अपमान करें, उन्हें अपनी पूरी बात सदन के सामने रखने का अवसर न दें, यह मेरी राय में जनतंत्र का गला घोंटू कार्यक्रम है और इसके विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

(श्री मुकुटबिहारी लाल ने बहिर्गमन किया)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे सदन की परम्पराओं का अनुमान है, मैं यह समझता हूं कि किसी भी दल के नेता को इस तरह एकाएक बैठ जाने का आदेश कभी नहीं दिया गया। मैंने यह भी देखा है कि सरकारी पक्ष का उत्तर आवश्यक है किन्तु वह उत्तर बारह बजे के बजाय सवा बारह बजे भी हो सकता है और जरूरी समझें तो सदन का समय भी घंटा-आध घंटा आप बढ़ा सकते हैं। आपके द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, मेरे ख्याल में वह एक शोभनीय व्यवस्था नहीं थी और हमारे साथी जो संसोपा दल के हैं, उन्होंने जो बहिर्गमन किया है, उसके साथ एक हद तक सहानुभूति है। इसलिये विवशतापूर्वक मैं और मेरा दल बहिर्गमन करता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विरोधी पक्ष के नेता उस वक्त थे नहीं। चार दफा वार्निंग बेल बजाई गई। उसके बाद बैठने की व्यवस्था दी गई।

(स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री शंकरलाल (जैतारण): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि लगातार दो दिन की कोशिश के बाद जो थोड़ा बहुत समय सदन में बोलने के लिये मुझे दिया गया, उस पर विरोधी पक्ष के सदस्य इस बात पर उतारू हो गये कि मुझे बोलने का समय न दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह उम्मीद करता था कि राज्यपाल महोदय के भाषण के विषय के अन्दर जो चर्चा होगी उससे हमारी राज्य सरकार की, राज्य की जो रीति और नीति है उसके ऊपर कुछ प्रकाश पड़ेगा और इस सदन के सदस्यों द्वारा जो रीति

(श्री शंकरलाल)

नीति सम्बन्धी सुझाव दिये जायेंगे उन सुझावों से राज्य सरकार लाभान्वित होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि विरोधी पक्ष के अधिकतर माननीय वक्ताओं ने इस सदन का समय केवल इस बात को कहने में बिताया कि राजस्थान में किस प्रकार से सरकार बनी, किस प्रकार से उनके मन्सूबे पूरे न हुए, और यह सब बातें कहते हुए कई सदस्यों ने लोकतन्त्र और प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों की दुहाई दी। उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल लोकतन्त्र की दुहाई देते हुए यहां पर सिद्धान्त की बात रखी कि किसी भी दल के माननीय सदस्य उस दल को छोड़ कर दूसरे दल में जाकर सम्मिलित नहीं हो सकते जब तक कि वह अपने दल से इस्तीफा न दे दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शायद उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उन्होंने स्वयं करौली से आये हुए माननीय सदस्य को, कांग्रेस का सदस्य होते हुए भी अपने दल में शामिल किया। उन्होंने इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला····

श्री जसराज : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं है।

कई माननीय सदस्य : है, पूरा है।

श्री **उपाध्यक्ष** : पूरा है।

श्री शंकरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के पहले जो····

श्री **खेतसिंह** : हार-जीत तो मुकद्दर की होती है भई !

श्री **शंकरलाल** : चुनाव के पहले जो अलग-अलग दल थे, जो अलग अलग नीतियों को लेकर जनता के समक्ष चुनाव के मैदान में उतरे थे उस वक्त जनता के दिमाग में यह बात नहीं होगी कि यह अलग अलग दल आगे जाकर एक दल संयुक्त दल के रूप में बनायेंगे। उन्होंने अगर जनता के समक्ष, जिस समय उन्होंने चुनाव लड़ा, यह बात रखी होती, तो उस समय चुनाव मैदान में विभिन्न दल थे, जिनकी अलग-अलग रीति और नीति थी और जिनके सिद्धान्त ऐसे थे जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे–तो उनकी स्थिति दूसरी होती। चुनाव में जीत कर आकर उन्होंने एक संयुक्त दल का गठन किया क्योंकि वह संयुक्त होकर कांग्रेस को गिराना चाहते थे। लेकिन उनके अलग-अलग सिद्धान्तों को देखा जाय, चाहे स्वतन्त्र पार्टी और साम्यवादी दल के सिद्धान्तों को देखा जाय तो एक दल उत्तर में है तो एक दल दक्षिण में है। इसी प्रकार जो संसोपा के सिद्धान्त हैं या जनसंघ के सिद्धान्त हैं वह भी अलग-अलग हैं। लेकिन केवल सरकार को बनाने के लिए और किसी प्रकार से सत्ता को हथिया लें, इस दृष्टि से अनेक दलों ने अपने-अपने सिद्धान्तों को छोड़कर एक दल बनाया। फिर यहां आकर वह दुहाई देते हैं कि लोकतन्त्र के आधार पर सरकार गठित होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने जनता से इस बात की स्वीकृति ली थी, जिस समय उन्होंने चुनाव लड़ा था तो क्या जनता के दिमाग में यह बात थी कि जिस अमुक दल को हम वोट दे रहे हैं वह इसलिये दे रहे हैं कि चुनाव के बाद में वह एक संयुक्त दल बनायेंगे ? अगर ऐसा वे कहते तो हो सकता था कि उनको

(श्री शंकरलाल)

इतने वोट नहीं मिल सके होते। यदि चुनाव के वक्त जनता के सामने इस बात को रखते कि सरकार को बनाने के लिए, अपने दल के सिद्धान्तों का हनन करने के लिए और सत्ता हथियाने के लिये एक संयुक्त दल का गठन किया जायगा, तो जनता शायद ही उनको अपना मत देती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने यह बात भी कही कि आज की सरकार लोकप्रिय सरकार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आम चुनावों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस चुन कर आई है। क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा चुनाव में जीत कर आई है इससे जनता ने यह परिचय दिया है कि वह सबसे ज्यादा कौनसे दल को पसन्द करती है, और वह भी ऐसे समय में जब कि बड़े बड़े राजा-महाराजाओं ने, बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने और सेठों ने मिलकर इस प्रकार के दल का गठन, नापाक गठन किया। यह नापाक गठन इसलिये किया कि किसी प्रकार भी उनके सामन्ती मन्सूबे पूरे हो सकें, लेकिन वह नहीं हो सके। इन सारी स्थितियों के बावजूद कांग्रेस बहुमत में चुन कर आई और कांग्रेस सरकार बनी तो क्या यह कांग्रेस की लोकप्रियता नहीं है। अगर लोकप्रियता नहीं है, तो क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए कुछ मैं रचनात्मक सुझाव रखना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि समय बहुत कम है, फिर भी मैं निवेदन करूं कि राज्यपाल महोदय ने जो भू-राजस्व की समाप्ति की घोषणा की है, उसके बारे में मेरा यह निवेदन करना है कि वैसे तो यह घोषणा स्वागत के योग्य है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस घोषणा से हमारे राजस्थान के तमाम किसानों को समान लाभ नहीं होगा। इसका कारण यह है कि जोत के ऊपर, भूमि की सीमा के ऊपर भू-राजस्व की समाप्ति की घोषणा की गई है। हमारे राजस्थान में अलग-अलग जोत हैं, और अलग-अलग जोत हैं उनमें से कुछ इकोनोमिक होल्डिंग हैं और कुछ अनइकोनोमिक होल्डिंग हैं। अगर एक जगह पर छः एकड़ जमीन के टुकड़े को लाभदायक मानते हैं, इकोनोमिक होल्डिंग मानते हैं तो दूसरी जगह पचास-सौ बीघा के टुकड़े को इकोनोमिकल मानते हैं। इसके अलावा आप बाड़मेर की भूमि को देखिये, जैसलमेर की भूमि को देखिये। इस तरह अलग-अलग जमीन है। इस कारण से किसानों को इक्वल लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा तो यह होगा कि भू-राजस्व की समाप्ति की घोषणा की है, लैंड रेवेन्यू की समाप्ति की घोषणा की है, वह इस प्रकार हो कि इतनी धनराशि की जोत पर भू-राजस्व नहीं लिया जायगा तो सब किसानों को, सब इलाके के किसानों को फायदा मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर विचार करे क्योंकि आज किसानों के दिमाग में यह बात है कि उन बड़ी भूमियों के टुकड़े वालों को, जो कुछ इलाके में इकोनोमिकल होल्डिंग है उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आशा है सरकार इस भ्रम को दूर करेगी।

* उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि भूमि सुधार के बारे में जो बात कही गई है और भूमि सुधार के साथ जो भूमि का आवंटन किया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर भूमिहीन किसान हैं, उनको तब तक जरूरत

(श्री शंकरलाल)

के अनुसार भूमि नहीं मिलेगी जब तक कि राजस्थान में सीलिंग का कानून लागू नहीं हो जायगा । आज बडे-बड़े भूमिपति हैं, जिनके पास हजारों बीघा जमीन है लेकिन वह उस पर खेती नहीं करते हैं । ऐसी भूमियों को सीलिंग के जरिये लिया जाय और उनको किसानों को दी जाय जिनको कि जरूरत है । जब तक सख्ती के साथ यह कानून लागू नहीं किया जायगा तब तक राजस्थान के किसानों की समस्या पूरी नहीं होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूमि के बटवारे का कानून है उसमें हमें मूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा । उसमें जो लैंड लैस की डेफीनेशन दी गई है वह है कि जिसके पास जमीन न हो । तो ऐसे जो जमीन सेठों के पास भी नहीं है, बड़े-बड़े पूंजीपतियों के पास भी नहीं है । वह जमीन के लिये दरख्वास्त करेंगे तो उनको जमीन मिल सकती है । और जो हाथ से खेती करना चाहते हैं उनको जमीन नहीं मिलती है वे लैंड लैस टीनेन्ट्स कहे जाते हैं । आपको इस सम्बन्ध में अपने नियमों को बदलना होगा । वास्तव में भूमि, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पूंजीपतियों को मिलती जा रही है । राजस्थान के अन्दर जो भूमि जागीरदारों को नहीं मिलनी चाहिये थी वह उनके नाम लिख दी गई है । उनको उनकी पर्सनल प्रोपर्टी में गलत नाम लगा दी गई है । मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैतारण में नीम्बाडा में जो जमीन-आज के कानून के अनुसार जब्त होनी चाहिए थी, जो बांध की जमीन है उसको सरकार ने जब्त करने के बजाय उसको जागीरदार की पर्सनल प्रोपर्टी में दर्ज किया गया है ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री **उपाध्यक्ष** : कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री **शंकरलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक बन्ध है जिसके अन्दर 25: 25 नालियें निकली हैं । उससे किसानों की खेती होती थी । वह कानून के जरिये जब्त होनी चाहिये थी और सरकार के पास आनी चाहिये थी, वही बांध की भूमि आज जागीरदार की प्राईवेट पर्सनल प्रोपर्टी में लिखी हुई है । वहां बन्ध से सिंचाई होती है उसमें दो तिहाई हिस्सा लटाई लेते हैं जो भी कानून के खिलाफ है । वह कानून के खिलाफ व्यक्तिगत संपत्ति में लिखा हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं, राजाओं के प्रीविपर्स के बारे में कहना था और भी कई बातों के बारे में कहना था मगर आपके पास समय नहीं है और मैं आपकी व्यवस्था को शिरोधार्य करता हूं । मैं समझता हूं कि मैंने जो बातें कही हैं उन पर ध्यान देंगे ।

श्री **शिवचरणसिंह** (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्री खेतसिंह ने, प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और इस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं भी इसके बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं । यहां पर जो भी डिस्कशन्स हुए, उनसे आशा तो यह थी कि हमारे विरोधी दल के लोग, साम्यवादी, समाजवादी, स्वतन्त्र और जनसंघ के सदस्य अपने अपने विचार इलेक्शन मेनीफेस्टो और अपनी अपनी पोलिसीज पर अपने विचार व्यक्त करेंगे । लेकिन उन्होंने इस पर अपने

(श्री शिवचरणसिंह)

विचार प्रकट नहीं किये और उन्होंने वहां पर भ्रष्टाचार, अनाज आदि बातों की चर्चा की। मैं निवेदन करूंगा कि देश में आजादी प्राप्त हुई लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि राजनैतिक आजादी हमें प्राप्त हुई लेकिन आर्थिक विकास नहीं हुआ। अगर आर्थिक विकास होता तो भ्रष्टाचार की बात नहीं रहती। प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में चाहे वह आज सरकारी कर्मचारी हो, चाहे अन्य कोई हो उसके दिमाग में एक केपिटलिज्म की भावना आई हुई है। आज आप माने या न मानें मगर चुनाव की पृष्ठभूमि में किस प्रकार की अनियमितताएं रहीं एक ओर पूंजीपति लोग, राजा-महाराजा राजस्थान की भूमि पर पेलेस्टाइन बनाने को थे और राजस्थान को बदलना चाहते थे मगर उनके स्वप्न पूरे नहीं हुए और आज वे उनको पूरा करना चाहते थे। मैं जवाब देना चाहता हूं हालांकि विरोधी दल यहां नहीं हैं, उन लोगों के विषय में बहुत सी लाभप्रद बातें उनको बताता। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो मेरे सुझाव हैं वे मैं पेश करता हूं।

शिक्षा सुधार के बारे में जैसा बताया गया है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की स्थिति है वह बिलकुल भिन्न है। और मेरे पूर्व वक्ता ने जो बात कही है उसका मैं समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग गरीब तबके के हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें उनके लिये ऐसा होना चाहिये कि कलेक्टर की तरफ से यह आदेश होने चाहिये कि उनकी फीस माफ करने का प्रश्न उठाया जाना चाहिये।

इसके अलावा हमारे यहां आज तक कई पुरानी प्रणालियां चली आ रही हैं। राजस्थान में हर किसान के लिये हमारे यहां पर कोन्ट्रेक्ट प्रणाली हो कि एक मन नाज मजदूर का होना चाहिये। यह सारे कार्य-क्रम बनाये जाने चाहिये। चाहे दूसरी जगह, दूसरे वर्ग इसको करते हों या नहीं, मगर यहां पर होना चाहिये जिससे खाद्य की समस्या ठीक हो सके।

इसके अलावा मैं मजदूरों की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारे यहां राजस्थान में कहीं इस प्रकार का प्रावधान नहीं कि जिससे मजदूरों को राहत मिल सके। जिस प्रकार का प्रावधान बम्बई में सरकार की तरफ से है उस प्रकार ट्रिब्यूनल का प्रावधान यहां पर भी होना चाहिये जिससे मजदूरों की समस्या हल हो सके। यहां पर बड़े कारखानों और मिलों में इस प्रकार की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है।

इसके पश्चात् मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे यहां गृह विभाग में बहुत बड़ी कमी है। इसकी जिम्मेदारी उच्च तबके के अधिकारियों पर है। आप देखेंगे कि इन्वेस्टीगेशन सब इन्सपैक्टरों के द्वारा होते हैं और जिसको वे चाहें उस केस में इन्वेस्टीगेशन करें और जिसको चाहें नहीं करें। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो भी स्पेशल केसेज में एस. पी. और डी. एस. पी को इन्वेस्टीगेट करने चाहियें जिससे हमारे यहां बहुत बड़ी एफिशियेन्सी बढ़ेगी और हमारे राज्य के लोगों का भला होगा।

इसके अलावा अनाज के विषय में विरोधी दल के नेताओं के भाषण सुने। उन्होंने अनाज के बारे में कहा कि अन्न की समस्या बहुत जटिल हो गई है। लेकिन मुझ

(श्री शिवचरण सिंह)

यह सुन कर बडा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने कपड़े और अन्य कारखानों में बटने वाली चीजों का जिक्र नहीं किया। आज किसान के जरिये अन्न पैदा किया जाता है उसके बारे में कहा....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन एक सेठ और साहूकार जिसके जरिये उनका शोषण होता है उसके बारे में जिक्र नही किया। किसानों के लिये भी उन चीजों के लिये मंहगाई बढ़ी है। मगर उसके लिये उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कांग्रेस के राज्य में खाद्यान्नों की कीमतें बढती हैं तो विरोधी सदस्यों को बड़ी परवाह होती है और उन्होंने इसके लिये कई सुझाव दिये मगर किसी ने यह सुझाव नहीं दिया कि राजाओं को प्रिविपर्स नहीं देना चाहिये, उनको पानी और बिजली मुफ्त में मिलती है, उसके प्रिविलेज हैं उनको नहीं दिये जाने चाहियें। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर राजा-महाराजाओं के प्रिविपर्स बन्द कर दिये जावें तो उससे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है।

टैक्सेशन के बारे में मैं आपको निवेदन करूंगा...

(समय-समप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट और। कि हमारी टैक्सेशन प्रणाली है उसमें सुधार होना चाहिये। हमारे टैक्सेज जिस प्रकार वसूल किये जाते हैं उसमें बहुत खामियें हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे तरीके अपनाये जाने चाहियें जिनसे टैक्स आसानी से वसूल हो सके। यह सभी लोग विरोधी दल के मानते हैं कि आप टैक्स पेयर्स को शील्ड करते हैं।

(12 मध्यान्ह)

फौजियों के बारे में माननीय मदनसिंहजी ने फरमाया था, मैं आपको स्पेसिफिक इन्स्टान्स देता हूं, जनसंघ के मेरे दोस्त श्रवणलालजी की लीडरशिप में....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री शिवचरण सिंह : एक मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज! आप बैठ जाइये।

सरकारी पक्ष की ओर से जवाब।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चार दिन तक बहस हुई, उसमें 7 मार्च को जो गोलीकाण्ड हुआ और उससे पहले की और पीछे की घटनाओं पर विरोधी दल के नेता और दूसरे माननीय नेताओं ने काफी प्रकाश डाला। यह एक दुविधा की स्थिति है। आप खुद इस बात को जानते हैं कि हमारे नियमों में है कि जिस मामले में कोई जुडिशियल एन्क्वायरी स्थापित हो गई हो, जो सबजुडिस हो उसके ऊपर सदन में बहस होना उचित नहीं है। बावजूद इस फैसले के विरोधी पक्ष ने जिद्द की और बहस की, यह बड़ी दुविधा का सवाल है, एक तरफ हाई कोर्ट का जज जांच कर रहा है, मामला सब्जुडिस है, तो मेरे लिये मुश्किल का सवाल है कि इस सम्बन्ध में विस्तार से कुछ बातें सदन के सामने रखूं। पर चूंकि सदन में वाद-विवाद हुआ है, विरोधी दल के नेता ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इस पर कहा है इसलिये मैं बहुत संक्षेप में और इस दायरे में रहते हुए कि जुडिशियल एन्क्वायरी चल रही है उस पर प्रेज्युडिशियल असर नहीं पड़े, इतना ही कहूंगा।

माननीय सदस्य जानते हैं कि 23 फरवरी को जब अपने चुनाव परिणाम घोषित हो गये, उसके बाद की जितनी घटनाएं हुईं उनसे आप परिचित हैं और विरोधी दल के नेताओं ने सरकार बनाने के लिये जिस तरह की कार्यवाहियां कीं, जिस तरह उत्तेजनापूर्ण भाषण दिये, जिस तरह आन्दोलन जयपुर शहर में चलाया वही इस बात के लिये काफी है कि विरोधी दल क्या चाहता था। बजाय इसके कि डेमोक्रेसी में सही तरीके अपना कर, सदन में आकर शक्ति का परीक्षण करते, सबूत देते कि उनका बहुमत है, उन्होंने गलियों और सड़कों पर आन्दोलन शुरू किया, आन्दोलन भी इस तरह का शुरू किया जिसने वायोलेन्स का, हिंसा का रूप धारण कर लिया। एक एक्शन कमेटी बनाई गई आन्दोलन करने के लिये, उसमें सभाओं में उत्तेजनापूर्ण भाषण दिये गये। उन भाषणों में कुछ नेताओं ने जो विरोधी दलों के नेता हैं, जिन्होंने संयुक्त दल बनाया और उसमें सक्रिय कार्य कर रहे हैं, भाषण दिये वे इस बात के सबूत हैं कि उनका विधान सभा में शक्ति परीक्षण का इरादा नहीं था बल्कि उनका इरादा सड़कों, गलियों में हिंसा के जरिये लॉ एण्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का था, वे ऐसी स्थिति पैदा करके गड़बड़ करना चाहते थे। जिस तरह के भाषण दिये वे ही इस बात के काफी सबूत हैं। राज्यपाल महोदय ने 4 मार्च को कांग्रेस दल के नेता को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया, उस रोज चौपड़ पर जिस प्रकार के भाषण हुए, मैं उनके कुछ अंश बताऊंगा जिससे मालूम होगा कि उनका इरादा क्या था?

"राजस्थान के राजपूत खून की नदी बहा देंगे" यह श्री मदनसिंह ने कहा। "पहले तो आप जायज तरीकों से सुखाड़िया को हटादें, वरना मुझ सिपाही को हुक्म दें, मैं एक दिन में सुखाड़िया को हटा दूंगा, मैं तो फौजी आदमी हूं।"

इसी तरह चौधरी कुम्भारामजी जिन्होंने जनता पार्टी बनाई, उन्होंने उसी चौपड़ पर भाषण दिया उसके थोड़े से एक्स्ट्रेक्ट्स मैं आपको सुनाता हूं।

"हमने चुनावों से पहले प्रतिज्ञा की है कि कांग्रेस की हुकूमत नहीं बनने देंगे। राजस्थान के राज्यपाल ने पहली गलती तो यह की कि राजस्थान में सरकार बनाने के लिये सुखाड़ियाजी को आमन्त्रित किया, अब शपथ दिलाने की दूसरी भूल न करें, यदि दूसरी भूल की तो विधान सभा से न मालूम कौन सुखाड़िया को किस घोड़े पर बैठा ले जायगा।"

इसके बाद में कहा :

"हम चाहते हैं कि राज्यपाल और सुखाड़िया राजस्थान से निकल जायं, फिर भी नहीं मानें तो आप मुझे हुक्म दें मैं अकेला हटा कर दिखा देता हूं।"

और आगे कहा :—

"सुखाड़िया के बाप का राज नहीं है इस तरह...."

इस तरह के भाषण उत्तेजना फैलाने के लिये चौपड़ पर दिये गये।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

5-6 तारीख की घटनाओं के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहता क्योंकि वह सब्जुडिस मामला है, पर जो कार्यवाही की गई जिस तरह से आन्दोलन चलाया गया, हिंसा के लिये उत्साहित किया गया इससे साफ साबित होता है कि उनका इरादा इस विधान सभा में शक्ति परीक्षण का नहीं था, उनका इरादा बाहर वायोलेन्स और हिंसा करने का था।

मैं सिर्फ यहां जयपुर जिले के कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने 7 मार्च को जो घटनाएं घटीं और जिस प्रकार का प्रेस नोट निकाला वह काफी विस्तारपूर्वक है, इस सम्बन्ध में वही काफी होगा माननीय सदस्यों के लिये, उसे पढ़ कर सुना देता हूं :

"4 मार्च 1967 को राज्यपाल द्वारा कांग्रेस दल के नेता श्री मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान में सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करने पर स्वतन्त्र, जनसंघ, प्रसोपा संसोपा, साम्यवादी और हाल ही में गठित जनता पार्टी ने राज्यपाल के निर्णय के विरुद्ध अपनी पूर्व घोषणाओं के अनुसार आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। 4 मार्च की सायंकाल उपरोक्त दल के नेताओं ने अत्यन्त उत्तेजनात्मक एवं आग भड़काने वाले भाषण दिये। जिनमें उन्होंने राज्यपाल द्वारा लिए गये निर्णय के विरुद्ध लोगों को भड़काया दूसरे दिन उन्होंने एक विशाल जलूस बनाकर उन क्षेत्रों में प्रवेश किया जिन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबन्ध के आदेश लागू थे। जलूस का नेतृत्व महारावल श्री लक्ष्मणसिंह, सर्व श्री भैरोंसिंह, सतीशचन्द्र, रामानन्द, कुम्भाराम, महाराजा हरिश्चन्द्र तथा रामकरण जोशी ने किया जिसमें विभिन्न दलों के अन्य नेता भी सम्मिलित थे। महारानी गायत्री देवी ने भी जलूस में भाग लिया तथा एकत्र जन समुदाय को भाषण दिया। भीड़ का एक भाग जो अनियन्त्रित और उपद्रवी हो गया था पुलिस से बच निकला तथा उसने मुख्य मंत्री के निवास स्थान को घेर लिया। इस पर प्रदर्शन के आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया गया और भीड को कम से कम बल प्रयोग के द्वारा तितर-बितर कर दिया गया।

इसके बाद उपद्रवकारी प्रदर्शन किये गये, सरकारी व निजी सम्पत्ति को नष्ट किया गया तथा अन्य गुण्डागर्दी की हरकतें की गयीं। पुलिस और जिला प्रशासन को उपद्रवी तत्वों को गिरफ्तार करना पड़ा परन्तु 7 मार्च के प्रातः तक राजनैतिक दलों द्वारा विशेष ढंग से आयोजित इन प्रदर्शनों के साथ धैर्य से वर्ताव करने के प्रयत्न किये गये।

इस बीच महारानी गायत्री देवी केन्द्रीय गृह मंत्री से दिल्ली में मिलीं और उन्हें आश्वासन दिया कि यदि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबन्ध के आदेश वापस ले लिये जायें तो स्थिति तुरन्त सामान्य व शान्तिपूर्ण हो जावेगी। इस आश्वासन के अनुसार राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को परामर्श दिया कि वह इस बात पर विचार करें तथा आज 1.30 बजे अपरान्ह में प्रतिबन्ध के आदेश वापिस ले लिये गये और यह निर्णय भी लिया गया कि गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ दिया जाय। राज्य सरकार के इस निर्णय की घोषणा के बावजूद प्रदर्शनकारी और अधिक उपद्रवी हो गये। वापस लौटते हुए पुलिस दलों को

(श्री दामोदरलाल व्यास)
अनेक स्थानों पर भीड़ द्वारा घेर लिया गया और उन पर पथराव किया गया। ऐसे ही एक दल को जिसमें लगभग 10 पुलिस के सिपाही थे एक 5000 व्यक्तियों की बहुत बड़ी उपद्रवी भीड़ द्वारा जौहरी बाजार में सायं 3 व 4 बजे के बीच घेर लिया गया तथा मारपीट की गयी। भीड़ में से किसी के द्वारा बारह बोर की बन्दूक चलाने से एक सिपाही के सीने में चोट आयी और सात व्यक्ति जिसमें एक उप-अधीक्षक आरक्षी भी सम्मिलित है बुरी तरह घायल हो गये। उप-अधीक्षक आरक्षी अभी तक बेहोश हैं। आत्म-रक्षा का अन्य कोई रास्ता न देखकर और अपने दल के एक सदस्य को घायल देखकर पुलिस को अन्त में आत्म-रक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी जिसके फलस्वरूप 7 की मृत्यु हो गयी तथा लगभग 25 व्यक्ति घायल हो गये।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशनों और पुलिस दलों पर जो भी उनके सामने आये नये सिरे से और अधिक शक्ति के साथ आक्रमण आरंभ कर दिये। उन्होंने बड़ी संख्या में दुकानों को, विशेषरूप से उन व्यक्तियों को जिन्होंने पुलिस को पानी पिलाने व अन्य सुविधायें प्रदान करने में सहायता की थी लूटा व उन पर पथराव किया। इन दिनों पुलिस पर पथराव लगातार होता रहा है जिसमें लगभग 150 व्यक्तियों को चोटें पहुंची हैं। आज के पथराव में पुलिस इन्सपैक्टर जनरल और सुपरिन्टेन्डेन्ट दोनों को ही चोटें लगीं इससे पूर्व नगर दण्डनायक भी घायल हो चुके हैं।

जौहरी बाजार में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाने की घटना के बाद, प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ ने सिटी कोतवाली पर आक्रमण किया और पुलिस द्वारा गोली चलाने पर ही यह भीड़ तितर-बितर हुई।

इन परिस्थितियों को देखते हुए और आन्दोलन के उकसाने वालों की ओर से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया न होने से, प्रशासन के पास कोई अन्य उपाय न रहा सिवाय इसके कि नगर में चौबीस घंटे का कर्फ्यू लगा दिया जावे तथा सेना को बुलाकर व्यवस्था सौंप दी जाय।"

इसके बाद जो घटनाएं हुईं, माननीय सदस्य जानते हैं कि किस तरह हुईं। गोली-काण्ड के सिलसिले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस बात का निर्णय लिया था कि धारा 144 को हटा लिया जाय, 1.30 पर घोषणा कर दी गई, यह निर्णय भी लिया गया कि गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा कर दिया जायगा। इस घोषणा के बावजूद वापिस लौटते हुए पुलिस दलों को भीड़ द्वारा घेर लिया गया और उन पर पथराव किया गया, 10 पुलिस के सिपाहियों के एक दल को 5 हजार की बहुत बड़ी भीड़ के द्वारा घेर लिया गया। तीन चार भागों में पुलिस दलों को भीड़ ने घेर लिया। भीड़ में से किसी के द्वारा 12 बोर की बन्दूक चलाने से एक सिपाही के बन्दूक की गोली लगी। 7 पुलिस के व्यक्ति घायल हुए उनमें एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस थे, घायल हुए डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट काफी दिनों तक बेहोश रहे, उनके सिर में चोट लगी थी। ऐसे हालात में पुलिस को सेल्फ डिफेन्स में गोली चलानी पड़ी।

इन तमाम बातों पर विचार करेंगे तो संयुक्त दल ने जिस प्रकार का आन्दोलन

(श्री दामोदर लाल व्यास)

चलाया, वह आन्दोलन इस तरीके से चलाया कि इसकी वजह से जयपुर में आन्दोलन ने हिंसात्मक तरीका अपना लिया और इस तरह के तरीके अपना कर ऐसी स्थिति पैदा करदी कि जयपुर के अन्दर लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति डिस्टर्ब हो गई। यही कारण थे जिन कारणों से उन सर्कमस्टान्सेज में पुलिस को आत्म-रक्षा में गोली चलानी पड़ी। जिसकी जानकारी मैंने दी।

विरोधी दल के नेता जो यहां अभी हैं नहीं उन्होंने कुछ सवाल अपने भाषण में उठाये थे।

पुलिस के मुद्दे उठाए गए। एक माननीय सदस्य ने एक सरपंच का जिक्र किया। मैं निवेदन करूं कि उस सरपंच को गिरफ्तार किया गया, उसका अफीम जब्त किया गया और केमिकल एग्जेमिनेशन के लिए भेज दिया गया है, रिजल्ट नहीं आया। ज्यों ही रिजल्ट आयगा, उसका अदालत में चालान किया जायगा।

डकैती केस के लिए कहा गया जो पुलिस स्टेशन पर हुआ। माननीय सदस्य ने कहा कि खुद या खुद के खांदान पर शुबहा किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि 20-25 आदमियों ने जनवरी माह में आसपुर के पास करीमिया गांव के अंदर डकैती हुई थी। उन्होंने बन्दूकें काम में लीं, करीब 25 हजार का माल ले गए। तफतीश जारी है। महारावल साहब ने जो कहा कि उनके खांदान पर शुबहा है, तो मैं यही कहता हूं कि राजघराने के किसी आदमी पर शुबहा नहीं किया गया।

यहां एक ट्रक के लिए भी कहा गया। माननीय सदस्य ने कहा कि नाम न नंबर है। इसलिए उसका जवाब देना मुश्किल है।

इसी तरह से माननीय सदस्य श्री देवीदत्त शर्मा, जो बारां से आए हैं, उन्होंने पुलिस के संबंध में बहुत सी बातें कहीं और एक डकैती के केस का जिक्र किया। इसमें फौरन एक्शन लिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर इस मामले में डकैतों का पीछा किया। पूरा पुलिस फोर्स था, दो कंपनी कमांडर्स, 36 हैड कांस्टेबुल्स और 180 कांस्टेबुल्स और आर. ए. सी. के 11 कान्सटेबुल्स थे। ये सब वहां डिप्लाई किए गए। इन डकैतों का पीछा किया जा रहा है। माल बरामद करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। रामगोपाल के लिए भी कहा गया कि वह बाहर गेहूं भेज रहा था, उसको पकड़ा गया लेकिन कार्यवाही नहीं की गई, यह गलत है। इसके खिलाफ कार्यवाही की गई है।

और भी माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही हैं पुलिस के लिए। जहां तक शिकायतों का प्रश्न है, जहां तक पुलिस के कर्तव्यों का सवाल है, उनमें अगर कहीं भी कुछ खामियां पाई गईं तो आवश्यक कार्यवाही की जायगी और देखा जायगा कि पुलिस कर्मचारी अपने अपने कर्तव्य को पूरा करने में कमी नहीं करें।

इसी तरह से मैडिकल विभाग के लिए भी कहा गया है। आप सबको मालूम है कि डाक्टरों की कमी है, 400 डाक्टर कम हैं। इसलिए कुछ चिकित्सालयों में डाक्टस, कंपाउंडर्स या ट्रेन्ड परसोनेल की कमी है। इसलिए कुछ डिस्पेन्सरीज और प्राईमरी हेल्थ सेन्टर्स में डाक्टर नहीं हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इन कमियों को देखते हुए क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिल सके।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि डिस्पेंसरीज और प्राईमरी हेल्थ सेन्टर्स रोटेशन से खाली रहे। ऐसा नहीं कि एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हमेशा खाली रहे। मैं आशा करता हूं कि तीन साल के अन्दर डाक्टरों की पूर्ति हो जायगी तब तक जितने प्राईमरी हेल्थ सेन्टर्स और डिस्पेन्सरीज हैं, उनको रोटेशन से ए क्लास कंपाऊंडर्स के जरिए चलायेंगे और ऐसा नहीं होगा कि एक डिस्पेन्सरी में हमेशा डाक्टर रहें और दूसरी में बिल्कुल नहीं रहे।

श्री खेतसिंह : जब आपके पास डाक्टरों की कमी है तो रिटायर्ड डाक्टरों की सेवा क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हमने बहुत कोशिश की और इस सुझाव पर सोचा। हम रिटायर आदमियों को लेने के लिए तैयार ह अगर वे फिजीकली और मेन्टली फिट हैं लेकिन दिक्कत यह है कि वे रूरल एरियाज में सर्विस करने के लिए तैयार नहीं है। सब जयपुर, जोधपुर, अजमेर इत्यादि स्थानों पर रहना चाहते हैं। इन स्थानों पर रहने के लिए पहले ही बहुत डाक्टर्स हैं। अगर रूरल एरिया में कोई डाक्टर जाने को तैयार है, तो हम उसको रीएम्प्लाय करने के लिए तैयार हैं यदि वह फिजिकली व मेन्टली फिट है।

श्री खेतसिंह : यह सुझाव ठीक होगा कि रिटायर्ड डाक्टरों को मेन अस्पतालों में और जवान डाक्टरों को रूरल एरियाज में रखें।

श्री दामोदरलाल व्यास : जब मैडिकल की मांग आए तो यह बहस कर लेना।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पिछले दिनों से काफी चर्चा हुई। इस समय जब कि मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं देखता हूं कि सामने की कुर्सियां खाली हैं और जब कुर्सियां खाली रहती हैं तो बोलने का उत्साह भी कम हो जाता है क्योंकि जो बातें उन्होंने कहीं, तो स्वयं यदि कहने वाले उपस्थित हों और फिर कही जायं तो ज्यादा उपयुक्त होता है। फिर भी जो भी माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं उनकी जानकारी के लिए कुछ बातों पर प्रकाश डालूंगा। यह आम चुनाव जो देश भर में हुए, आज मेरी यह निश्चित मान्यता है कि जिन विपरीत परिस्थितियों में, जैसे कई जगह भयंकर अकाल, मंहगाई और सब तरह की परेशानियों के बीच में, अगर और कोई सरकार होती कांग्रेस के बजाय तो 5 साल के बाद वक्त पर आम चुनाव कराने के बजाय शायद कोई बहाना ढूंढकर चुनाव को आगे पीछे डालने की कोशिश करती। लेकिन यह कांग्रेस की हिम्मत थी कि ऐसी परिस्थितियों के होते हुए भी उन्होंने चुनाव कराए।

आम चुनाव के कई जगह अलग अलग परिणाम आए और उसके अनुसार सरकारें बनी हुई हैं। राजस्थान में भी जैसे सबको मालूम है और कई बार कहा जा चुका है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस

(12. 18 म. प.)

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

का साथ छोड गई, जनमत कांग्रेस के विरुद्ध हो गया। जो युनाइटेड फ्रन्ट कहलाता है उसके द्वारा ये बातें उठाई जाती हैं। यह सब की जानकारी के अन्दर है और आंकड़े हैं कि 1962 के अन्दर कांग्रेस को राजस्थान में 40.02 प्रतिशत मत मिले थे सारी सीटों पर। 1967 के चुनाव में हमने दो सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। 182 पर कांग्रेस चुनाव लड़ी और आंकड़ों से मालूम होता है कि राजस्थान में 1962 के मुकाबले करीब करीब डेढ प्रतिशत आम जनता ने कांग्रेस को ज्यादा मत दिए और उन परिस्थितियों के अन्दर जब महंगाई, अकाल, मुश्किलें सारी चीजें सामने थीं लेकिन इन चीजों के होते हुए भी आम जनता ने राजस्थान में कांग्रेस में ज्यादा विश्वास प्रकट किया। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के बहुत से माननीय सदस्य जो उधर बैठते हैं वे अगर यह कहें तो ज्यादा अच्छा हो कि जनमत के आधार पर वे नहीं जीते हैं बल्कि गऊ माता के भरोसे पर बहुत से जीत कर आये हैं। उन्होंने जनमत के

(हियर हियर)

आधार पर अपनी नीतियां रखी होतीं और अपना कार्यक्रम रखा होता और उसके भरोसे पर पहले यह युनाइटेड फ्रन्ट बना लिया होता और वह मिल जुल-कर चुनाव लड़ता तो हम यह समझ कर चलते कि युनाइटेड फ्रन्ट कायम हो गया है और जनता ने उसमें विश्वास किया है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह छिपा हुआ नहीं है कि कहीं गऊ माता का नाम लेकर और जनता में भ्रम फैला कर वोट लेने की कोशिश की लेकिन आम जनता ने, जैसा मैंने कहा, डेढ परसेन्ट वोट कांग्रेस को ज्यादा दिये हैं। कांग्रेस के अलावा कई दल आपस में लड़े। आज यह कहा जाता है कि विरोधी दल आपस में मिल कर एक हो जायं तो माना जाता है कि जनता का यह मेनडट है। मैं निवेदन करूं कि सोशलिस्ट, इन्डिपेन्डेन्ट, कम्युनिस्ट पार्टी वाले कई जगह जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी उनके जुड़े हुए मोर्चे के खिलाफ इन लोगों ने वोट मांगे, कांग्रेस के खिलाफ भी मांगे और इन दोनों पार्टियों का तो गठबन्धन था और कुछ जगह जनता पार्टी बनी उसका विरोध अजीब था। कहीं मौका मिला तो टिकिट स्वतन्त्र पार्टी में ले लिये, कहीं मौका मिला जनसंघ का सिम्बल ले लिया और कहीं मौका नहीं मिला तो ऊंट और साइकिल लेकर खड़े हो गये। इस तरह के चुनाव हुए हैं। जनमत के आधार पर तो तब कोई पार्टी कह सकती है जब जनता में अपना कोई मैनडेट लेकर जाय और लोगों ने उनका साथ दिया हो और फिर यह कहें कि लोगों ने इस कार्यक्रम को लेकर हमें चुना है।

अध्यक्ष महोदय, एक युनाइटेड फ्रन्ट बनाया गया। 17 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया। एक दूसरे इस बात को जानते हैं कि यह कार्यक्रम हमारे गले में नहीं उतरता। स्वतन्त्र पार्टी के लोग महारानी और कई महाराजा साहब प्रिवीपर्सेज पानी बिजली की सुविधायें आदि छोड़ने के लिये तैयार हो गये। लेकिन उन्होंने यह सोचा था कि कहीं उनकी सरकार बनी तो बाद में कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट को छुट्टी दे देंगे। उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिये। कई ने कहा सीलिंग का कानून लागू करना पड़ेगा वरना हम साथ नहीं हो सकते तो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उस पर भी दस्तखत कर दिये। किसी तरह तादाद बढ़नी चाहिये, बहुमत हो जाना चाहिये। एक बार कुर्सी पर बैठ जांय। तो मंशा यह थी कि कुर्सी पर बैठ जांय तो धीरे 2 इस बात की कोशिश करें कि न सीलिंग खत्म की जाय, न राजा महाराजा के प्रिविलेजेज खत्म की जांय और मौका लेकर मिड–टर्म इलेक्शन कराये जांय। यह उनका इरादा था। मैं निवेदन करूं कि बहुत से उस पक्ष में बैठने वाले व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि मिड–टर्म इलेक्शन राजस्थान में हो। हम इस तरफ बैठने वाले भी नहीं चाहते कि राजस्थान में मिड-टर्म इलेक्शन हो। यह जो कहा गया कि मैं चाहता था कि सारी की सारी विधान सभा भंग कर दी जाय, मैंने किसी स्टेज पर यह नहीं कहा है। जयपुर में लोकतन्त्र बचाओ समिति, सेव डेमोक्रेसी जिस नाम से कही जाती है, उसका निर्माण हुआ। एक माने में शिकायत हो सकती है भूतपूर्व राज्यपाल से तो वह कांग्रेस वालों को हो सकती है कि 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी की बाकायदा बैठक हुई जिस बैठक में मुझे पार्टी का नेता चुना गया। उस समय कांग्रेस पार्टी के 92 सदस्य मौजूद थे और 25 से 2 तारीख तक 92 सदस्य रहे और विरोधी पक्ष पूरा नहीं बन पाया था, कम्यूनिस्ट पार्टी ने जोइन नहीं किया था, कार्यक्रम नहीं बना पाये थे तो क्या 25 तारीख को कांग्रेस की ओर से हम हकदार नहीं थे कि हमें निमन्त्रण दिया जाय कि कांग्रेस की सरकार बना दी जाय। क्या जनतन्त्र का तकाजा नहीं था कि बहुमत का ठीक आधार था तो हमें निमन्त्रण करके सरकार बनाने देते। लेकिन राज्यपाल महोदय ने उनको पूरा समय दिया। जो मुद्दे उन्होंने उठाये उनका उत्तर दिया गया और बाद में मूल व्यवस्था को आधार बनाया और वह यह बनाया। उन हालतों को देख कर 25 तारीख से लगाकर 2 तारीख तक कांग्रेस के 92 सदस्य थे अचानक 91 हो गये, एक सदस्य उधर चला गया, एक दिन में जनमत का प्रश्न आ गया और 8-10 दिन तक 92 सदस्य कांग्रेस के रहे उस समय सेव डेमोक्रेसी का नारा नहीं लगा। जब उनके सामने मौका आया उन्होंने उन आधारों को आधार बना कर, जो परिस्थितियां देश में हो रही थीं, मद्रास में श्री राजगोपालाचार्य, स्वतन्त्र पार्टी के नेता, वहां एक युनाइटेड फ्रन्ट बन गया था, वहां मद्रास में कांग्रेस की ओर से राजगोपालाचार्यजी को निमन्त्रित किया गया हालांकि विधान सभा में चुन कर नहीं आये, उस वक्त नहीं समझा गया कि लोकतन्त्र की हत्या हुई है। मैं सब माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि जो कुछ राज्यपाल महोदय ने कहा है या जो कुछ निमन्त्रण उनकी तरफ से मिला है वह निमन्त्रण पांच साल की हुकुमत के लिये नहीं दे दिया, मुझे पांच साल के लिये मुख्य मंत्री पद नहीं दे दिया था। उस निमन्त्रण के बाद दस दिन के अन्दर ही विधान सभा की बैठक बुला ली गई थी। विधान सभा में आकर अगर हमारा बहुमत नहीं था और आप से हमारे वोट कम होते तो जनतन्त्र तो बचा हुआ था और इस सरकार को स्तीफा देना पड़ता। जनतन्त्र को बचाने के लिये यह सदन मौजूद है, जिसका बहुमत हो उसकी सरकार बने और उसके बाद हो सकता है हमारा बहुमत किसी समय न रहे तो क्या इस सदन को सरकार परिवर्तन का अधिकार नहीं है ? सदन को अधिकार है यह सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। उसको अधिकार है। लेकिन कुछ राजनैतिक नेताओं के दिल

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
में इस बात की लगन लगी हुई थी कि हमने एक बात का एलान किया है कि कांग्रेस सरकार हरगिज नहीं बनने पायेगी, कांग्रेस की सरकार बन जायेगी तो हमारी बात चली जावेगी, उस चली जाने वाली बात के पीछे जनता को गुमराह किया गया और उसके पीछे बहुत सी घटनायें हुईं। जनतंत्र बचाओ वाली बात कही जाती है उसके लिये यह सदन है, जनतन्त्र के बारे में जो कुछ कहना हो, कहा जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं तो गलत नहीं होगा कि देश में आम चुनाव सब जगह हुए हैं लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार धन पानी की तरह बह रहा था आपने कई जगह जाकर देखा है कि चुनाव में जनमत का परीक्षण हो रहा था या धन की नदियां बह रही थीं।

(हियर हियर)

पाली जिले में जनता मत दे रही थी या पैसे का खिलवाड़ हो रहा था, झुन्झुनूं जिले में क्या हो रहा था इसका पता लगाया जाय तो मालूम हो जायगा। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस ने इतनी तूफानी हालतों में जो कुछ करके बताया वह भारत के इतिहास में उज्जवल रहेगा।

(हियर हियर)

सामन्ती जो उतार चढ़ाव, दबाव, धमकियां, आज यह हालत है राजस्थान के अन्दर कि कामराजजी भाषण देने आवें तो हल्ला मचावेंगे। इन्दिराजी हमारी प्रधानमन्त्री भाषण देने आएं तो कहीं नहीं बोलने दिया जावेगा। मुरारजी भाई भाषण देने आयें तो उन्हें नहीं बोलने दिया जावेगा और चव्हाण साहब जोधपुर में जावें तो पत्थरों की वर्षा की जावेगी और मीटिंगों में ही हल्ला किया जावेगा। राजे महाराजे कई इकट्ठे हुए, दूसरे सारे तत्व इकट्ठे हुए, धन इकट्ठा हुआ, हल्ला गुल्ला इकट्ठा हुआ, धर्म के झूठे नारे इकट्ठे हुए पर सब इकट्ठे होने के बाद भी जनता ने कांग्रेस को 62 से ज्यादा वोट दिये।

आज इस बात को, मैं जानता हूं कि जनतन्त्र में सरकारें आती हैं और जाती हैं, मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मुझे हमेशा इस कुर्सी पर बैठे रहना है, मैं इस बात का दावा नहीं करता कि कांग्रेस का ही हमेशा के लिये अधिकार है कि वह बैठी रहेगी।

पर अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां थोड़ा सा बीच के अन्दर परिवर्तन हुआ। भाई जगन्नाथ पटेल को धोखाधड़ी में उठा कर ले गये और दिल्ली में पेश कर दिया तो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी सेव हो गई। जगन्नाथ फिर चला जावेगा तो डेमोक्रेसी का हनन हो जावेगा। तो यह उनकी डेमोक्रेसी को सेव करने का तरीका है इसको स्वीकार करके चलें।

आज विरोधी पक्ष में कई पार्टियां शामिल हैं आपसी मतभेद के बावजूद साम्यवादियों को मन्जूर है स्वतन्त्र पार्टी के साथ मिल जाना, जन संघ में मिल जाना। जनसंघ को मन्जूर है समाजवादी पार्टी और स्वतन्त्र पार्टी के साथ मिल जाना। कांग्रेस को हटाने के लिये सब मिलकर ताकत लगावें और उसे हटाने की कार्यवाही करें। मुझे इसमें ऐतराज नहीं। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस के अन्दर संगठन की वे बात करते हैं, सिद्धान्तों की बात करते हैं तो कहीं ठहरते नहीं। अगर स्वतन्त्र पार्टी और जन संघ का गठबन्धन शुरु से होकर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चलता तो इसे मैं समझ सकता था। जिन उसूलों पर लड़ कर आये वे ठीक हैं पर जिस रोज से युनाइटेड फ्रन्ट बना उस रोज से उसूल तो सबके ताक पर चले गये। एक दूसरे से लड़कर आये। पर आज के दिन पता नहीं जनसंघ और सोशलिस्ट, स्वतन्त्र और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो चुनाव के वक्त आपस में लड़े कैसे आज आपस में एक हो गये। अपने सिद्धान्तों को छोड़ कर एक संयुक्त पार्टी में आ गये। इसके बाद राजस्थान में आज से कुछ दिन पूर्व अध्यक्ष महोदय, एक भाषण दिया गया और भाषण यह दिया गया कि कांग्रेस को समाज से नेश्त नाबूत कर दो। फलाने को इस प्रकार से कर दो। कांग्रेसजन को घूमने मत दो। एक खुली हिंसा का प्रचार किया गया।

मैं तो आज यह निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता था कि विरोधी दलों की सरकार बन जावे तो विरोधी दलों की सरकार बनने के बाद कांग्रेस को एक विरोधी दल के तौर पर काम करने के और स्वतन्त्रतापूर्वक काम करने के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। क्या यही जनतन्त्र बचाव है कि जिस वक्त 93 को लेकर जाते हैं और सरकार की मांग करते हैं और साथ में यह भाषण दिया जाता है कि फलाने को हटाओ, राजस्थान से, फलाने को निकालो राजस्थान से सामने वाले के साथ इस प्रकार का व्यवहार करें तो फिर उधर कहीं जनतन्त्र की भावना है ?

जनतन्त्र में तो एक पक्ष जीतता है तो दूसरा पक्ष वाला हाथ मिलाकर कहता है कि तुम आकर बैठो, हम विरोधी पक्ष में अपना कर्तव्य अदा करेंगे पर यहां तो इस तरह की हवा बांधने जा रहे थे कि राजस्थान भर में एक हिंसा का वातावरण पैदा हो रहा था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कहा जाता है कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने अपना यह फैसला देकर गलती की। अब तो बात वह समाप्त हुई। उनके बाद नये राज्यपाल महोदय आये और नये राज्यपाल महोदय ने आकर बातचीत की। मुझसे भी बातचीत की। हमारा दल तो एक है। इसलिये अकेले मुझ से बात करने से ही काम चल गया पर विरोधी पक्ष वाले तो कई दल मिलकर गये। कई नेता साथ गये और उन्होंने जाकर बात की। एक रास्ता निकाला हमने। लिस्ट की जांच करें।

हमारे विरोधी पक्ष के लोग, जयपुर की जनता को, राजस्थान की जनता को और भारत की जनता को कुछ दिनों तक गुमराह कर पाये। लेकिन वह दिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिये मुनहरा दिन आया कि जिस दिन राज्यपाल महोदय ने लिस्ट मांगी कि आप अपने अपने दल के सदस्यों की लिस्ट भेज दीजिये। तो हमारे विरोधी पक्ष के लोग 101 की लिस्ट से ही सन्तुष्ट नहीं हुए। शाम होते होते आठ नाम और भेजे और कहा कि हमारे 101 नहीं, हमारे दल के तो 109 हो गये और 109 नाम भेजे। तब हमने अपने पक्ष की तरफ से 94 के सिवाय जो एक झालावाड़ से आये लक्ष्मण हैं, उन्होंने कांग्रेस का फार्म भर दिया था कह दिया था कि मेरा नाम भेज दो। मैंने कहा कि मुझे शक होता है कि जनसंघ ने हमारी पार्टी में जान बूझकर तो नहीं भेजा है। तो इसलिये 94 से 95 नाम हमने नहीं किये अध्यक्ष महोदय, 94 नाम भेजे और हिन्दुस्तान के सब लोगों ने रेडियो पर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सुना कि चाहे हमारे 21 लोगों के नाम ज्यादा भेजकर हमारे स्वाभिमान पर संयुक्त पार्टी वालों ने ठेस पहुंचाई हो पर सारे भारत वर्ष ने सुना कि कांग्रेस के 94 एक फौलाद की तरह 94 के 94 ही साबित हुए।

(हियर हियर की आवाज)

जो 109 की बात कही गई वह झूठ साबित हुई। अब कहा जावे कि डेमोक्रेसी सेव करना है। जनतन्त्र बचाना है। मैं बताऊं अध्यक्ष महोदय, यह जनतन्त्र बचाने का सवाल नहीं था। यह तो कुछ लोगों की कुर्सियां पकड़ने का सवाल था।

आज राजस्थान के अन्दर कहा जावे कि पिछले बीस साल के अन्दर जनता परेशान हो गई। साथ ही यह भी कहा गया अध्यक्ष महोदय कि अकाल के काम चालू करके कांग्रेस जीत गई। मुझे खुशी हुई। आज ही ऐसा मौका आया जब विरोधी पक्ष की ओर बैठने वाले लोगों ने कहा कि हजारों लाखों गायें और पशु मरने वाले हैं, भयंकर अकाल है। मैंने पूछा कि क्या भयंकर अकाल है? तो कहा हां है। हम तो इस पक्ष में बैठे हैं इसलिये हमें अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा।

मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, भूखों के लिये अकाल के काम चालू किये जावें रोटी दी जावे। उस रोटी देने वाले मामले के लिये भी विरोधी पक्ष के लोग यह कहेंगे कि हम तो विरोधी पक्ष में बैठे हैं इसलिये हमें अपना काम करना है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल जैसे मसले को राजनीति का मसला नहीं बनाया जावे। वे इस प्रकार की बात कहते हैं। भारत सरकार के पास जाकर रुपयों की मांग करना चाहते हैं, अन्न की मांग करना चाहते हैं। राजस्थान के अपने लाखों अकाल पीड़ित लोगों के लिये जरूरत है जल्दी दें। तो उन्हीं के भाषण हमारे सामने लाये जावेंगे और कहा जावेगा कि राजस्थान में तो अकाल नजर नहीं आता है।

फिर ये कहते हैं कि काम होना चाहिये, लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, अकाल में कोई नाम मात्र के मिनिमम वेजेज दिये जाते हैं। मामूली से मामूली वेतन मिलता है। उनका वेतन पहले का तै किया हुआ है जो कि बहुत मुश्किल से जीवन यापन के लिये पर्याप्त होता है। वह जीविका के लिये दिया जाता है। उन वेजेज पर भी लोग इतनी तादाद में आते हैं इसका कारण क्या है? आखिर क्यों आते हैं? किस वजह से आते हैं? इसलिये तो आते हैं कि उनके पास दूसरा रोजगार नहीं है। तीन तीन साल से, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा और उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों के लिये कहा गया उनमें तीन साल से अकाल पड़ रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नवम्बर दिसम्बर के महीनें में मैं उस इलाके में गया था। जब पहले से बहुत से काम चालू नहीं हुए थे। उनके झौंपड़ों में मैंने जाकर देखा तो एक रोज का खाने का उनके घर में नहीं था। गुजर बसर करने का उनके पास कोई जरिया नहीं था। आज और जगहों के इलाकों के कई लोगों के मुकाबले में जो पहाड़ों में बसे हुए आदिवासी लोग हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो उनकी हालत को देखें कि वे किस प्रकार से हैं। एक साल के

(श्री मोहन लाल सुखाड़िया)
अन्दर 12 महीनें का खाने का नहीं होता। फिर तीन तीन साल से अकाल पड़ रहा है तो उसके लिये इन्तजाम किया जाता है तो कहा जावेगा कि वोट मांगने के लिये यह सब किया।

अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में कई हमारी कांग्रेस को छोड़ कर चले गये ऐसी बात उड़ी थी हमारे विरोध में। पर गंगानगर में कोई अकाल का काम नहीं चल रहा था। नहरें चल रही थीं। फिर भी कांग्रेसी वहां से जीत कर आये। क्या वजह थी? क्या वहां पर अकाल के कामों की वजह से हमें वोट मिले। क्या हम नहीं जानते हैं कि दौसा और उसके पास लालसोट और बांदीकुई के इलाकों के अन्दर, अलवर के कुछ इलाकों में, धौलपुर सब डिविजन में और कई इलाकों में, सिरोही के कुछ इलाकों के अन्दर अकाल के कामों की वजह से कांग्रेस जीत कर आई? यह कह कर नहीं चल सकते। जीत कर आये कई इलाकों में कांग्रेस की शक्ति पर, व्यक्तियों के कामों पर और मैं तो आज निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के अन्दर तो अगर कमजोरी आती है और दिक्कतें आती हैं तो हमारी कांग्रेस के आपस के झगड़ों के कारण आती हैं। व्यक्तियों और नीतियों की दिक्कत से नहीं आती हैं। आज भी अध्यक्ष महोदय, नव्वे के करीब स्थानों पर विजय पायी है कम से कम सौ सीटें जीतकर आने का हमारा दावा था। थोड़ा सा फर्क बाकी रह गया, वह भी पूरा हो जाता लेकिन कुछ हमारे साथी नाराज होगये, और वे हमसे अलग होगये। इसमें यह कहना कि जनता ने हमें नहीं चाहा, यह ठीक नहीं है। जहां तक जनता का ताल्लुक है, यहां कुछ बातें रखी गई। मैं यह दावा नहीं करता कि राजस्थान के अन्दर सब तरह का सुख चैन है, कोई गलती नहीं है। बीस साल से कांग्रेस काम कर रही है, इसमें गलतियां भी हुई हैं लेकिन एक बात निश्चत रूप से कह सकता हूं कि इन बीस सालों के अन्दर राजस्थान नहर, भाखरा, चम्बल, और माही की योजना और कई योजनायें, बड़ी बड़ी बिजली की योजनायें हाथ के अन्दर ली गई। एटोमिक पॉवर, सतपुड़ा का पॉवर स्टेशन, भाखरा, चम्बल विद्युत् योजना और दूसरी योजनायें हमने चालू की हैं इससे आने वाला भविष्य इस बात को साबित करेगा कि कांग्रेस शासन के बीस वर्ष में राजस्थान के भविष्य का किस प्रकार से निर्माण हुआ। आखिर किसी राष्ट्र या प्रान्त का निर्माण करने में वक्त लगता है, उसके सामने मुश्किलातें आती हैं। आज हमारे सामने सतपुड़ा के पॉवर हाउस के लिये कई मुश्किलातें हैं, धन का अभाव है। फिर हमने इन बड़ी बड़ी योजनाओं को हाथ में लिया, कांग्रेस ने इन बीस वर्षों में इन मुश्किलातों का सामना किया है, हम जानते हैं कि हमें कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा है, विपरीत परिस्थितियों पर हम निगाह डालें तो आप इस बात को आसानी से समझ सकेंगे कि आज से बीस साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या हालत है?

बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि कांग्रेस खुद कायदे कानून की बातें करती है लेकिन खुद तोड़ती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुतों ने कांग्रेस का टिकट मांगा था, उनके मांगने के बाद सब की इच्छा तो हम पूरी नहीं कर सके। उसके

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बाद वे दौड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं और वे टिकट देने के लिये तैयार होजाते हैं। आपने कौनसा राजनीति का कोड रखा है। मैं इस बात के लिये अखिल भारतीय आधार पर तैयार हूं आज समय की आवश्यकता है देश के अन्दर यह तय किया जाय कि अमुक तारीख तक पार्टीज से लोग बाग टिकट मांग लें। उसके बाद कोई पार्टी किसी को टिकट नहीं दे। दूसरी कोई पार्टी किसी को नहीं दे इसी से जनतन्त्र के उसूलों की रक्षा होगी। होता क्या है कि दूसरी तरफ लोग इन्तजारी में बैठे रहते हैं कि कांग्रेस की लिस्ट निकले तो हम अपनी लिस्ट निकालें। ताकि उधर से कुछ लोग रह जायें वे हमारे में आकर मिल जाय। हमारे अन्दर जो सदस्य आये हैं वे कुछ लोग इसी तरह के हैं, वे उन पार्टीज के सिद्धान्तों के आधार पर जीत कर नहीं आये हैं। वे वे ही सदस्य हैं जिन्होंने दस साल पांच साल तक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। जैसे रामकुमारजी हमारे इधर आये थे कांग्रेस कार्यकर्ता थे, इन्होंने कांग्रेस का काम किया। वे खड़े होगये और जीत कर आगये। कोई यह समझे कि वे हमारे पार्टी में आने के कारण जीतकर आये हों यह बात नहीं, उनके सिम्बल से जीतकर आये हों यह बात नहीं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर आज बहुत सी बातें चलती हैं। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, चाहे विरोधी पक्ष के सदस्य हों या हमारे से किसी भी प्रकार से मतभेद रखने वाले व्यक्ति हों, वे भी इस बात को मानेंगे कि हमने इधर बैठकर किसी भी विरोधी सदस्य के साथ अपनी हकूमत के बल पर अपमानित करने का प्रयत्न नहीं किया। किसी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो यह बात हमने कभी नहीं की। हमने हर माननीय सदस्य के स्वाभिमान की रक्षा हमेशा की है। इतना होने के बाद भी आप हमें सेव डेमोक्रेसी की बातें बताते हैं। आखिर डेमोक्रेसी में भी कुछ परम्पराओं को बनाकर के चलना होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर एक्स सोल्जर्स को भूमि का अलॉटमेन्ट नहीं किया यह बात कही गई। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर 1966 तक 2955 भूतपूर्व सैनिकों के लिए करीब 11 हजार 213 एकड़ भूमि को आवन्टित किया गया। कुछेक ने राजस्थान नहर में भूमि की मांग रखी है उसके लिये कार्यवाही की जा रही है। उसके लिये नियम वगैरह भारत सरकार से तय हो जायेंगे तो वह भी जल्दी कर दिया जायगा।

विरोधी पक्ष के नेताओं ने यह भी कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में नहीं लिया गया है इस तरह से उनके साथ ज्यादती की गई है। मैं उनको और दूसरे माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के बारे में हमने तो कांग्रेस में शरीक हुए तभी से सोचा है समझा है और सेवा करना सीखा है लेकिन आप तो जब वोट लेने का मौका आता है तब आप उनके बारे में सोचते हैं, इन लोगों को उचित पद मिले, उचित तरीके का स्थान हो इस पर पूरा ध्यान रख कर चला जायगा। इन बातों को आप अपने भाषण में कह कर यह आशा न करें कि ये जो 94 फौलादी सदस्य इधर बैठे हैं उनमें से कोई आपका साथ देगा।

(श्री मोहन लाल सुखाड़िया)

मैं अध्यक्ष महोदय, इस बात को भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो भूमिहीन किसान हैं खास तौर से हरिजन हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग बाग हैं उनको पिछले अर्से के अन्दर 96 हजार अनुसूचित जाति के लोगों को 5 लाख 52 हजार एकड़ और आदिम जाति के लोगों को तीन हजार को, दस हजार एकड़ भूमि दी गई है। यह सारी जमीन का तीस प्रतिशत के करीब हो जाता है। इनको जितनी जमीन मिली है इसके अलावा मैं यह भी चाहता हूं कि कई इलाकों में जमीन ज्यादा है अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाय बमुकाबले दूसरे लोगों के।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था इन चुनावों के दौरान में हमारे सामने ये बातें आईं जो कानून बहुत से बने हैं। खास तौर से टैक्स वसूली के कानून, इन कानूनों की वजह से आम जनता की तरफ से बताया गया है कि टैक्स का कोन्टम देने के बारे में उनका कोई विरोध नहीं लेकिन जो टैक्स वसूल करने की प्रणाली है उनसे उनका ऐतराज है उससे दिक्कत पैदा होती है। उसके लिये इस अभिभाषण में भी जिक्र है उसके लिये कमेटी बनायी जायगी जिससे मैं समझता हूं हजारों लाखों लोगों को राहत मिल सकेगी।

मंडी कमेटी कानून के बारे में भी जिक्र आया था इसके बारे में यह कहा गया था कि चुनावों के वक्त में तो इसको स्थगित कर दिया गया और बाद में इसको चालू कर दिया। इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून के बारे में हाई कोर्ट का फैसला हुआ था, उसके कारण इसको स्थगित किया गया था। हमने उसके लिये भी कमेटी बिठायी थी जो इसमें होने वाली दिक्कतों को देखेगी। बीच में राष्ट्रपति शासन आगया फिर से कानून लागू करने का आदेश किया गया। इन चीजों के बारे में पूरे विस्तार से वह कमेटी देखेगी। हम भी जो परेशानियां होती हैं उनको दूर करना चाहते हैं और इस ओर हम जागरूक हैं, जो भी दिक्कत है उनको दूर करने का प्रयत्न किया जायगा।

सदन में यह भी कहा गया कि पहले कुछ जंगल थे जो कई वर्षों से डिसप्यूट में चल रहे थे, चुनाव का मौका आया बारह जंगलों के बारे में यह बताया गया कि कांग्रेस सरकार ने उनको ठेके पर दे दिया। मैंने इस बारे में जानकारी की है उस जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि एक भी जंगल ठेकेदार को नहीं दिया गया। इस वक्त भी वही स्थिति है जो पहले थी। किसी को आदेश नहीं दिया गया कि जंगल काटना शुरू कर सकें यह किस आधार पर कहा गया मैं नहीं जानता। हो सकता है भ्रान्ति फैलाने की दृष्टि से कहा गया होगा।

एक गोरधनदास मुखी हैं उनके बारे में भी कहा गया कि इनको साडे सात लाख का चुकारा कर दिया गया। मैंने भी इस बारे में जानकारी की है पहले एक लाख के करीब का चुकारा हुआ है, वही हुआ है बाद के आदेश से उनको रोक दिया गया, इसलिये किसी प्रकार की भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये यह मैं आपको जानकारी के लिये कहना चाहता हूं।

अब ज्यादा वक्त न लेता हुआ माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अपनी तरफ से राजस्थान की जो भी प्रगति हो सकती है, राजस्थान की जनता की जो तकलीफें हैं उन तकलीफों को दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे इसके लिये यह सरकार हमेशा सतर्क रहेगी जिससे आम लोगों के स्तर को ऊंचा किया जाय हम इस बारे में निरन्तर प्रयत्नशील रहेंगे।

मेरी यह निश्चित मान्यता है अध्यक्ष महोदय, कि आज देश के सामने और राजस्थान के सामने भी जो विकट परिस्थितियां खड़ी हुई हैं उसके दो मूल कारण हैं एक तो चाइना और पाकिस्तान का हमला हुआ वह और दूसरा कारण है वर्षा का अभाव। वर्षा अगर ठीक हो जाती है तो वह सबसे बड़ा योजना मिनिस्टर कोई हिन्दुस्तान का है तो इन्द्रदेव है। यदि वर्षा हो तो बहुत सी योजनायें ठीक हो सकती हैं, आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है और 3-4 साल से जो मुश्किलें सामने आ रही हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। मैं आशा करके चलता हूं कि आने वाले महीनों में कुछ दिक्कतें रहेंगी लेकिन आने वाली वर्षा के बाद राजस्थान के अन्दर हालात के अन्दर तब्दीलियां आयेंगी और बहुत सा सुधार होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करदूं कि जो तकलीफ आज बिजली की है उसमें जुलाई में सतपुडा से बिजली आयेगी तो तकलीफ में फर्क पड़ेगा और सितम्बर में फिर ज्यादा अन्तर होगा और दिसम्बर में जब प्रतापसागर से बिजली मिलनी शुरू हो जायेगी तो बिजली की जो परेशानी है, औद्योगिक विकास में जो रुकावटें हैं वह भी हम दूर करने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह सदन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसको सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दुर्गालाल बाढ़दार ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

(संशोधन अस्वीकार किया गया)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मदनसिंह, जयनारायण और श्री ओमदत्त ने प्रस्तुत किये उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

(संशोधन अस्वीकार किये गये)

प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव जो श्री खेतसिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

(प्रस्ताव स्वीकार हुआ)

सदन की कार्यवाही 25 मई को 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 53 मिनिट पर गुरुवार दिनांक 25 मई को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर देखिये)

वर्ष 66-67 में अकाल सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत धनराशि की तालिका "क"

क्र. सं.	मद का नाम	आयव्ययक अनुमान के द्वारा हुई स्वीकृत धन-राशि	वित्त विभाग द्वारा प्राधिकरण 10-8-66	वित्त विभाग द्वारा प्राधिकरण 6-10-66	वित्त विभाग द्वारा अधिकरण 16-12-66 व 24-2-67	(आंकड़े लाखों में)	अनुपूरक अनुदान के द्वारा -3-67	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	वेतन व स्थापना	7.35	..	..	5.08	..	1.57	14.00
2.	राहत कार्य	308.00	..	242.00	150.00	150.00	96.00	946.00
3.	चर्खा कर्घा सहायतार्थ	1.00	..	...	..	..	..	1.00
4.	निःशुल्क सहायता	2.00	..	..	1.00	..	..	3.00
5.	पेयजल प्रबन्ध	24.85	..	..	88.92	..	..	113.77
6.	चारा प्रबन्ध व पशु संरक्षण ..	29.80	..	..	25.00	..	..	54.80
7.	अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनाज ढुआई ..	5.00	..	..	5.00	..	..	10.00
8.	अनाज की बिक्री पर सहायता ..	2.00	..	..	..	..	..	2.00
	योग ..	380.00	..	242.00	275.00	150.00	97.57	1144.57
	ऋण तथा अग्रिम फैमिन एडवान्सेज ..	20.00	65.00	..	..	..	..	85.00

परिशिष्ट 2

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 37 का उत्तर देखिये)

जिले का नाम	प्राप्त रकम 66-67	प्राप्त रकम 67-68	अन्तर
(1) जयपुर	75,72,753	79,24,310	(+) 3,51,557
(2) अजमेर	67,81,506	75,90,229	(+) 8,08,723
(3) जालोर	41,00,888	40,83,571	(—) 17,317
(4) जोधपुर ..	34,39,090	36,52,490	(+) 2,13,400
	2,18,94,237	2,32,50,600	(+) 13,73,680

शुद्धि पत्र

(मंगलवार, दिनांक 9 मई, 1967)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	अंतिम से 5	श्री बृजदुन्दर	श्री बृजसुन्दर
2	3	क्य।	क्या।
4	2	म	में
,,	अंतिम से 11	जानमारी	जानकारी
5	11	(श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखंडा)	श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेडा)
7	अंतिम से 10	श्री भं रोसिंह	श्री भरोंसिंह
10	16	ह	है
,,	अंतिम से 5	ह	हैं
11	21	क्लर्क। स	क्लर्क स्
18	शीर्षक	प्रश्नोर	प्रश्नोत्तर
19	अन्तिम से 4	स	इस
,,	,, 3	प्रश्न क	प्रश्न के
22	अन्तिम से 6	काय	कार्य
24	4	भर क	भर के
27	15	श्री रवुनाथ विश्नोई	श्री रघनाथ विश्नोई
28	अन्तिम से 4	ग्रोई	कोई
29	14	ितीय	वित्तीय
,,	16	म दिय गये आंकडों क	में दिये गयें आंकडों के
31	शीर्षक	(श्रा भरोंसिंह)	(श्री भरोंसिंह)
,,	5	इसक	इसके
33	10	नहीं ल	नहीं ले
33	अन्तिम पंक्ति	एक्टिपिटीज	एक्टिविटीज
34	11	न्वेस्टमट	इन्वेस्टमेंट
44	8	इन्कोर्पोरट	इन्कोर्पोरेट
44	22, 23 व 24,	आपकी नीति या इसको शराब को आप बन्द करना चाहते हैं क्या है ? बढाना चाहते हैं ?	आपकी नीति क्या है ? शराब को आप बन्द करना चाहते हैं या इसको बढ़ाना चाहते हैं ?
47	2	पीन	पीने
,,	अंतिम से 7	प्रजजन	प्रजनन
,,	,, 2	कन्द्र	केन्द्र
51	16	गायों क	गायों के
52	अन्तिम से 12	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :
,,	,, 9	Whion	Which
53	7	House of both	House on both
54	1	(जनस्वायथ्य	(जनस्वास्थ्य

Page No. 92

1	2	3	4
55	अन्तिम से 9	वर्षा भाव	वर्षा अभाव
,,	,, 3	क्षत्रों	क्षेत्रों
60	11	बगलों में	बंगलों में
61	12	कह सकता	नहीं कह सकता
,,	अन्तिम से 4	और	ओर
62	10	कग्ना	करना
स्कम्भ 65 से 76	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर-1 मई, 1967 तारांकित प्रश्नोत्तर	जयपुर शहर में जल वितरण. व्यवस्था (9 मई, 1967) के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य
69	2	थोर्ड	थोड़े
70	1	कमी भी	कमी भी
76	1	बोर्ड क	बोर्ड के
77	शीर्षक	खाद और बीज की वितरण व्यकस्था	खाद व बीज की वितरण व्यवस्था
79	अन्तिम से 2	खरिद क	खरीद के
80	,, 13	से ग्रोर	से और
82	13	इस बाड का	इस बात का
83	अन्तिम से 8	पानी समस्या, की	पानी की समस्या,
86	11	कहलान	कहलाने
87	13	ग्रौर	ओर
,,	15	गंत्री	मंत्री
92	8	Instuction	Instructions
96	7	इसक	इसको
,,	अन्तिम से 12	वाद यह सार	बाद में यह सारा
97	5	राजस्थन	राजस्थान
97	19	मन्त्री जी स	मंत्री जी से
99	20	निर्माण करन	निर्माण करने
,,	शीर्षक	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
103	अन्तिम	ह बात	यह बात
114	11	माननीय मुख्यो	माननीय मुख्य
135	7	बड़े-बड	बड़े बड़े
114	7	समझते हैं	समझते हैं,
114	7	के प्रश्न रूल	के प्रश्न पर रूल
144	8	इस सम्बन्ध में	—
146	3	चाहिय	चाहिये
,,	अन्तिम पंक्ति	गई ह। लेकिन मुझ	गई है। लेकिन मुझे
147	4	ग्रन्य	अन्न
155 व 156	शीर्षक	अप्रतर	अग्रेतर
156	अन्तिम से 4	डाक्टस	डाक्टर्स
157	,, 13	ह	हैं
159	11	करीब डढ	करीब डेढ़
,,	अन्तिम से 4	न उसमें	ने उसमें

Page No. 93

1	2	3	4
164	अन्तिम पंक्ति	जन सघ	जनसंघ
166	17	गमराह	गुमराह
169	अन्तिम से 6	अने	आने
170	14	वर्ष म	वर्ष में
173	अन्तिम से 10	उसक	उसके
175	„ 4	पडगा	पड़ेगा
176	13	आर	और
„	16	संशाधन	संशोधन